Impact Factor 4.584 SJIF

संयुक्त अंक

ISSN -: 2456-3579

Vol. 4 No.1&2 April & October Year- 2019

http://www.gorakhpurjournals.in

WRITERS VIEW

An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal

Editor

DR. AJAY KUMAR SINGH

SUBODH KUMAR MISHRA

Impact Factor 4.584 SJIF

संयुक्त अंक

ISSN -: 2456-3579

Vol. 4 No.1&2 April & October Year- 2019 http://www.gorakhpurjournals.in

WRITERS VIEW

An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal

Editor

DR. AJAY KUMAR SINGH

SUBODH KUMAR MISHRA

Gorakhpur Journals

Patron

Prof. Himanshu Chaturvedi (Gorakhpur)

ADVISORY BOARD

Prof. A. S. Rawat, *History* (Nainital, Uttrakhand)
Prof. V. K. Srivastava, *Geography* (Sagar, M.P)
Prof. Shushil Tiwari, *Philosophy* (Gorakhpur)
Prof. C. M. Aggrawal, *History* (Almoda, Uttrakhand)
Prof. Ashok Kumar Singh, *History* (Varanasi)
Prof. Nidhi Chaturvedi, *History* (Gorakhpur)
Prof. Hriday Narayan, *History*
(Hankuk University of foreign Studies, Seoul, Korea)
Prof. Abha R. Pal, *History* (Raipur, Chhattisgarh)
Prof. Vipula Dubey, *History* (Gorakhpur)
Prof. Kirti Pandey, *Sociology* (Gorakhpur)
Prof. Sumitra Singh, *Education* (Gorakhpur)
Prof. Geeta Srivastava, *History* (Meerut)
Prof. M M Pathak, *Sanskrit* (Gorakhpur)
Prof. Jitendra Mishra, *Law* (Gorakhpur)
Prof. Sandeep Kumar, *Economics* (Gorakhpur)
Prof. Shikha Singh, *English* (Gorakhpur)
Prof. Ashish Srivastava, *Commerce* (Gorakhpur)
Prof. Vinod Kumar Singh, *Defense and Strategic* (Gorakhpur)
Dr. Rajesh Nayak, *History* (Chapara, Bihar)
Dr. Vimlesh Mishra, *Hindi* (Gorakhpur)
Dr. Pragya Mishra, *History* (Faizabad)
Mr. Alok Kumar Yadav, *Law* (HNB Central Unversity, Tihari Campus)
Dr. Dinesh Kumar Gupt, *Phycology* (Aligarh)
Dr. Ranjana Mishra, *Home Science* (Delhi)

EDITORIAL BOARD

Dr. Anjana Rai
Dr. Praveen Kumar Tripathi
Dr. Abhishek Kumar Singh
Dr. Arbind kumar Gupta
Dr. Pragyesh Kumar Mishra
Mr. Sachindra Mohan

शोध पत्र में व्यक्त विचारों, सिद्धांतों, तथ्यों एवं संकल्पनाओं की जिम्मेदारी स्वयं लेखक के है।
सम्पादक मण्डल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

"The Responsibility for the facts given and opinions expressed in Articles/Research paper/Review in this journal, is solely that of the individual Author and not of the editor"

Authors your Research Paper on Mail- editor.writersview@gmail.com
- editor.gorakhpurjournals@gmail.com

Printed in India
Printed, published and owned by **Gorakhpur Journals** Printed at COMSERVISCES Industrial Area Wazirpur, Delhi.

Scientific Journal Impact Factor

CERTIFICATE OF INDEXING (SJIF 2017)

This certificate is awarded to

Writers View
(ISSN: 2456-3579 (E) / 2456-3579 (P))

The Journal has been positively evaluated in the SJIF Journals Master List evaluation process
SJIF 2017 = 4.584

SJIF (A division of InnoSpace)

SJIFactor Project Manager
International Advisory Services
INNOSPACE INTERNATIONAL

SJIFactor Project

Content

क्रम	शोध पत्र, लेखक	पृष्ठ सं.
1	**Anglo-Indian Community in India: Dwindling Socio-political Spaces- from an Influential Group to Survival Mode** ***Hriday Narayan***	1-15
2	**क्षेत्रीय इतिहासलेखन और भारतीय राष्ट्रीयता** *डॉ. अंजना राय*	16-26
3	**औपनिवेशिक इतिहास लेखन में भारत राष्ट्र की अवधारणा** *डॉ. सचिन राय*	27-35
4	**शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावशीलता** *डॉ. अनुपम सिंह*	36-45
5	**Constitutional Tort's: An Evaluation** ***Dr. T.N. Mishra***	46-56
6	**Nath -Panth in Nepal** ***Padmaja Singh***	57-65
7	**युवा सन्त स्वामी अद्वैतानन्द जी - वर्तमान सांस्कृतिक पुनरुत्थान की क्रान्तिकारी चेतना** *डॉ. सुशील कुमार सिंह*	66-78
8	**महिलाएं : राष्ट्रवाद के विमर्श में** *डॉ. अजय कुमार सिंह*	79-88
9	**भारत का स्वशासन (स्वराज्य)** *डॉ. अनिरुद्ध कुमार तिवारी*	89-95
10	**हम 'धर्मनिरपेक्ष' हैं या 'पंथनिरपेक्ष'?** *डॉ. कृष्ण कुमार*	96-103
11	**बंगाल से बिहार विभाजन** *डॉ. कुमारी प्रियंका*	104-107
12	**मध्यकालीन बिहार का सांस्कृतिक इतिहास : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन** *डॉ. रागिनी दीप*	108-116
13	**दशकुमारचरित में वर्णित जाति व्यवस्था** **डॉ. (श्रीमती) अनुपम सिंह**	117-123

verify UGC API

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as: copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledgements for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc,.)

S.N.	Academic/Research Activity	Faculty of Sciences /Engineering / Agriculture / Medical /Veterinary Sciences	Faculty of Languages / Humanities / Arts / Social Sciences / Library /Education / Physical Education / Commerce / Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publications (other than Research papers)**		
	(a) Books authored which are published by ;		
	International publishers	12	12
	National Publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	08	08
	(b) Translation works in Indian and Foreign Languages by qualified faculties		
	Chapter or Research paper	03	03
	Book	08	08
3.	**Creation of ICT mediated Teaching Learning pedagogy and content and development of new and innovative courses and curricula**		
	(a) Development of Innovative pedagogy	05	05
	(b) Design of new curricula and courses	02 per curricula/course	02 per curricula/course
	(c) MOOCs		
	Development of complete MOOCs in 4 quadrants (4 credit course)(In case of MOOCs of lesser credits 05 marks/credit)	20	20
	MOOCs (developed in 4 quadrant) per module/lecture	05	05
	Content writer/subject matter expert for each module of MOOCs (at least one quadrant)	02	02
	Course Coordinator for MOOCs (4 credit course)(In case of MOOCs of lesser credits 02 marks/credit)	08	08
	(d) E-Content		
	Development of e-Content in 4 quadrants for a complete course/e-book	12	12
	e-Content (developed in 4 quadrants) per module	05	05
	Contribution to development of e-content module in complete course/paper/e-book (at least one quadrant)	02	02
	Editor of e-content for complete course/ paper /e-book	10	10
4	**(a) Research guidance**		

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF

http://www.gorakhpurjournals.in

1

Anglo-Indian Community in India: Dwindling Socio-political Spaces- from an Influential Group to Survival Mode[1]

Hriday Narayan[2]

Abstract:

Anglo-Indians are the only minority of European parentage to live to tell the tale in India and elsewhere in Asia. The transition period between colonial to the independent state was painful and stressful for the Community when trapped between two domains; hence politically, socially, and economically the group found itself in a no-escape scenario. During the colonial period of India, some exclusively Anglo-Indian settlements came up in cities like Kolkata, Chennai, Bangalore, Mumbai, Delhi, Hyderabad, and so on. But the perception of isolation has persisted throughout the historical journey before and after the independence period of India. Ignored at various levels of Government, these small clusters of the Anglo-Indian population have succumbed to deterioration, and 'lessened to the ghost of a dream they once had.' This article is an attempt to portray the journey of the Anglo-Indian Community from its inception to the recent Twenty-Sixth Constitutional Amendment Bill, related to Anglo-Indian reservation, passed by the Parliament on December 10, 2019.

Keywords:

Anglo-Indian Community, Colonial policies, Socio-political space, Legal status, Constitutional amendments

---

[1] This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea (NRF-2017S1A6A3A03079318).

[2] 한국외국어대학교 사학과 교수 (Professor of History at Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea)

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

Introduction

In India, the Anglo-Indian population, demographically small in numbers and financially not well off, portrays a series of very distinct socio-political spatial difficulties. Placing themselves between India and West, the two cultural ends shows a unique circumstance of their beginnings and socio-cultural growth. Anglo-Indians could never get to understand precisely the West to which they longed to conform, nor did they have deep socio-political links to India, where they already resided. The incredibly sudden and abrupt withdrawal of the British from India has raised a series of complicated issues concerning crucial choices for the group. It was apparent that the Anglo-Indians had to depend mostly on the colonial administration, and in a dire hope to get identified more with western counterparts, they strained to replicate their practices, behaviours, and living habits which further departed them away from 'natives.' This socio-cultural and political affiliation with the White ruling class, which of course never regarded them as equals, has given rise to psychology characterized as "the typical mentality of a hybrid population."[1] The Anglo-Indian Community's journey between the periods from its inception to getting legal status in free India has truly been remarkable but ended in much less than what the group had expected.

Anglo-Indian: What's in a name?

Before the year 2020, Anglo-Indians were identified as one of the many minority groups comprising the Indian subcontinent. Most ethnic groups trace their descent from ancient lineages before the arrival of Europeans in India when Indian Hindus, Armenians and Muslim merchants traded with Egypt, Arabia, Persia, and Tibet. But the history of Anglo-Indian Community started only at the end of the fifteenth century with settlement of the Portuguese on the Indian subcontinent.[2]

Surges of European engagement with India characterized the advent of the Anglo-Indian group after Portuguese in the fifteenth-century, Dutch in the mid-sixteenth century, and French in early seventeenth-century merchants began trading with India, primarily to gain a slice of the established market in the Bengal region.[3] The British traders also came to India in the early seventeenth century, along with the

---

1 Louis Fernando Henriques, Family and colour in Jamaica, Eyre & Spottiswoode, 1st Edition, 1953, p.44.

2 Vellinga, E., 'Pride and prejudice: Anglo-Indians and racial attitudes in India 1857-1920', 1994, M.A. Thesis, Department of History and Arts Erasmus University Rotterdam, viewed 12 May 2020, <http://www.alphalink.com.au/~agilbert/cont~1.html>

3 Bose, N.K., Culture and society in India, Asia Publishing House, London, 1967, p.263.

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor 4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

French. Early European travellers report that the Eurasian groups lived in India as early as 1546, long before the British arrived in India. The presence of the Eurasian Community is indicated, labelled as "mestizo," and later "mustees," among the early entrants of Portuguese in India, about a person born in India of mixed descent. The expression "mestizo," was also in use in India in 1588 to describe a person who was "half an Indian, and half a Portuguese." This description underlines the awareness of hybridity and the need to explain its presence.[1]

Before the word Anglo-Indian was defined, different terms were in use in different times of history. Initially, the terms were not specific names for the Community. It was more than just common meanings. Generally, 'Country-born' was used to identify the group. There was no negativity, no disrespectful sense attached to the term. In the early days, members of the Community referred to in degrading terms such as "half-caste," "half-breed," or mixed blood, "Country-born," "pure Asians," "masqueraders" etc. The mixed descendants were called "Wallendaz" or "Oollandry" during the Dutch regime. They were labelled "mestizo" in Goa. In Kerala, they were dubbed as "caliker," "chi-chi," and "chattekar." This group was also referred to as 'quasi-Europeans.'[2]

"Indo-Briton" may have been the first Group classification to be used. Before that, the group was commonly referred to as "Eurasian." A petition was sent by John Ricketts to the British Parliament in 1830 called for the approval of the word "East Indian." Throughout the post-Mutiny period (after 1857), Anglo-Indians were a cohesive political group. They were granted concessions by the British, and they decided to remove the slander attached to the mixed parentage. They wanted to reinforce relations with the dominant cultural Community. They identified themselves as "East Asian," "Indo-European," "Indo-Briton," and "Eurasian." The Community accepted the Eurasian notion, but it was dismissed as it acquired a puerile meaning. The term was used roughly between 1823 and 1910. E.W. Chambers established an association in 1876 and adopted the term Anglo-Indian to classify the Community.

---

[1] Carton, A., Beyond cotton Mary: Anglo-Indian categories and reclaiming the diverse past in The International Journal of Anglo-Indian Studies, vol. 5, no. 1, 2000, p.11. viewed 12 May 2020, <http://www.alphalink.com.au/~agilbert/carton.html>

[2] Caplan, L., Children of colonialism: Anglo-Indians in a postcolonial world, Berg, Oxford, New York, 2001.

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

The Anglo-Indian group thus formed as a result of European colonialism and explicitly "colonial desire" and subsequent "hybridity"[1] involving both formal and informal relations between European colonial males and Indian native females. Such unions were facilitated, in particular by the official ban on European women to travel/migrate to the British Colonies.[2] For the Anglo-Indians, this became the legacy of European business and political activity in India, culminating in an unavoidable, sometimes unconstitutional, grouping of European (white) men and Indian women.[3] Over time, given their diverse origins, they came to be accepted (although not always or universally accepted) as an Anglo-Indian group.[4] Thus, the Anglo-Indians came into existence due to the policies of the immediate imperial expansion of the Portuguese, Dutch, French and British merchants and colonizers.[5]

1600-1785: **Optimistic Outset and Socio-political spatial expansion of the Anglo-Indian Community**

The Anglo-Indians population increased, and they seemed to had a very bright future. The days of prosperity for the Anglo-Indians roughly extended from 1600 to 1785. When the British wanted that their children should have better prospects and found that Anglo-Indians were increasing in number. In 1687, the birth of a child in marriage between a native female and a British soldier of Fort St. George (first English fortress in India, established in 1644) in Madras was paid a family allowance for a "pagola" or gold mohur (guinea coin).[6] This allowance was a token of a small financial help for the Britishers who married native women, as the East India Company (Company onwards) needed to accelerate the development of an Anglo-Indian

---

1 Young, R.J.C., Colonial desire: hybridity in theory, culture and race, Routledge, London and New York, 1995.
2 Stoler, A.L., 'Rethinking colonial categories: European communities and the boundaries of rule', Comparative Studies in Society and History, 1989, vol 31, no 1, Jan, pp. 134-161.
3 Varma, L.B., Anglo-Indians: a historical study of Anglo-Indian community in nineteenth century in India, Reena Roy, Bhasha Prakashan, New Delhi, 1979, p.1.
4 Caplan, L., 'Colonial and contemporary transnationalism: traversing Anglo-Indian boundaries of the mind', International Journal of Anglo-Indian Studies, vol. 3, no. 2, 1998, p.2, viewed 13 May 2020, <http://www.alphalink.com.au/~agilbert/cap0399.html>
5 Moore, G., 'A brief history of the Anglo-Indians', International Journal of Anglo-Indian Studies, vol. 1, no. 1, 1992, p.2, viewed 13 May 2020, http://home.alphalink.com.au/~agilbert/jjean1.html
6 Moore, G., The Anglo-Indian vision, AE Press, Melbourne, 1986, p.4. Also, see Stark, H.A., Hostages to India: or the life story of the Anglo-Indian race, 2nd Edition, The Star Printing Works, Calcutta, 1936, p. 18.

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

community[1] for smooth administration purposes. Such children's existence led to another social issue of the social division between the Indian Community and Anglo-Indian groups.[2]

But sociability was not an underlying problem between the British and their subjects in India in the seventeenth and eighteenth centuries. The Company supported Anglo-Indians and appointed them at the available positions. They were regarded and treated like the British, thus ensuring the development of a mixed culture. Furthermore, Anglo-Indian kids often were sent to England for further education until the middle of the eighteenth century.[3] They did so without stigmatizing their roots in marital or non-marital relationships with Indian women. Schools were also founded in Calcutta, Madras, Bangalore, Lucknow, and other British outposts to facilitate English-speaking education for the public service departments. It made them feel like Europeans, both in culture and taste.[4]

Development of the Anglo-Indian group made possible when in 1661, the British Parliament gave authority to the Company to judge all persons living under their tutelage in their settlements according to the laws of England. The later Charters passed in 1683 and 1686 extended the authority to erect courts of justice for the trial of offenses committed by both land and sea. The rapid rise in the legal rights could see the success of the East India Company's ventures of factories within the first one hundred years of its operations in India. By 1612 a factory was established at Surat, and in 1639 another was built at Madras. Bombay became a trading Centre in 1688, and in 1698 the Company extended its base in Bengal. Soon, Calcutta grew to be one of the most profitable trading centres. The British soon acquired certain territorial privileges and permission from the native rulers to erect fortifications for their protection. As the factories grew, so did the Anglo-Indian population.

---

[1] Hedin, E.L., 'The Anglo-Indian community', American Journal of Sociology, vol. 40, 1934, p. 167.

[2] Vellinga, E., 'Pride and prejudice: Anglo-Indians and racial attitudes in India 1857-1920', M.A. Thesis, Department of History and Arts Erasmus University Rotterdam, 1994. Viewed on 14 May 2020., <http://www.alphalink.com.au/~agilbert/cont~1.html>

[3] Moore, G., The Anglo-Indian vision, AE Press, Melbourne, 1986, p.146. Also, see Laurie, W.F.B., Sketches of some distinguished Anglo-Indians: (second series) including Lord Macaulay's great minute on education in India: with Anglo-Indian anecdotes and incidents, WH Allen Publishers, London, 1988.

[4] Gaikwad, V. R., The Anglo-Indians: a study in the problems and processes involved in emotional and cultural integration, 1967, p.24.

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

By about 1750, the number of Anglo-Indians surpassed the number of British in India. The Company welcomed this increase as it gave them the necessary, dependable workforce. The Anglo-Indians constituted a crucial power base of the Company as they were closely connected to the British by ties of blood, language, dress, and habits. The Anglo-Indians had now forged for themselves a position of respect in the administration. Many of them had fought their way by capacity, work, and character to the highest civil and military positions in the Country. The Indian population treated them not only with respect but even with deference. By this time, they had become perhaps the most wealthy and influential Community and occupied the highest positions in the civil and military offices.

The first-ever school was set up in 1673 for children of British or Portuguese descent in Madras to learn English history and customs.[1] It was in 1713 that the Company assumed responsibility for the cause of education in a Charter that stated that the Company would provide schoolmaster in all garrisons, factories, and wherever found necessary.[2] As a result, three types of schools were started for Eurasian children –charity, military, and private schools.[3] A charity school was opened in 1731 in Cossipore. The Kiernander's Mission school was established in the late eighteenth century, for the poor Eurasian children.[4] The military school that came up after the Charter was Lower Boy's and Girl's Orphanage after 1783. Generally, the orphans of the Upper Military Orphanage were sent to England to complete their education, after which they returned to good positions in the service of the Company. Orphans from the Lower House were given a practical elementary education and later employed in subordinate positions in the Company's service.[5] The third type of school was private educational institutions started by missionary and benevolent initiatives. Numerous such schools that were established were at Dharmatollah, Cossipore, Park Street, and Howrah.

Until the early 1780s, members of the Anglo-Indian Community had been identified with the English and had suffered no social or political discriminations. If their British fathers could afford it, they sent their children to England for their further

---

1 R. Andrews, 'Being Anglo-Indian: Practices and Stories from Calcutta', Unpublished PhD dissertation, Social Anthropology, Massey University, New Zealand, 2005
2 E. Abel, The Anglo-Indian Community,1988, p. 53.
3 Ibid., p. 54
4 Ibid.
5 Ibid., p. 56

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

education and had mostly come back to India to work for the Company. Those who could not go to England had been educated locally and employed in the majority of the positions in uncovenanted civil service. In times of emergency, they were called up or volunteered for active service. They gallantly fought in different wars like the battle of Plassey (1757), the battle of Buxar (1764), the Rohilla War (1772), First Maratha War (1775) and others for the Company in India. When Lord Robert Clive set up the Dual System of the Government,[1] they filled posts of respectability and responsibility on the *Diwani* side.[2]

1786-1797: Ultimate Betrayal and Exclusion from British Society and Industry

The hardening of British attitudes towards the Anglo-Indians began when the size of the mixed-race populace started to overtake the British population and had become an indispensable part of the Company's services. They had gathered around the merchant, the indigo planter, and the military or civil officer. They had reached many of the higher military and civil positions and had been fully trusted for their loyalty. But the respect and deference with which the Indian population bestowed them, and their unquestionable influence with them, they began to be looked upon as an element of potential danger. There was no knowledge or understanding what the Anglo-Indians might sooner or later do when as soon as they realized their strength and importance, and made demands for a greater share in the operations of the Company.

A panic began by enlarging upon the danger-fraught probabilities of a crisis, when Indian soldiers, supported by using Anglo-Indians rank and file and led through Anglo-Indian officers, would be pushing the British out of India. The British issued three repressive orders against the Community. The first one was given in 1766 in which the upper orphanage school children at Calcutta were prohibited from going to

---

1 Robert Clive as the Governor of Bengal (1765), introduced the Dual System of Government of Bengal by signing the Treaty of Allahabad in August 1765 with Mughal Emperor Shah Alam and Nawab Shuja Ud-Daula of Awadh. Through this treaty, the East India Company received the right to collect revenue from Bengal, Bihar, and Orissa from the Emperor the Diwani. But the company did not assume the responsibility of administration directly. The ruling authority in Bengal was divided into two heads. One authority with the English company and the authority with the Nawab. This system of government of two authorities, one with power but without responsibility and other without power with responsibility is known Dual System of Governance.

2 Stark Herbert Alick, Hostages to India, Book Source: Digital Library of India Item 2015.526484, 1926, pp. 49-53. Viewed on 17 May 2020. <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.526484/page/n14/mode/2up>

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

England to complete their education for the covenanted services. On March 14, 1786, an order was issued, disallowing them to move to England to finish their education and thereby meet the requirements for the covenanted services.[1] A second-order was passed in 1791 stating that no person the court in the Civil and Military forces of the Company hereafter appoint the son of a native India. From 1791 the Anglo-Indians were debarred from the East India Company's armies, and many trained the troops of the Indian princes. The Third order passed in 1795 stated that all persons not descended from European mother and father were ineligible for services in the army except as fifers, drummers, bandsmen, and farriers.

The British feared an uprising such as the *mestizo* (mixed European and Native) led rebellion in Haiti against the French in 1791. Its impact could be seen in India, Anglo-Indians debarred from working in the Company's armies,[2] and most of them were relieved of duty from all ranks of the military since 1791. They were also barred from the Company's civil, military, or marine services, appointments. They were thus no longer affiliated with the ruling colonial elites. The consequent imposition of restrictions closed a large area of employment for Anglo-Indians. Accounts of the situation at the time suggest that these measures reduced the Anglo-Indians to political impotence and social degradation.[3] British colonial policies, in the late eighteenth and early nineteenth centuries, not only deliberately restricted and subdued Anglo-Indian ambitions, education, and job prospects but deprived of every honourable career. It led to the comprehensive limitation of social and political comfortable spaces enjoyed by the Community.

Between 1786 and 1795, the Anglo-Indians were reduced to a discouraged and disheartened community through various directives of the Company.[4] The discriminatory regulations by the British harmed the Anglo-Indians psychologically since they had always identified themselves with the British throughout their history. As noted earlier, in the years of British colonial expansion, intermarriage between

---

1 Ibid., pp. 49-53.
2 Moore, G., 'A brief history of the Anglo-Indians', International Journal of Anglo-Indian Studies, vol. 1, no. 1, 1996, p.2. Viewed on 18 May 2020, <http://home.alphalink.com.au/~agilbert/jjean1.html>
3 Gilbert, A., 'The Anglo-Indians in Australia, from unsuccessful caste members to attaining immigrants: an examination of Anglo-Indian labour force performance and their life perceptions', PhD Thesis. Monash University, Melbourne, 1996, pp.22-25. Viewed on 18 May 2020, <http://www.alphalink.com.au/~agilbert/agthesis.html>
4 Ibid., p. 62.

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

British men and native women was encouraged. However, soon after the assumption of rule by the British Crown was established in India, this trend was reversed. Around the start of the nineteenth century, it was taboo for all but British men of low status to associate with Anglo-Indians or Indians.[1] The unanticipated restriction on the people with the same culture and inclinations reduced them to economic powerlessness and socially degraded.[2]

1798- 1942: Period of Ups and Downs and Loss of Hope

In a bid to expand the power, the Company entered into war with the Marathas. The Company fought three battles with Marathas, in the first war, which started in 1775 continued until the signing of the Treaty of Salbai in 1782. But before the conclusion of the treaty, the British were defeated at Wadgaon in January 1779. The crisis necessitated the Company to reverse its policy of antipathy towards the Anglo-Indians. By 1798 Proclamation Eurasians were asked to re-join the Company's armies. Already discharged from the British regiment, most of the Anglo-Indians were placed in the service of local kings and chieftains. Ignoring their early experience of oppressive attitudes and injustices shown to them, the Anglo Indians readily responded to the British appeal for assistance.[3]

Immediately after the Second Maratha war (1803-05), the British unscrupulously changed their mind. Disregarding the Anglo-Indians ferocious participation in the wars, their loss of life, hardships, and sufferings, the British discharged all of them from the British regiment in India.[4] Unexpected eviction from services and consequent miseries made a change in the life and attitude of the Anglo-Indians. In desperation, many offered their services to the Indian royalties.

After 1820 the British overturned their approach towards the Anglo Indians. They were offered low-level positions in Government and Company, which led to the improvement of the condition of the Anglo-Indians to a certain extent. The career prospects of the Anglo-Indians got better when English replaced Persian as the official language of the Government. The Anglo-French (1778-1783) war restricted the availability of British men in India, which in turn further enhanced the job

1 Younger, C., 'Anglo-Indians from 1919-1983: images of a community in transition', M.A. Thesis, University of Sydney, 1984, p.45.
2 Noel Pitts Gist & Roy Dean Wright, Marginality and Identity: Anglo-Indians as a Racially-mixed Minority in India, p. 38.
3 Evelyn Abel, The Anglo – Indian Community: Survival in India, p. 19.
4 Coralie Younger, Anglo-Indians, Neglected children of the Raj, p.12.

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

opportunities of the Anglo-Indians. Their dependence on government employment continued until the twentieth century.[1] Years of political and economic depression and social suppression made it imperative for the Anglo-Indians to consider other avenues of life. Despite improved educational facilities and standards, the prospects of the Community during the first half of the nineteenth century were not too promising.

The 1820s saw the rise of political activity under John Ricketts, Louis Derozio, and Captain John Doveton. Schools and colleges, training ships, and agricultural schemes were set up. A Charter was passed in 1833 (section 87) by the Company, opening all the ports to Indians and Anglo-Indians in India. Still, subordinate posts were given to Indians, but comparatively few Indians were well acquainted with English at that time, and so most of the vacancies for better posts. The Indians rapidly picked up and mastered the English language, and so competition for jobs started between Indian and Anglo-Indians. Fortunately, for Anglo-Indians, the British introduced modem means of communication. The Telegraphs, the Railways were introduced. Therefore, the Anglo Indians found sufficient employment in Railways and Telegraphs and Customs services. Their absolute loyalty to England was undisputed in 1857, during the First War of Independence in India, and again they got in the good books of the British. It can be said that the latter part of the nineteenth century and the last decade of the twentieth century constituted once again a period of comparative prosperity and contentment for Anglo-Indians.

1947-2019: Independence of India-from Legal Protection to No Protection

Since 1942 it was clear that the British have to quit. By 1947 when the British were making preparations to pack from India, it was difficult for the Anglo-Indians to accept the hard reality of an India without British hegemony. A feeling of insecurity was widespread among the Anglo Indians at all levels, for they feel unprotected in the absence of their English masters. The imaginary fear spread across the Community lead to a conclusion of large-scale migration to England, Australia, and Canada.

a) Constitutional Status and Representation of the Anglo-Indian Community in the Parliament and Legislative Assemblies

[1] W. B. Vasantha Kandasamy, Florentin Smarandache and K. Kandasamy, Reservation for Other Backward Classes in Indian Central Government Institutions like IITs, IIMs and AIMMs: A Study of the Role of Media Using Fuzzy Super FRM Models, p.212.

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

After Independence, the constitution-makers of India provided much more protection and care than the Anglo-Indian expectations with constitutional safeguards.[1] They were given exceptional recognition and elevated status by incorporating them in the Constitution of India. Article 366(2) of the Indian Constitution provided legal status to the Anglo-Indian Community for the protection of their interests. The constitution-makers made a careful attempt by giving constitutional safeguards under Articles 331 and 333, which provides that the President or Governor of a State can nominate members of the Anglo-Indian Community to the Parliament and Legislative Assembly if they feel the Community is not adequately represented.

The provision in the Constitution for ensuring adequate representation in the legislative assemblies marks an achievement for the Anglo Indians. It enabled them to have a say in the legislative bodies and keep their live presence in the mainstream of Indian politics. The representation specified to the Anglo Indians was initially for ten years. By Eighth Amendment (1959) of the Constitution, the period was extended for twenty years. It was again extended for ten years each by the twenty-third, forty fifth, sixty-second, seventy-ninth, and ninety-fifth constitution amendments.

The constitutional makers foresee time-bound endeavour on the part of the Government mechanism and the general public for the improvement of the special category communities like Scheduled castes, scheduled tribes, and Anglo Indians.[2] But the most depressing fact is that the overall status, socio-economic condition, and political influence of the Community remained unchanged or even worsened than that of the pre-independent period.[3]

b) Constitutional Amendment Bill, 2019 and its Repercussions on Anglo-Indian Community

Recently, One Hundred and Twenty-Sixth Constitutional Amendment Bill was passed by the Parliament on December 10, 2019. It extended the reservation for another ten years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes communities but did not provide for the nomination of Anglo-Indians in legislatures. The legislation was ratified by the

---

1 Sumeet Jain, 'Tightening India's "Golden Straitjacket": How pulling the straps of India's job reservation scheme reflects prudent economic policy', 8 Wash. U. Glob. Stud. L. Rev., 2009, p. 567.

2 National Committee for Xth International Congress of Anthropology and Ethnological Sciences, Xth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, India, December 10 to 21, 1978, Volume 1.

3 Clive Dewey, Anglo-Indian Attitudes: Mind of the Indian Civil Service, the Hambleden Press, 1993, p.153.

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

legislatures of more than half of the states. The Act came into function on January 25, 2020, after having received the President's assent on January 21.[1]

The decision not to recommence the nomination was based on the view that the Community is doing well and does not need political reservations. Due to the small populace of the Community, it did not need a representation of two people in Parliament. As per the 2011 Census, the number of people who identified themselves as Anglo-Indian was 296. The All India Anglo-Indian Association rejected this finding and objected to Law Minister's claim[2] that the Community has just 296 members.

On the situation of Anglo-Indians Ministry of Minority Affairs report (2013) has disclosed that Anglo-Indians are no longer recognized as a separate category in the Census survey. In several cities, the report documented poor economic and social conditions for too many. The main challenges faced by the people of the Community were lack of employment, educational backwardness, and lack of proper housing facilities. The document also unequivocally acclaimed the assistance Anglo-Indians received from their nominated members. But now the Community is divested of that nominal assistance.

Conclusion

Until December 2019, the Indian Constitution recognized Anglo-Indians as a citizen of mixed Indian and European parentage (paternal side). Between the eighteenth and twentieth centuries, the term described Britons in India. But the term was validated in the Census of 1911. Before Independence, both Indians and the British kept Anglo-Indians at arm's length. The British treated them sometimes as natives and sometimes as British. Frank Anthony describes this behaviour as a case of 'Britain's betrayal in India. The Government of India Act, 1935, legally identified Anglo-Indians. After Independence, Article 366(2) of the Indian Constitution provided legal status to the Anglo-Indian Community for the protection of their interests. The Constitutional Assembly kept the operating part, and the Community was listed as a minority in the Indian Constitution until 2019.

---

1 The Hindu, Online edition, Accessed on 19 May 2020. https://www.thehindubusinessline.com/news/national/anglo-indian-members-no-more-nominations/article30269360.ece

2 The Telegraph, E-paper online edition, Tuesday, 19 May 2020. Accessed on 19 May 2020. <https://www.telegraphindia.com/india/anglo-indian-appeal-on-nominated-members/cid/1725605>

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

In post-independence India, a generation of Anglo-Indians left India mainly to English speaking and white populated countries like Canada, Australia, England, and New Zealand. Independent India was as new to Anglo-Indians as was to other citizens, but brought with it a difficult situation for the Community. Survival was the central task and response for the Anglo-Indians. The challenges started from the very inception by the mainstream of the European Community and later internally from the Indian counterparts. All India Anglo-Indian Association has sixty-two branches across twenty states and union territories. So cancelling reservations based on the reason for the small population is not correct. The All-India Anglo-Indian Association claims that there are still almost over one hundred thousand of Anglo-Indians in the Country who were not correctly recognized by the 2011 Census. It is a great loss to the nation by marginalizing this Community by hasty decisions premised on short-term political considerations.

References

- Bose, N.K., Culture and society in India, Asia Publishing House, London, 1967.
- Carton, A., Beyond cotton Mary: Anglo-Indian categories and reclaiming the diverse past in The International Journal of Anglo-Indian Studies, vol. 5, no. 1, 2000 http://www.alphalink.com.au/~agilbert/carton.html
- Caplan, L., Children of colonialism: Anglo-Indians in a postcolonial world, Berg, Oxford, New York, 2001.
- Clive Dewey, Anglo-Indian Attitudes: Mind of the Indian Civil Service, the Hambleden Press, 1993.
- Coralie Younger, Anglo-Indians, Neglected children of the Raj, B.R. Publishing, 1987.
- Caplan, L., 'Colonial and contemporary transnationalism: traversing Anglo-Indian boundaries of the mind,' International Journal of Anglo-Indian Studies, vol. 3, no. 2, 1998. http://www.alphalink.com.au/~agilbert/cap0399.html
- Evelyn Abel, The Anglo-Indian Community: Survival in India, Chanakya Publications, 1988.
- Gaikwad, V. R., The Anglo-Indians: a study in the problems and processes involved in emotional and cultural integration, 1967.
- Gilbert, A., 'The Anglo-Indians in Australia, from unsuccessful caste members to attaining immigrants: an examination of Anglo-Indian labour force

performance and their life perceptions,' Ph.D. Thesis. Monash University, Melbourne, 1996.
- Hedin, E.L., 'The Anglo-Indian community,' American Journal of Sociology, vol. 40, 1934.
- Laurie, W.F.B., Sketches of some distinguished Anglo-Indians: (second series) including Lord Macaulay's great minute on education in India: with Anglo-Indian anecdotes and incidents, WH Allen Publishers, London, 1988.
- Louis Fernando Henriques, Family and colour in Jamaica, Eyre & Spottiswoode; 1st Edition, 1953.
- Moore, G., The Anglo-Indian vision, A.E. Press, Melbourne, 1986.
- Moore, G., 'A brief history of the Anglo-Indians', International Journal of Anglo-Indian Studies, vol. 1, no. 1, 1996. http://home.alphalink.com.au/~agilbert/jjean1.html
- Noel Pitts Gist & Roy Dean Wright, Marginality and Identity: Anglo-Indians as a Racially- mixed Minority in India, Brill, Leiden, Netherlands, 1973.
- National Committee for Xth International Congress of Anthropology and Ethnological Sciences, Xth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, India, December 10 to 21, 1978, Volume 1.
- R. Andrews, 'Being Anglo-Indian: Practices and Stories from Calcutta', Unpublished Ph.D. dissertation, Social Anthropology, Massey University, New Zealand, 2005.
- Stark Herbert Alick, Hostages to India, Book Source: Digital Library of India Item 2015.526484, 1926. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.526484/page/n14/mode/2up
- Stoler, A.L., 'Rethinking colonial categories: European communities and the boundaries of rule,' Comparative Studies in Society and History, vol. 31, no 1, Jan. 1989.
- Sumeet Jain, 'Tightening India's "Golden Straitjacket": How pulling the straps of India's job reservation scheme reflects prudent economic policy,' Washington University Global Studies Law Review, Vol.8, 2009.
- The Hindu, Online edition, Accessed on May 19, 2020.
- The Telegraph, E-paper online edition, Tuesday, May 19, 2020. Accessed on May 19, 2020.

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

- Varma, L.B., Anglo-Indians: a historical study of Anglo-Indian Community in the nineteenth century in India, Reena Roy, Bhasha Prakashan, New Delhi, 1979.
- Vellinga, E., ‘Pride and prejudice: Anglo-Indians and racial attitudes in India 1857-1920’, M.A. Thesis, Department of History and Arts Erasmus University Rotterdam, 1994. http://www.alphalink.com.au/~agilbert/cont~1.html
- W. B. Vasantha Kandasamy, Florentin Smarandache and K. Kandasamy, Reservation for Other Backward Classes in Indian Central Government Institutions like IITs, IIMs and AIMMs: A Study of the Role of Media Using Fuzzy Super FRM Models, Editura CuArt, Romania, 2009. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2731539
- Young, R.J.C., Colonial desire: hybridity in theory, culture and race, Routledge, London, and New York, 1995.
- Younger, C., ‘Anglo-Indians from 1919-1983: images of a community in transition’, M.A. Thesis, University of Sydney, 1984.

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

2

क्षेत्रीय इतिहासलेखन और भारतीय राष्ट्रीयता

डॉ० अंजना राय
स्वतंत्र शोध अध्येता, गोरखपुर

शोध सारांश

क्षेत्रीय या स्थानीय इतिहास, इतिहासलेखन की वह धारा है जो लघु भौगोलिक क्षेत्र पर केन्द्रित रखकर लिखा जाता है। वर्तमान समय में क्षेत्रीय इतिहासलेखन पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। हमारे आस–पास के क्षेत्र में घटित घटनायें यदि राष्ट्रीय महत्व की हैं तो राष्ट्रीय इतिहास का तारतम्य उनसे स्थापित किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय इतिहास के विकास में स्थानीय इतिहास की विशिष्ट भूमिका होती है। भारत के क्षेत्र विशेष में घटी विभिन्न कालों की घटनाओं का जनपदीय स्तर पर अध्ययन विभिन्न नये पहलुओं को सामने लायेगा। क्षेत्र विशेष की स्थानीय परिस्थिति कैसे किसी अखिल भारतीय घटना को अपने हिसाब से प्रभावित कर लेती है और किस तरह उसके परिणाम भी बदल जाते हैं साथ ही नयी परिस्थितियों को जन्म देते हैं इस तरह के विभिन्न नये तथ्य सामने आयेंगे।

बीज शब्द

स्थानीय इतिहास, राष्ट्रीय इतिहास, इतिहास के अध्ययन, आधुनिक इतिहास लेखन शैली, जनपदीय इतिहासलेखन, लोकभाषा, लोक साहित्य, लोक–संस्कृति

शोध विस्तार

स्थानीय इतिहास के मुख्य धारा में जुड़ने पर ही राष्ट्रीय इतिहास निर्मित होता है।[1] राष्ट्रीय इतिहास के निर्माण में स्थानीय इतिहास की विशिष्ट भूमिका है। इससे राष्ट्रीय इतिहास को वृहत परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। राष्ट्रीय इतिहास की कई विलुप्त कड़िया स्थानीय इतिहास द्वारा आसानी के साथ जोड़ी जा सकती हैं। स्थानीय इतिहास के महत्व को रेखांकित करते हुये ई0एल हस्कल महोदय[2] ने उचित ही लिखा है कि इतिहास के अध्ययन के तहत स्थानीय इतिहास के कुछ पाठों का समावेश अवश्य होना चाहिये जिससे हम उस स्थान विशेष की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। यदि

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

हमारा कस्बा, गाँव या नगर किसी विशिष्ट ऐतिहासिक स्मारकों अथवा वस्तुओं के लिये प्रसिद्ध है तो हमें उसकी सांगोपांग जानकारी होनी ही चाहिये।

राष्ट्रीय इतिहास की कई विलुप्त कड़ियों की खोज क्षेत्रीय इतिहास में की जा सकती है।[3] भारत विभिन्न कई प्रान्तों में विभाजित है। भारत के विभिन्न प्रान्तों की संस्कृति, वेश–भूषा एवं भाषा पृथक–पृथक है। राष्ट्रीय इतिहासलेखन में हम क्षेत्रीय इतिहास एवं संस्कृति के साथ न्याय नहीं कर पाते।[4] इसीलिये क्षेत्रीय इतिहासलेखन पर बल दिया जा रहा है। क्षेत्रीय इतिहास लिखकर ही हम प्रत्येक क्षेत्र की संस्कृति, रीति–रिवाज, अर्थव्यवस्था, आदि को सामने ला सकते हैं।[5] क्षेत्रीय इतिहास में क्षेत्र विशेष की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति सामने आती है। क्षेत्रीय इतिहास लिखकर ही हम राष्ट्रीय इतिहास को समृद्ध कर सकते हैं। आधुनिक भारत में क्षेत्रीय या स्थानीय इतिहास का प्रारम्भ पाश्चात्य ज्ञानी कर्नल टॉड की पुस्तक में देखा जा सकता है। इसके बाद क्षेत्रीय इतिहासलेखन पर ध्यान देने वाले पाश्चात्य ज्ञानियों में जे0एफ0 फ्लीट,[8] ई0सी0बेले[9], एच0विलियम[10] का उल्लेख किया जा सकता है। लेकिन इन पाश्चात्यज्ञानियों की नीयत भारतीयों को ईसाइयत सिखाने की थी।[11]

इतिहासलेखन के पाश्चात्य दृष्टिकोण ने भारतीयों की भी आँख खोली। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में भगवान लाल इन्द्र जी[12], आर0जी0 भंडारकर[13], राजेन्द्र लाल मित्र[14] और बाल गंगाधर तिलक[15] ने साम्राज्यवादी तर्कों को गलत साबित करने का प्रयास किया। यह वह समय था जब भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष प्रारम्भ हो चुका था, भारतीय इतिहासकार भी इसमें शामिल थे और उन्होंने प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था, कला, धर्म, साहित्य आदि विविध पहलुओं पर अध्ययन प्रस्तुत कर यह सिद्ध कर दिया कि इसका प्राचीन काल स्वर्णिम था।

भारतीय राष्ट्रीयता और उसके फलस्वरूप भारतीय इतिहासकारों द्वारा किये जाने वाले इतिहासलेखन के विकास क्रम में विभिन्न क्षेत्रीय राजवंशों का इतिहास लेखन भी प्रारम्भ हुआ। इसकी शुरूआत एन0सी0रे0[16] के द्वारा हुयी। इसके बाद गुर्जर–प्रतिहारों, पालों, राष्ट्रकूटों, चन्देलों, कल्याणी के चालुक्यों, वारंगल के काकतीयों, चोलों[17], देवगिरि के यादवों, राजस्थान के चौहानों आदि अनेक क्षेत्रीय राजवंशों पर अलग–अलग शोध ग्रन्थ लेखन की परम्परा चल पड़ी। इस लेखन से क्षेत्रीय अंचलों के ऐतिहासिक तथ्यों का उद्घाटन हुआ। इसी क्षेत्रीय इतिहासलेखन से प्रेरित हो जिलों एवं नगरों के इतिहासलेखन की परम्परा भी शुरू हुयी। आधुनिक इतिहास लेखन शैली के कतिपय

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

इतिहासकारों ने अशोक, हर्ष, अकबर, शाहजहाँ, जहाँगीर, शिवाजी[18], राणा प्रताप आदि इतिहास पुरूषों का जीवनी परक इतिहासलेखन किया।

क्षेत्रीय राजवंशों, जिलों एवं नगरों तथा इतिहासपुरुषों पर जीवनीपरक इतिहासलेखन के अतिरिक्त भी क्षेत्रीय या जनपदीय स्तर पर इतिहास लेखन की आवश्यकता महसूस की गयी। इस प्रारम्भिक दिलचस्पी का जन्म राष्ट्रवादी इतिहासलेखन से हुआ जो एक सीमा तक नयी स्रोत सामग्री की तलाश से अनुप्रेरित था। इस तलाश का परिणाम भरपूर स्रोतों के रूप में सामने आया जिनमें पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोतों, ऐतिहासिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, अभिलेखागारीय प्रलेख, पारिवारिक कागज–पक्ष सबका समावेश है और इस सबने इस महाद्वीप के अनेक क्षेत्रों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के भंडार की अभिवृद्धि की हैं।[19] रोमिला थापर और सतीश चन्द्र[20] स्पष्टतः इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि क्षेत्रीय अथवा स्थानीय इतिहास के उदय के केन्द्र में राष्ट्रवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है (उपर्युक्त दोनों इतिहासकार क्षेत्रीय इतिहास को निम्न वर्गीय इतिहास मानकर चल रहे हैं)। यह राष्ट्रवाद ही है जो स्थानीय लोगों और तथाकथित बुद्धिजीवियों[21] को अपनी जन्मभूमि से सम्बन्धित घटनाओं, आन्दोलनों एवं अस्मितावादी प्रतीक चिह्नों का इतिहास लिखने के लिये उत्प्रेरित करता है और इसी माहौल में स्थानीय इतिहास की एक धारा सामने आयी 'सबाल्टर्न'। प्रारम्भ में सबाल्टर्न का अर्थ क्षेत्रीय या स्थानीय इतिहास ही लगाया गया लेकिन कालान्तर में इस प्रकार के इतिहास को 'निम्नवर्गीय इतिहास' के रूप में स्वीकार कर लिया गया। निम्न वर्गीय इतिहास के लेखकों ने ऐसी घटनाओं, आन्दोलनों एवं अस्मितावादी प्रतीक चिन्हों को इतिहास लेखन का विषय बनाया[22] परन्तु उनका उद्देश्य उन सन्दर्भों पर गर्व करना नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास में उस उपेक्षित सन्दर्भ को जोड़ना और उसे उचित महत्व दिलाना है, जैसाकि 'चौरीचौरा' के प्रसंग में शाहिद अमीन करते हैं तथा उसके 'वाकये' एवं 'शहीदों' को राष्ट्रीय बखान में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हुये 1920–22 के असहयोग आन्दोलन और उसके बहाने महात्मा गांधी को समझना चाहते हैं।[23]

वर्तमान में इस निम्नवर्गीय इतिहास से आगे बढ़कर ऐसे क्षेत्रीय इतिहासलेखन पर कार्य करने की आवश्यकता है जिसमें न केवल समाज का प्रत्येक वर्ग शामिल होगा बल्कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति उद्योग–धन्धे, पर्यावरण, कला, शिल्प, उत्सव, त्यौहार, मेले, मान्यतायें, रीति–रिवाज और वह प्रत्येक तथ्य जो मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। इससे न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत और भारत का इतिहास मजबूत होगा

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

बल्कि क्षेत्र विशेष के उद्योग–धन्धों, पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा जिससे भारत की आर्थिक स्थिति को संबल मिलेगा साथ ही भारत का प्रत्येक नागरिक प्रत्येक अंचल के रीति–रिवाजों, त्यौहारों, उत्सवों आदि का इतिहास जानेगा जो भारत की राष्ट्रीयता को शक्तिशाली बनायेगा और भारत और अधिक सुसंगठित राष्ट्र के रूप में सामने आयेगा।

प्राचीन भारत के इतिहासलेखन में जनपदीय या क्षेत्रीय इतिहासलेखन की बात की जाये तो वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त का यदि जनपदीय अध्ययन किया जाये तो तीनों देशों का प्राचीन इतिहास एक ही मिलेगा जो न केवल भारतीय राष्ट्रीयता को मजबूत करेगा बल्कि इसका विस्तारीकरण भी करेगा। प्राचीन भारत के गांधार, कंबोज और कुरू महाजनपद[24] वर्तमान अफगानिस्तान के पूर्वी और पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में स्थापित थे जहाँ हिन्दू राज्य था।[25] आज जिन्हें हम अफगानी, पाकिस्तानी और बलूचिस्तानी के नाम से जानते हैं वे सभी तुर्वसु, अनु और पुरू के वंशज हैं।[26] इन वंशों के प्रभाव क्षेत्रों का जनपदीय अध्ययन क्या भारतीय राष्ट्रीयता को मजबूती नहीं प्रदान करेगा? अफगानिस्तान के हिन्दूशाही या काबुलशाह राजाओं[27] का जनपदीय अध्ययन और स्पष्ट करेगा कि कैसे लगभग 350 वर्षों तक इन राजाओं ने अरब आततायियों और लुटेरों को जबर्दस्त टक्कर दी और उन्हें सिन्धु नदी पार करके भारत के मुख्य मैदान में नहीं घुसने दिया, लेकिन 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया और 870 ई0 में अरब सेनापति याकूब एलेस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद यहाँ के हिन्दू और बौद्धों का जबरन धर्मांतरण अभियान शुरू हुआ। सैकड़ों सालों तक लड़ाइयाँ चलीं और अंत में 1019 में महमूद गजनी से त्रिलोचनपाल की हार के साथ अफगानिस्तान का इतिहास पलटी खा गया। 'काफिरिस्तान[28] को छोड़कर सारे अफगानी लोग मुसलमान बन गये।

अरबों का सिंध पर आक्रमण के साथ मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रारम्भ होता है जिसके अध्ययन में यह बताया जाता है कि कैसे सिंध (वर्तमान पाकिस्तान) पर मुहम्मद कासिम ने विजय हासिल की और मुसलमानों के लिये भारत विजय का द्वार खुला। यहाँ यदि सिंध का जनपदीय या क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन किया जाये और अरबों के बजाय सिंध को केन्द्र में रखकर उस पर अरब आक्रमण और सिंधियों के संघर्ष का अध्ययन किया जाये तो राष्ट्रीयता के नये आयाम सामने आयेंगे।[29] जिस क्षेत्र में महिलाओं के लिये कठोर फतवे जारी किये जाते हैं उसी क्षेत्र की महिलाओं ने राजा दाहिर के मरने के बाद न केवल युद्ध भूमि में युद्ध किया, सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

किया, दो राजकुमारियों सूरजदेवी और परमाल ने युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों की सेवा की, पकड़े जाने पर मुहम्मद कासिम को चतुराई से खलीफा से सजा दिलवाया और भेद खुलने पर पेट में खंजर घोंप लिया। इस सारे घटनाक्रम में राष्ट्रीयता का कोई रंग शेष नहीं दिखायी देता[30] और इसके गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है।

बाबर की भारत विजय के स्थान पर भारत पर बाबर के अधिकार के क्रम में घटनाओं का अध्ययन नयी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा।[31] हुमायूँ की प्रवासन अवधि के दौरान उसका अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में निवास की अवधि का अध्ययन यदि अमरकोट को केन्द्र में रखकर किया जाये तो अकबर की सहिष्णुता और महानता के नये तथ्य सामने आयेंगे।[32]

अकबर की उदार राजपूत नीति का मूल्यांकन यदि अकबर को केन्द्र में रखकर करने के बजाय विभिन्न राजपूत वंशां के विभिन्न राजाओं को केन्द्र में रखकर जनपदीय इतिहासलेखन की विधा के तहत किया जाये तो बहुत संभव है कि एक नया पहलू निकलकर सामन आयेगा।[33] अकबर की राजपूत नीति में हिन्दू राजकुमारियाँ तो मुगल हरम में लायी गयी लेकिन मुगल कन्याओं के राजपूत वंश में जाने का कोई उल्लेख नहीं।

भारत के क्षेत्र विशेष में घटी विभिन्न कालों की घटनाओं का जनपदीय स्तर पर अध्ययन विभिन्न नये पहलुओं को सामने लायेगा। क्षेत्र विशेष की स्थानीय परिस्थिति कैसे किसी अखिल भारतीय घटना को अपने हिसाब से प्रभावित कर लेती है और किस तरह उसके परिणाम भी बदल जाते हैं और नयी परिस्थितियों को जन्म देते हैं।

आधुनिक भारत के इतिहासलेखन के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रवाद की विभिन्न विचारधाराओं जैसे उदारवाद, उग्रवाद, क्रान्तिकारी आदि के विकास का अध्ययन यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय[34] जनपदों और क्षेत्रों को केन्द्र में रखकर किया जायेगा तो भारतीय राष्ट्रवाद के कहीं अधिक समृद्धिशाली होने की जानकारी सामने आयेगी।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान घटी तमाम महत्वपूर्ण घटनायें जैसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम,[35] बिहार में तमकुहीराज एवं हथुआ के राजा के द्वारा अंग्रेजों का विरोध[36], जलियॉवाला बाग हत्याकाण्ड[36A], काकोरी काण्ड, चौरीचौरा की घटना[36B], भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान जिन स्थानों पर स्वतंत्र सरकारें स्थापित हुयी[36C] इस तरह की घटनाओं का जनपदीय स्तर पर अध्ययन निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीयता को प्रभावित करेगा और ऐसे गुमनाम राष्ट्रवादी शहीद सामने आयेंगे जो आज तक परिचय के मोहताज हैं।[37]

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

व्यक्ति विशेष के नाम पर भारत जैसे बड़े देश के इतने महान राष्ट्रीय आन्दोलन के महत्वपूर्ण अवधि का नामकरण इसे एक धुरी से बाँध देता है और इसके समेकित अध्ययन को प्रभावित करता हैं। भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अनेक व्यक्तियों, उनकी विचारधाराओं और उनकी संस्थाओं का अध्ययन प्रभावित होता है और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का सही स्वरूप आम जनमानस के सामने नहीं आ पाता। जनपदीय इतिहास इस कमी को दूर कर सकता है और क्षेत्रीय या जनपदीय इतिहास लेखन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उस प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका को सामने लाया जा सकता है जो आज भी नींव के पत्थर के रूप में अज्ञात हैं।

इतिहास की मुख्य धारा से हटकर लिखा गया जनपदीय इतिहास यह स्पष्ट करेगा कि मुख्य धारा का इतिहास जिसे जनमानस भारत का इतिहास समझता है और पढ़ता है, केवल जिसे केन्द्र में रखकर भारत का इतिहास लिखा गया वह ऊपर की एक हल्की परत मात्र है उसे हटाकर गहराई में जाने का एकमात्र साधन जनपदीय और क्षेत्रीय इतिहासलेखन है जो क्षेत्रीय इतिहासकारों के द्वारा लिखे जाने पर स्पष्ट रूप में सामने आयेगा।[38]

जनपदीय इतिहासलेखन की अनिवार्य शर्त है इतिहासकार के पास उस जनपद विशेष की भाषा (लोकभाषा) लोक साहित्य, रहन–सहन, संस्कृति (लोक–संस्कृति की स्पष्ट समझ और सम्पूर्ण जानकारी[39] का होना। बाहर से आकर इतिहास लिखने वाले इतिहासकार की अपेक्षा। किसी भी स्थानीय इतिहासकार के लिये यह एक अधिक आसान कार्य होगा।[40] भारत विविधता का देश है जनपदीय इतिहास लेखन में यह विविधता खुलकर सामने आयेगी जिससे भारत का सांस्कृतिक इतिहासलेखन समृद्ध होगा। एक ही घटना, एक ही कानून का अलग–अलग क्षेत्र पर अलग–अलग प्रभाव पड़ा ओर उसके क्या परिणाम सामने आये उसे वहीं का इतिहासकार कहीं बेहतर तरीके से सामने ला सकेगा क्योंकि ''अतीत के बारे में हमारे विचार और हमारी भावनायें चेतना के जिस गहरे स्तर को छूती है उसकी अभिव्यक्ति केवल मातृभाषा में ही हो सकती है।[41]

इतिहास को विज्ञान कहने के लिये उसमें कार्यकारण सम्बन्धों का होना आवश्यक माना जाता है। जनपदीय इतिहासलेखन की विधा के विकसित होने से इतिहास में कार्यकारण सम्बन्धों की व्याख्या भी परिपक्व रूप में सामने आयेगी। किसी भी घटना और उसकी पृष्ठभूमि की जनपदीय स्तर पर जाकर जब व्याख्या की जायेगी और उसके बाद उसे राष्ट्रीय स्तर से जोड़ा जायेगा। तो एक नया परिवेश सामने आयेगा।[42]

दो घटनाओं के एक उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट किया जा सकता है। पहली घटना जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड और दूसरी चौरीचौरा की घटना। एक ने 100 वर्ष पूरे कर लिये और दूसरी 100 वर्ष पूरे करने वाली है। 100 वर्षों से दोनों घटनाओं का अध्ययन हम असहयोग आन्दोलन को केन्द्र में रखकर कर रहे हैं। पहली घटना को असहयोग आन्दोलन को प्रारम्भ करने वाले कारणों में से एक कारण के रूप में और दूसरी घटना का असहयोग आन्दोलन को बन्द किये जाने की एकमात्र घटना के रूप में। क्या इन दोनों घटनाओं का सही महत्व इस तरह के अध्ययन से सामने आता है। क्या जलियांवाला बाग में घटी घटना की लम्बी पृष्ठभूमि पंजाब में अंग्रेजों द्वारा किये जा रहे लगातार अत्याचार[43] असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किये जाने वाले कारणों में से एक कारण के रूप में जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड को पढ़ा देने से या लिख देने से स्पष्ट हो जाते हैं? इसी तरह चौरीचौरा की घटना में उग्र भीड़ द्वारा थाना जला देने से दुःखी होकर गाँधीजी द्वारा चरमोत्कर्ष पर चल रहे असहयोग आन्दोलन को अचानक से स्थगित कर दिये जाने, पढ़ा देने या लिख देने से चौरीचौरा की घटना की परिस्थिति या वहाँ की जनता की मनःस्थिति सामने आ जाती है।[44] यह केवल एक छोटा सा उदाहरण है। पूरे भारत में इस तरह की तमाम छोटी बड़ी घटनायें हैं जिनका यदि क्षेत्रीय इतिहासलेखन होगा तो न केवल भारतीय राष्ट्रीयता मजबूत होगी बल्कि भारत में राष्ट्रवाद की जड़ें किस रूप में और कहाँ तक विद्यमान थीं यह भी सामने आयेगा।

आवश्यकता है भारत के इतिहास के पुनर्मूल्यांकन में क्षेत्रीय स्तर से इतिहासलेखन पर कार्य किये जाने की। प्रत्येक प्रान्त और जिले का स्थानीय स्तर पर गंभीरता से इतिहासलेखन किया जाये और उसके बाद उस घटना का राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन करते हुये राष्ट्रीय इतिहासलेखन किया जाये। भारत के इतिहास को सही करने में क्षेत्रीय इतिहास की अहम् भूमिका है जरूरत है क्षेत्रीय इतिहास को समृद्ध बनाने की। क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर लिखा गया इतिहास एक नये भारत को सामने लायेगा जिसकी राष्ट्रीयता वर्तमान भारत से कहीं अधिक मजबूत होगी। साथ ही देश के कुछ ऐसे नायक सामने आयेंगे जो इतिहास की वर्तमान व्याख्या की कमियों के कारण मुख्य धारा में शामिल होने से वंचित रह गये। भारतीय इतिहास जो व्यक्ति और वंश की कील से बँधा रह गया उसे अलगकर उसके विस्तार की आवश्यकता है और वर्तमान परिस्थितियों में स्थानीय इतिहास की विधा इस दिशा में उम्मीद की किरण का संचार कर रही है। निकट भविष्य में इससे अनछुये पहलुओं पर प्रकाश पड़ेगा जिससे भारत और अधिक मजबूत राष्ट्र के रूप में सामने आ सकेगा जिसके नागरिकों को अपने देश पर गर्व होगा और जहाँ का प्रत्येक

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

नागरिक इसके प्राचीन गौरव से परिचित होगा। भारत पर मुगल शासन काल और अंग्रेजी शासन काल की अवधि देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के प्रति भक्ति में लेशमात्र एकता की कमी और दृढ़ संकल्प का अभाव के दोष के परिणामस्वरूप शताब्दियों की दासता के दंश की याद कराते रहेंगे और भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाये रखने के प्रति उसे संकल्पित रखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति देशहित में अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करेगा और अपने अतीत से प्रेरणा लेगा साथ ही अब तक भारतीय इतिहास पर लिखने वाले साम्राज्यवादी, मार्क्सवादी, सबाल्टर्न, कैम्ब्रिज, नवपरम्परावादी इतिहासकारों का सच सामने आयेगा जिन्होंने न केवल भारतीय इतिहास को विकृत किया बल्कि इसकी गलत व्याख्या भी प्रस्तुत की।

संदर्भ सूची

1. कार्ल हीगल : द ओरिजिन एण्ड गोल ऑफ हिस्ट्री
2. ई0एल0 हस्कल : थीम्स इन रूरल हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड
3. लालबहादुर वर्मा : इतिहास के बारे में, इतिहास बोध प्रकाशन, इलाहाबाद 2000.
4. बी0के0 श्रीवास्तव, इतिहास लेखन : अवधारणा, विधायें एवं साधन, SBPD, आगरा 2005.
5. आर0जी0 कलिंगवुड : द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 1978.
6. डेविड थाम्सन : द एम्स ऑफ हिस्ट्री, 1972
7. कर्नल टॉड : अन्नल्स एण्ड ऐन्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान खण्ड 1, 2 1820.
8. जे0एफ0 फ्लीट : डाइनेस्टीज ऑफ कनारिज डिस्ट्रिक्ट
9. ई0सी0 बेले : लोकल मोहम्मडन डायनेस्टीज ऑफ गुजरात
10. एच0विलियम : काठियावाड़ का इतिहास
11. विलियम जोन्स ने मनुस्मृति के अनुवाद (1794) के आमुख में पृ0 19 पर अपनी औपनिवेशिक नीति को स्पष्ट करते हुये कहा है कि ''यदि इस नीति पर चला जाये तो लाखों–करोड़ों हिन्दू प्रजा द्वारा सुनियोजित उद्योग धन्धे काफी हद तक ब्रिटेन की धन व सम्पत्ति में ही वृद्धि करेंगे।
12. भगवान लाल इन्द्र : भारत के प्रथम भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे।
13. आर0जी0 भंडारकर : कलेक्टेड वर्क्स ऑफ भंडारकर 4 भाग, पूना–1927–33
14. राजेन्द्र लाल मित्र : इण्डो–आर्यन्स : कान्ट्रीब्यूशन्स टूवर्डस द एलुसीडेशन ऑफ देयर एनशिएन्ट एण्ड मेडिवल हिस्ट्री.
15. बाल गंगाधर तिलक : द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज
16. एन0सी0रे : डायनेस्टीक हिस्ट्री ऑफ नार्थ इंडिया

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

17. नीलकण्ठ शास्त्री : द चोलाज (द्वितीय संस्करण, मद्रास, भारत)

18. हाल ही में प्रदर्शित सिनेमा 'तान्हाजी' (जो महाराष्ट्र में एक नाट्य मंडली द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत की जाने वाली ऐतिहासिक नाट्य कथा पर आधारित थी) में शिवाजी और उनके एक सूबेदार की राष्ट्रप्रेम की भावना को दर्शाया गया है जो यह प्रदर्शित करता है कि एक सूबेदार के अंदर इतना राष्ट्रप्रेम का भाव है तो शिवाजी के पूरे साम्राज्य और प्रत्येक सूबेदार का राष्ट्रप्रेम कितना अधिक होगा।

19. रोमिला थापर : प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास पृ0 310–311.

20. सतीशचन्द्र : मध्यकालीन भारत में इतिहास लेखन, धर्म और राज्य का स्वरूप, पृ0 54.

21. उदाहरण के लिये शेखर पाठक तथा रामचन्द्र गुहा के 'पहाड़'–4 में प्रकाशित लेख 'स्थानीय इतिहास, जन–इतिहास या राष्ट्रीय इतिहास में उद्धृत देवेन्द्र प्रसाद जोशी की निम्नलिखित पंक्तियों को देखा जा सकता है–

    ''कुमायूँ के जितने भी इतिहास आज तक लिखे गये हैं, वे प्रतिक्रियावाद के फतवे हैं। किसी इतिहास में जनसाधारण के ऐतिहासिक जीवन पर प्रकाश नहीं डाला गया है.... कुमायूँ के कांग्रेस संगठन की कढ़ाई की कालिमा देहातियों को मिली है तो मलाई का हकदार यही शहरी जेण्टलमैन वर्ग है। यह वर्ग जानता है कि यदि जन साधारण ने उत्कर्ष पथ पकड़ लिया तो विशेषाधिकारी वर्ग के लोग केवल अजायबघरों की शोभा बनेंगे न कि जनतान्त्रिक संस्थाओं की ....,'' पृ0 200

22. बद्रीनारायण : लोक–संस्कृति और इतिहास, लोक भारती, इलाहाबाद, 1994 पृ0 71.

23. शाहिद अमीन, ज्ञानेन्द्र पाण्डेय : निम्नवर्गीय प्रसंग, भाग–2, पृ0 181.

24. अंगुत्तर निकाय 1, 213, 4, 252, 256, 260

25. हिन्दू सिविलाइजेशन, पृष्ठ 198

26. पार्जिटर : डायनेस्टीज ऑफ द कलि एज, पृष्ठ 5

27. हिन्दूशाही वंश भारत का पहला महत्वपूर्ण हिन्दू राज्य था जिसकी राजधानी उद्भांडपुर थी। यह राज्य मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार हुआ था।

28. काफिरिस्तान का प्राचीन नाम कपिशा भी है।

29. ए0एल0 श्रीवास्तव : द सल्तनत ऑफ देलही पृ0 12–13

30. आर0सी0 मजूमदार : द क्लासिकल एज पृ0 175

31. चोपड़ा, पुरी, दास : 'ए कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, वाल्यूम 2.

32. सैय्यद अतहर अब्बास रिजवी : मुगलकालीन भारत (हुमायूँ)

33. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव : मुगलकालीन भारत

34. .भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से प्रारम्भ मानकर उसका काल विभाजन किया गया : 1885–1905– उदारवाद का युग, 1905–1919– उग्रवाद का युग और इस काल के पूरे इतिहास को इसी कालक्रम में

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

सामने लाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जिस भी विचारधारा का प्रभुत्व रहा उसके सामानान्तर भी समान महत्व की घटनायें चलती रहीं जो भारत की स्वतंत्रता के लिये समान महत्व रखती हैं। उदारवाद के युग के दौरान ही 1895–1905 के बीच दक्षिण बिहार में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ जिनके संघर्ष ने ब्रिटिश सरकार को काफी हद तक परेशान कर दिया लेकिन यह घटना मुख्य धारा में पर्याप्त स्थान न पा सकी इसी तरह इसी अवधि में तमाम क्रान्तिकारी घटनायें भी हुयीं लेकिन इतिहास का विद्यार्थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विचारधारा के काल विभाजन के साथ उलझा रह जाता है उसी को वह भारत का इतिहास समझता है और अन्य महत्वपूर्ण घटनायें किनारे रह जाती हैं न वह उसे पूरी तरह पढ़ पाता है न उसके सही महत्व से परिचित हो पाता है।

35. विश्वामित्र उपाध्याय, सन् सत्तावन के भूले–बिसरे शहीद, भाग–2, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को लिखकर ही हम राष्ट्रीय इतिहास को समृद्ध कर सकते हैं।

36. काली किंकर दत्त : बिहार में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 1974.

36. डॉ0 सचिन राय : 'तमकुहीराज का अंग्रेजों से संघर्ष' शोधपत्र–अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति द्वारा आयोजित संगोष्ठी में प्रस्तुत।

36(A). डॉ0 अंजना राय : 'जलियांवाला बाग नरसंहार' (आजादी का प्रस्थान बिन्दु) शोधपत्र।

36(B). डॉ0 अंजना राय : 'चौरीचौरा की घटना और इतिहासलेखन के विविध स्वर' शोधपत्र–अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति द्वारा आयोजित संगोष्ठी में प्रस्तुत।

36(C). सतारा, मेरठ, बलिया

37. हर्देकर मंजप्पा (कर्नाटक के गाँधी), डॉ0 एन0एस0 हार्डीकर (1958 में पद्यम विभूषण से सम्मानित), रामस्वरूप देवी (बिहार की लक्ष्मीबाई), झलकारी बाई (रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी), अक्कक्सा चेरियन (त्रावणकोर की झांसी की रानी), कनकलता बरूआ (पूर्वोत्तर की वीर), टिकेंद्र जीत सिंह (मणिपर का सिंह), तंगुतुरी प्रकाशम पांटुलु (आंध्र के शेर), वी0ओ0 चिदम्बरम पिल्लै (प्रथम स्वदेशी शिपिंग कम्पनी के संस्थापक), लचित बरफूकन (पूर्वोत्तर भारत के शिवाजी) जैसे अनगिनत नाम हैं जो अपने वास्तविक महत्व को नहीं पा सके हैं।

38. नीलकण्ठ शास्त्री : ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम प्रीहिस्टारिक टाइम्स टू द फाल ऑफ विजय नगर, द्वितीय संस्करण, नई दिल्ली।

39. बद्रीनारायण : लोक–संस्कृति में राष्ट्रवाद।

40. शाहिद अमीन, ज्ञानेन्द्र पाण्डेय : निम्नवर्गीय प्रसंग, भाग–1, पृ0 13.

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

41. रणजीतगुहा से बद्रीनारायण की बातचीत, परख, पृ0 9.
42. ई0एच0कार : इतिहास क्या है।
43. सुभाष चन्द्र बोस : दि इंडियन स्ट्रगल
44. शाहिद अमीन : इवेंट, मेटाफर, मेमोरी, चौरीचौरा 1922—1992, पृ0 30—35

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

3

औपनिवेशिक इतिहास लेखन में भारत राष्ट्र की अवधारणा

डॉ० सचिन राय
पूर्व आई.सी.एच.आर. फेलो
इतिहास विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

शोध सारांश

इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है, वहीं इतिहास लेखन अतीत की व्याख्या के अध्ययन से सम्बन्धित है। जब हम किसी भी घटना जो हमारे बात करते ही बीत जाती है उसे कुछ समय बाद अध्ययन के लिए चुनते हैं, तो इतिहास का निर्माण होता है। हर समाज और देश का अपना इतिहास है, उसकी उस देश और समाज के लोग जितने अच्छे ढंग से व्याख्या करते हैं उनको उतना ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों को अपने इतिहास के गौरव का पूर्णरूपेण ध्यान रखना पड़ता है जब दूसरे लोग इसकी व्याख्या करेंगे तो अपनी जरूरतों को ध्यान में रखेंगे। अगर हम भारत के सन्दर्भ में बात करें तो हमारे पास उज्जवल अतीत दिखाई देता है जिसकी शुरूआत ऋग्वेद से देखी जा सकती है। चाहे जो भी कारण रहे हों भारत अतीत काल से ही विदेशी आक्रान्ताओं का सामना करता रहा। वे भारत को लूटने के लिए आए, साथ में उनकी दृष्टि भारत के अतीत पर भी लगी रही। यहाँ हमारे पास जो विषय है वह साम्राज्यवादी इतिहास लेखन से सम्बन्धित है। जिसका मूल विषय प्रारम्भ से ही यह रहा कि भारतवासियों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का सदैव अभाव रहा है। घटनाओं के विवरण में तिथिक्रम के सही निर्वाह के प्रति उदासीनता एवं तथ्य विशेष को कल्पित एवं पौराणिक कथाओं के परिवेश में रखकर विकृत करने की प्रवृति का भी आरोप लगाया जाता है।

बीज शब्द

साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, भारतीय उपमहाद्वीप, ईसाई मिशनरी, 1813 ई0 के चार्टर एक्ट, जातीय श्रेष्ठता, साम्राज्यवाद, राष्ट्रीय आंदोलन 'भारतीय राष्ट्र', भारतीय चित्त, राष्ट्रवाद

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

शोध विस्तार

सामान्यतः यह माना जाता रहा है कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की शुरूआत 1813 ई0 के चार्टर एक्ट के आधार स्वरूप स्थापित किया गया था। पर सत्य तो यह है कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन इस एक्ट के बनने से पूर्व ही प्रचलित हो चुका था। उसकी जड़ें तो उस समय से देखी जा सकती है, जब यूरोपीय लोगों का भारत में आगमन प्रारम्भ हुआ था। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रारम्भ में उन्होंने न कोई इतिहास लिखा और न ही उन्होंने भारत सम्बन्धी कोई विशेष वृतान्त दिया। यह स्पष्ट है कि उन्होंने भारत सम्बन्धी विचार एवं धारणा प्रस्तुत की और उसी के आधार पर एक कल्पना उभरनी शुरू हुई जिसने यूरोपवासियों को भारत से सम्बन्धित कल्पना को एकस्वरूप प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया था। निश्चित तौर पर भारतवासियों को समझने का गम्भीर प्रयास 18वीं शताब्दी के अन्त से शुरू हुआ। इस समय तीन प्रकार के लेखन कार्य आने प्रारम्भ हुए। प्रथम वह लेखन कार्य थे जो ईस्ट इंडिया कम्पनी से सम्बन्धित अधिकारियों ने आरम्भ किये थे। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अलग–अलग स्थानों पर जाकर उसकी भौगोलिक स्थिति, यहाँ के निवासियों में प्रचलित धार्मिक–सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में सूचनायें प्राप्त कीं। भारत से सम्बन्धित इस प्रथम लेख कार्य को सरकारी लेखन भी कहा जा सकता है।[1]

दूसरा लेखन–कार्य मिशनरियों ने प्रारम्भ किया। इन मिशनरियों के सामने गम्भीर समस्या 18वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में आई। सरकार ने मिशनरियों को धर्म परिवर्तन के कार्य में सहयोग देना अस्वीकार कर दिया था। अब ईसाई मिशनरियों ने यह कहना शुरू किया कि भारत के लोग न केवल विज्ञान की दृष्टि से पिछड़े हुए थे बल्कि ये लोग आध्यात्मिक तौर पर भी पिछड़े हैं। उन्हें पिछड़ापन दूर करने के लिए ईसाई धर्म को अपनाना पड़ेगा। एक नई विचारधारा का विकास हुआ जिसमें भारत में वास करने वाले लोग हिन्दू व मुसलमान को क्रूर एवं निरंकुश माना गया था। इसमें यह अवधारणा हिन्दू हत्या करने से घबराते हैं गलत है।[2]

तीसरी विचारधारा की शुरूआत 1784 में सर विलियम जोन्स के वॉरेन हेस्टिंग्स से आज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल' की स्थापना के साथ होती है। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल इस आधार पर नियुक्त किया गया कि उसकी जानकारी भारत के सम्बन्ध में सबसे अधिक थी। इसी कारण उस समय यह बात तेजी से प्रचलित होने लगी की भारत में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए भारत से सम्बन्धित सूचनाओं से अवगत होना आवश्यक है।

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

कुछ अन्य प्रमाण भी मिलते हैं जो हेस्टिंग्स के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं। 4 अक्टूबर, 1784 ई0 को एम. स्मिथ को लिखे एक पत्र में वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा– ''हर प्रकार के ज्ञान के संग्रह, विशेषकर उन लोगों के सामाजिक संपर्क और संप्रेषण से प्राप्त ज्ञान जिन पर विजय प्राप्त करने के अधिकार से हमें शासन करना है, हमारे राज्य के लिए उपयोगी रहेगा।''[3] हेस्टिंग्स के पत्र से जाहिर होता है कि वह भारत में कंपनी के राज और प्रशासन की बुनियादें मजबूत करने के लिए यहाँ की संस्कृति और इतिहास को समझने की अनिवार्यता का अनुभव कर रहा था। इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारियों को प्रशासनिक सुविधा एवं प्रचार के लिए ऐतिहासिक ग्रंथों की आवश्यकता महसूस हुई। इनका मानना था कि युद्ध के मैदान में तलवार के बल पर उपनिवेशों को जीत लेने से ही वहाँ शासन लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है, हमें जीते गए लोगों के धर्म, संस्कृति, इतिहास संबंधी वैचारिक अध्ययनों को प्रभावित करना पड़ेगा। उनको समझाना पड़ेगा, तथा इनके दिमाग को बदलना पड़ेगा तभी साम्राज्य दीर्घजीवी बनेगा। इसी आधार पर साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की शुरुआत मानी जा सकती है। इस इतिहास लेखन में शक्ति को ज्ञान के आधार पर थोपने का प्रयास किया गया।[4]

साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के द्वारा प्रारंभ में भारतीय इतिहास को सभ्यता तथा संस्कृति को जानने के माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया, फिर आगे चलकर पूरबवाद की अवधारणा का विकास किया गया। हम 'हम' हैं, वे 'वे' हैं। यानि हम गोरे हैं वे काले हैं; हम विकसित हैं, वे अविकसित हैं; हम सभ्य हैं, वे असभ्य हैं; इत्यादि। इस तरह साम्राज्यवाद को जायज ठहराने के लिए, पश्चिम को अपने विपरीत 'अन्य' की निर्मिति करनी पड़ी। इसी को एडवर्ड सईद ने 'पूरबिया' विमर्श अथवा पूरबवाद (ओरिएंटलिज्म) कहा है,[5] जिसके तहत पश्चिम ने पूर्व को न केवल सैन्य तथा राजनीतिक रूप से परिभाषित–शासित किया, वरन् भौगोालिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से भी पूर्व के लोगों को उनकी वास्तविक अस्मिता के स्थान पर अलग 'पूरबिया' पहचान दी। यहीं से पूरब के लोगों के बारे में 'रूढ़िगत अन्य' (स्टीरिओटाइप्ड) का आख्यान अलापा जाने लगा, जो आज भूमंडलीकरण के युग में भी बदस्तूर जारी है।[6] इस तरह अगर हम उपनिवेशवाद और भूमंडलीकरण को आधुनिक युग के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के रूप में देखें तो, तमाम ऐतिहासिक बिंदु स्पष्ट हो जाते हैं।

साम्राज्यवादी इतिहास–लेखन की प्रवृत्ति का मूल इस सर्वविदित अभिधारणा में दृष्टिगोचर होता है। यह अभिधारणा यूरोपीय लोगों को एशियाई लोगों की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं उच्चतर उद्देश्यों से काम करने वाला ठहराती है तथा एशियाई लोगों को निहित

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

स्वार्थ से काम करने वाला सिद्ध करती है। भारत में इतिहास लेखन की प्रक्रिया इतिहास निर्माण के साथ–साथ आगे बढ़ी। जो सैनिक, प्रशासक एवं व्यापारी भारत आए वे सभी इतिहासबोध से संपृक्त थे और उन्होंने उपदेशात्मक राजनीतिक ग्रंथ प्रकाशित करके ब्रिटिश सरकार की नीति निर्धारित करने वालों को प्रभावित करने का प्रयास किया।[7] इंग्लैंड, फ्रांस एवं हालैंड में दो प्रकार की विचार शैलियों का प्रादुर्भाव हुआ। उसमें से एक पुरातनपंथी थी तथा दूसरी उदार। इन दोनों का मत यूरोपीय लोगों का आधिपत्य बनाए रखने के विषय में एक था। किन्तु उपनिवेशवादी ढांचे के अन्दर शासन व्यवस्था के तरीके के विषय में मतभेद था। कालांतर में कई अन्य विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ। उनमें से कुछ प्रमुख शैलियों का संक्षिप्त उल्लेख समीचीन होगा। पहली शैली 'जेम्स मिल' की है। इन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका बल कानून एवं सुशासन के ऊपर था क्योंकि इनका निश्चित मत था कि भारतीय समाज जाति–पांति की संकीर्ण भावना, विशेषाधिकार एवं पूर्वाग्रहों से रुग्ण था और इसका विकास एक प्रबुद्ध तानाशाही के द्वारा ही संभव था।[8] सर विलियम जोन्स, कनिंघम, विल्किन्स, मुनरो, मलकाम और एलिफिंस्टन दूसरी विचारधारा के प्रणेता थे। इन लोगों ने भारतीय समाज के विषय में बहुत अनुकूल विचार रखे थे। इन लोगों ने भारतीय राजनीति की सही स्थिति एवं प्रकृति का चित्रण भारतीय संस्थाओं की सहानुभूतिपूर्ण समझ के साथ किया।[9] तीसरे, शोर एवं ग्रांट जैसे धर्मगुरुओं ने जो धर्म प्रचारकों द्वारा समर्पित थे, भारत में अंग्रेजी शासन को उचित ठहराया। उनके अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन अभिशप्त मानवता के उद्धार के लिए एक पूर्व नियोजित ईश्वरीय घटना थी। उन्होंने भारतीय समाज को धर्मांतरण एवं शिक्षा के द्वारा बदलने का प्रयास किया।[10] चौथे अल्फ्रेड लायल, हेनरी मेन एवं विलियम हन्टर जैसे विद्वानों ने ब्रिटिश शासन को पश्चिम एवं पूर्व के परस्पर मेल के रूप में देखा एवं भारतीय समाज एवं संस्थाओं के अध्ययन में रुचि दिखाई।[11] पांचवें, पी. ई. राबर्ट्स, टी.जी.पी. स्पीयर, प्रोफेसर सी.एच. फिलिप्स, प्रोफेसर होल्डेन फर्वर, प्रोफेसर बालहेचेट तथा कुछ अन्य विद्वानों ने राके की इतिहास लेखन शैली को अपनाया। इन लोगों ने स्रोतों की सावधानी से आलोचनात्मक तरीके से सूचनाएं प्रस्तुत कीं।[12]

भारतीय इतिहास में यह दृष्टिकोण सबसे पहले लार्ड डफरिन, कर्जन, और मिंटो जैसे वायसरायों और भारत सचिव जार्ज हैमिल्टन की राजकीय घोषणाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। वी. चिरोल, रौलट (राजद्रोह) समिति की रिपोर्ट, वर्नी लोवेट और मांटेग्यू चेम्सफोर्ड ने इसको अधिक तर्कसंगत बनाकर पेश किया है।[13] पहली बार सन् 1940 में एक अमरीकी विद्वान ब्रूस टी. मैकुली ने इसको सैद्धांतिक जामा पहनाया। इस

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

सिद्धांत के उदारवादी पक्ष को रेजिनॉल्ड कोपलैंड ने और सन् 1947 के बाद के इतिहास लेखन में पर्सिवल स्पियर ने अपनाया था।[14]

साम्राज्यवादी इतिहासकार नहीं मानते हैं कि भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में था। उनका मानना है कि जिसे भारत कहा जाता है वास्तव में वह धर्मों, जातियों, समुदायों और अलग–अलग हितों का समुच्चय भर था। इस तरह भारतीय राज्य व्यवस्थाओं के वर्गीकरण को ये इतिहासकार 'भारतीय राष्ट्र' अथवा 'भारतीय जाति' या सामाजिक वर्गों की अवधारणाओं के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि इन कोटियों की जगह यहाँ पर पहले से लोगों की पहचान हिन्दू–मुसलमान, ब्राह्मण–गैर ब्राह्मण, आर्य, भद्रलोक (सुसंस्कृत जन) और इसी प्रकार के दूसरे समूहों के रूप में की जाती थी। उनका कहना है कि जाति और धर्म के आधार पर बने सदियों से चले आ रहे समूह राजनीतिक संगठन के मुख्य आधार थे। इसलिए जाति और धर्म पर आधारित राजनीति ही यहाँ पर मुख्य है। राष्ट्रवाद तो इसका ऊपरी आवरण मात्र है।[15]

यदि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद के विरूद्ध भारतीय जनता के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो प्रश्न उठता है कि यह किसके हित का प्रतिनिधित्व करता है? एक बार पुनः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश अधिकारियों और साम्राज्यवाद के प्रवक्ताओं ने इसके तर्क और उत्तर प्रस्तुत किए। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जन–आंदोलन नहीं था बल्कि यह अभिजन (इलीट्स) समूहों की जरूरतों और हितों की उपज था। इन समूहों ने गुट की स्वार्थसिद्धि के लिए इसका प्रयोग किया। इस प्रकार राष्ट्रवादी विचार, विचारधारा और आंदोलन के आविर्भाव और प्रेरणा के पीछे मुख्य शक्ति अभिजन समूह तथा उसकी जरूरतें और हित थी। इन समूहों का गठन कभी–कभी धार्मिक और जातिगत पहचान के आधार पर और कभी–कभी संरक्षण के इर्दगिर्द बने राजनीतिक संपर्कों के आधार पर होता था। लेकिन दोनों ही मामलों में, चाहे ब्रिटिश हुकूमत के विरोध का मामला था या आपस में एक–दूसरे का विरोध हो, इस विरोध के पीछे उनका संकीर्ण निजी स्वार्थ ही काम करता था।[16] यहाँ पर राष्ट्रवाद को मूलतः एक ऐसी विचारधारा माना गया है, जिसका इस्तेमाल वे अभिजन समूह अपनी संकीर्ण महत्वाकांक्षाओं को न्यायोचित ठहराने और जनसमर्थन जुटाने के लिए करते थे। राष्ट्रीय आंदोलन तो सिर्फ एक उपकरण था जिसका उपयोग अभिजन समूह जनता को लामबंद करने और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया करता था। जो परोपकारी ब्रिटिश राज के विरूद्ध लड़ने के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर रहा था, वहाँ इस दृष्टिकोण

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

के समानांतर एक दृष्टिकोण विकसित किया जिसके सूत्र चिरोल और रौलट कमेटी की रिपोर्ट में विद्यमान थे।[17] इस दृष्टिकोण के मुताबिक ब्रिटिश राज की कृपा दृष्टि पाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन एक अभिजात गुट के विरूद्ध दूसरे अभिजात गुट के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। वे अपनी बात इस प्रकार रखते हैं, ''यह मानना काफी भ्रामक होगा कि देश की जनता की यह लामबंदी मुख्य रूप से विदेशी शासन के विरूद्ध संचालित थी। साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के बीच ऊपर से दिखने वाले संघर्ष पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन उनके बीच आपसी भागीदारी व अध्ययन भी उतना ही लाभदायक होगा।'' तो फिर राष्ट्रीय आंदोलन के उद्‌भव और विकास में ब्रिटिश राज का मुख्य योगदान यह रहा कि उसने भारतीय लोगों के बीच ईर्ष्या और संघर्ष को तेज किया और आपसी शत्रुता के लिए नए क्षेत्र और नई संस्थाओं का निर्माण किया।[18]

राष्ट्रवादी आंदोलन की बढ़ती शक्ति के सामने पुराने मत के साम्राज्यवादियों द्वारा दिए गए जवाब ने उनके सशंकित सहज आत्मविश्वास को फीका कर दिया था। 1888 में 'सन जॉन स्ट्रेची' ने कड़े शब्दों में घोषणा की थी कि 'भारत जैसी कोई चीज न तो है और न कभी होगी'। यह घोषणा करते समय उनकी मुद्रा कुछ वैसी ही थी जैसी किसी जिराफ का बहादुरी के साथ मुकाबला करते समय चिड़ियाघर के किसान की होती है। भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पहली और आवश्यक बात है यह जानना कि भारत जैसी कोई चीज या कोई देश न तो है और न कभी होगा जिसमें यूरोपीय विचारों के अनुसार भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक एकता जैसी कोई एकता हो। जिसके बारे में हम इतना कुछ सुनते आए हैं वैसा न तो कोई भारतीय राष्ट्र है और न कहीं भारत की जनता है।[19]

भारत को एक राष्ट्र मानने की धारणा उस भद्‌दी भूल पर आधारित है जिसको राजनीतिशास्त्र मुख्यतया दूर करना चाहता है। भारत कोई राजनीतिक नाम नहीं है बल्कि यह यूरोप या अफ्रीका की तरह मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। यह किसी एक राष्ट्र या एक भाषा की सीमा रेखा को नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रों और उनकी भाषाओं की सीमा का अंकन करता है।[20] 'सम्मान क्या है?' सर जान फलस्टाफ ने सवाल किया और खुद ही जवाब दिया– 'एक शब्द।' इस शब्द सम्मान में क्या है, वह सम्मान क्या है? एक दिखावा। इसी गहन यथार्थवाद की भावना में हमारे आधुनिक 'सर जान' जैसे महाशयों ने विदेशी शासन से मुक्ति के लिए करोड़ों भारतीयों के संघर्ष को एक 'भद्‌दी भूल' साबित किया है। इसी प्रकार आस्ट्रियाई साम्राज्य के सिद्धांतकारों ने अपने संतोष के लिए यह साबित कर दिया था कि इटली एक 'भौगोलिक अभिव्यक्ति' है।[21]

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

उल्लेखनीय है कि उन्नीसवीं शताब्दी के अंत से साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का वास्तविक स्वरूप और अधिक स्पष्टता से हमारे सामने उभर कर आता है। जैसा कि हमने देखा कि दो प्रकार की प्रवृत्तियां थीं। दोनों में साम्राज्यवाद के मूल औचित्य को लेकर एकरूपता थी लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद के संबंध में इन दोनों विचारों में अंतर देखा जा सकता है। एक ओर जहाँ जॉन स्ट्रैची, वेलेन्टाइन चिरोल तथा लॉवेट जैसे इतिहासकारों ने कट्टर विचार तथा आलोचनात्मक नजरिया भारतीय राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद के प्रति अपनाया वहीं दूसरी ओर हेनरीमैन, एल्फ्रेड लॉयल तथा एडवर्ड टॉमसन जैसे इतिहासकारों के दृष्टिकोण कुछ उदारवादी थे। साम्राज्यवादी इतिहासकारों की मूल अवधारणाओं को निम्नवत् देखा जा सकता है– (1) भारत आधुनिक परिभाषा वाला राष्ट्र होने के बजाय मात्र अलग–अलग जातियों, धर्मों और कबीलों का देश है, (2) ऐसी हालत में वह स्वयं अपना शासन संभालने के काबिल नहीं है, (3) दैवयोग से अंग्रेज हिन्दुस्तान में आए और उन्होंने अपनी जातीय श्रेष्ठता के आधार पर यह देश जीता और यहाँ आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। इससे भारतीयों को प्रशासन चलाने का धीरे–धीरे ज्ञान हुआ। टॉमसन का मानना है कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद अपने निहित स्वार्थों से बनाया गया था लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी जोड़ दिया कि इससे भारत में चतुर्मुखी विकास हुआ है, (4) दोनों ही प्रकार के इतिहासकार यह मानकर चले कि भारत में शांति बनाए रखने, संप्रदायों के बीच इंसाफ करने, आधुनिक ज्ञान–विज्ञान से शिक्षित करने, भारतीय किसानों के मां–बाप के बतौर काम करने के लिए अंग्रेजों का शासन जरूरी है। एल्फ्रेड लॉयल जैसे लेखकों ने यह भी प्रमाणित करने का प्रयास किया कि अंग्रेजी शासन धीरे–धीरे हिन्दुस्तानियों को अपना खुद का राज्य चलाने के लिए तैयार कर रहा है। टॉमसन और गैरट ने इसी प्रक्रिया को अंग्रेजी व्यवस्था में 'फुलफिलमेंट' या 'परितोष' का नाम दिया तथा अप्रत्यक्ष रूप से स्वाधीनता के उद्देश्यों को स्वीकृति प्रदान की।[22] दूसरी ओर, अंग्रेजी सरकार के प्रशासनिक दृष्टिकोण को देखने से स्पष्ट होता है कि काफी समय तक उनका यही मानना रहा कि भारत का तथाकथित राष्ट्रवाद व राष्ट्रीय आंदोलन वास्तव में ''माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी'' या पढ़े–लिखे अल्पसंख्यकों का स्वार्थी एवं गैर जिम्मेदाराना जमघट है जिसने अंग्रेजों द्वारा दी गई रियायतों का अनैतिक लाभ उठाने एवं जनता को ब्रिटेन के सुशासन के विरूद्ध भड़काने का बार–बार प्रयास किया है। इस प्रकार साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के पूर्वाग्रहपूर्ण एवं स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण को देखा जा सकता है।

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

समाजवादी इतिहास लेखन का पूर्ण प्रयास 'ईस्ट इज ईस्ट एण्ड वेस्ट इज वेस्ट' के विचार को भारत के संदर्भ में सही साबित करना था। आजादी के बाद भारतीय इतिहासकारों ने बदस्तूर औपनिवेशिक मानसिकता को जारी रखा है इनमें कैम्ब्रिज इतिहासकार, नव परम्परावादी इतिहासकार, मार्क्सवादी इतिहासकार मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं। ये अपने निहित स्वार्थ के कारण भारतीय इतिहास के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं अपना सके। आजादी के बाद भी भारतीय इतिहास का इन इतिहासकारों द्वारा गलत ढंग से व्याख्या किया गया है जो औपनिवेशिक इतिहास लेखन से भी ज्यादे खतरनाक है। आजादी के 70 वर्षों के बाद भारतीय इतिहास के प्रति भारतीय चित्त (मानसिकता) का अभाव देखा जा सकता है। इसे उच्च अकादमिक संस्थानों में भी व्याप्त किया जा रहा है। जरूरत है भारत को विश्व मंच पर स्थापित करने के लिए तथा विश्व गुरू बनाने के लिए भारतीय चित्त के अनुसार भारत के इतिहास की व्याख्या होनी चाहिए तभी भारत को गौरव की प्राप्ति होगी तथा यह देश परम वैभव के तरफ अग्रसर होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकारियों को भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक क्षेत्रों में भ्रमण करने के निर्देश दिये थे। इसी के फलस्वरूप जेम्स रेनेल ने 1793 में 'मेमॉयर ऑफ ए मैप ऑफ हिंदुस्तान ऑफ द मुगल एंपायर' तैयार की। इसमें उन सब स्थानों का भौगोलिक वृत्तान्त प्रस्तुत किया गया जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित थे। इसी के साथ ब्यूकानन ने दक्षिण भारत में भ्रमण कर अपनी रिपोर्ट 1803 तक प्रस्तुत की। ब्यूकानन ने पूर्व में स्थापि स्थानों का भी भ्रमण किया था। कलकत्ते के साथ बिहार एवं गोरखपुर तक के क्षेत्र का वृतान्त इसने दिया।
2. 18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में रॉबर्ट ओर्मे ने भारत संबंधी दो पुस्तकें लिखी थी। इनमें उसने भारत में वास करने वाले हिन्दुओं को ऐसे प्रस्तुत किया था जिनके साथ सहानुभूति का उभरना स्वाभाविक था। ओर्मे ने हिन्दुओं को शाकाहारी बताया था और प्रदर्शित करने का प्रयास किया था कि मुसलमानों से अलग यह लोग अहिंसा के समर्थक थे। उसके अनुसार, हिन्दू खून बहाने से घबराते थे। रॉबर्ट ओर्मे के विचार मिशनरियों के लेखन–कार्य आने के पूर्व तक सम्पूर्ण यूरोप में प्रचलित रहे थे।
3. पी.जे. मार्शल, ब्रिटिश डिस्कवरी ऑफ हिंदुइज्म इन द नाइनटींथ सेंचुरी, पृ. 189
4. नंदी, आशीष, द इनटिमेट एलिमी लॉस एंड रिकवरी ऑफ सेल्फ अंडर कोलोनियलिज्म, ओ.यू.पी., दिल्ली, 1998
5. एडवर्ड सईद, ओरियेंटलिज्म, न्यूयार्क, विंटेज, 1979
6. एडवर्ड साईद कल्चर एंड इंपरीयलिज्म, लंदन, विंटेज, 1994

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

7. शेखअली, बी., हिस्ट्री, इट्स थ्योरी एंड मेथड, मैकमिलन प्रकाशन, सेकेंड एडीशन 1981, रिप्रिंट 1991, पृ. 332
8. वही, पृ. 332
9. वही, पृ. 333
10. वही, पृ. 333
11. वही, पृ. 333
12. वही, पृ. 334
13. चिरोल, वेलेंटाइन, इंडिया अनरेस्ट, लंदन 1910
14. मैकुली, बी.टी., इंग्लिश एजूकेशन एंड द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म (न्यूयार्क, 1940)। साथ ही पी. स्पियर, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, Vol. III, पेंग्विन, 1987
15. चंद्र, बिपिन, भारत का स्वाधीनता संघर्ष, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पुनर्मुद्रण 2001, भूमिका XIX, XX
16. वहीं, पृ. 20
17. रौलेट कमेटी की रिपोर्ट, वेलेंटाइन चिरोल को आधार बनाकर अनिल सील ने इस सूत्र का विकास किया है। उद्धृत, बिपिन चंद्र, वही।
18. चंद्र, बिपिन, वही, पृ. XXI.
19. सर जान स्ट्रेची, इंडिया, इट्स ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐंड प्रोग्रेस, 1888, पृ. 5
20. सर जान सीले, दि एक्सपेंशन आफ इंग्लैंड, 1883, पृ. 254–57
21. सर जान फलस्टाफ के इस प्रश्न और उत्तर का उल्लेख रजनी पाम दत्त, आज का भारत, वही, में उल्लेख किया है।
22. टॉमसन और गैरेट, दि राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पृ. 10–20

———

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

4

शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावशीलता

डॉ. अनुपम सिंह
सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग
दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

शोध सारांश

शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुचारु, सुलभ, आकर्षक, मनोरंजक तथा प्रभावशाली बनाने में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की विशेष भूमिका है। ज्ञान का निर्माण, संचयन, स्थानांतरण एवं विकास में सूचना एवं संचार तकनीकी के विभिन्न साधनों की महत्वपूर्ण उपयोगिता है। सूचना एवं संचार तकनीकी का अर्थ समझना, सूचना एवं संचार तकनीकी साधनों का ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षक, योजनाकार, शोधकर्ता आदि सभी लोग व्यापक पैमाने पर इस बात से सहमत दिखाई देते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शिक्षा पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमताएं मौजूद हैं। जिस बात पर अब तक बहस चल रही है, वो यह है कि शिक्षा सुधार में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सटीक भूमिका क्या हो और इसकी क्षमताओं के बेहतरीन दोहन के लिए सबसे बेहतरीन तरीके क्या हो सकते हैं। आजकल शिक्षा क्षेत्र में, विशेष रूप से शैक्षणिक गतिविधियों में प्रौद्योगिकी को सशक्त करने की प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के नकारात्मक प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने और दूर करने के लिए शिक्षा क्षेत्र सबसे प्रभावशाली क्षेत्र हो सकता है। दूसरी तरफ प्रौद्योगिकी, छात्र के ज्ञान को बढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका हो सकती है। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, शिक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाते हुए अध्यापन और अध्ययन की गुणवत्ता बढ़ाता है। इसने अध्ययन में एक आयाम जोड़ा है, जो पहले उपलब्ध नहीं था। विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की शुरूआत के बाद से छात्रों को पारंपरिक कक्षा के वातावरण की तुलना में प्रौद्योगिकी वर्धित वातावरण में पढ़ना ज्यादा स्फूर्तिदायक और रूचिकर है।

बीज शब्द

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा व्यवस्था, शैक्षिक कार्यक्रम, उच्च शिक्षा, वयस्क प्रशिक्षण, साक्षरता आंदोलन, समावेशी शिक्षा

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

शोध विस्तार

'सूचना युग' के शैक्षिक उद्देश्यों को साकार करने के लिए शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के आधुनिक रूपों को शामिल करने की आवश्यकता है। इसे प्रभावी तौर पर करने के लिए शिक्षा योजनाकारों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, वित्तीय, शैक्षणिक और बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं के क्षेत्र में बहुत से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। अधिकतर लोगों के लिए यह काम न सिर्फ एक नई भाषा सीखने के बराबर कठिन होगा, बल्कि उस भाषा में अध्यापन करने जैसा होगा। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (IT) उन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना के पारेषण, संग्रहण, निर्माण, प्रदर्शन या आदान–प्रदान में काम आते हैं। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की इस व्यापक परिभाषा के तहत रेडियो, टीवी, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल फोन दोनों ही), सैटेलाइट प्रणाली, कम्प्यूटर और नेटवर्क हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर आदि सभी आते हैंय इसके अलावा इन प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सेवाएं और उपकरण, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई–मेल और ब्लॉग्स आदि भी आईसीटी के दायरे में आते हैं।[1]

शिक्षा में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की भूमिका

शिक्षक, योजनाकार, शोधकर्ता आदि सभी लोग व्यापक पैमाने पर इस बात से सहमत दिखाई देते हैं कि आईसीटी में शिक्षा पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमताएं मौजूद हैं। जिस बात पर अब तक बहस चल रही है, वो यह है कि शिक्षा सुधार में आईसीटी की सटीक भूमिका क्या हो और इसकी क्षमताओं के बेहतरीन दोहन के लिए सबसे बेहतरीन तरीके क्या हो सकते हैं।

कार्यस्थल पर प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जुड़ी नीतियों, रणनीतियों और व्यावहारिक कदमों के प्रदर्शन के लिए दुनिया भर से ली गईं अन्वेषण, कामयाबी और विफलता की दास्तानें। इनके तहत निम्न विषय शामिल होंगे–

1. शैक्षिक टीवी
2. शैक्षिक रेडियो
3. वेब आधारित निर्देश
4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में व्यावहारिक गतिविधियां
5. मीडिया का इस्तेमाल

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

6. कम अवस्था में विकास, कम जनसंख्या घनत्व, प्रौढ़ साक्षरता, महिला शिक्षा और कार्यबल में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का लक्षित इस्तेमाल।
7. शिक्षकों को तैयार करने और कैरियर से जुड़े प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी
8. नीति–निर्माण, डिजाइन और डेटा प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी
9. स्कूल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के लिए तकनीकि

- निर्देशात्मक सामग्री
- ऑडियो, विजुअल और डिजिटल उत्पाद
- सॉफ्टवेयर और कंटेंटवेयर
- संपर्क के माध्यम
- मीडिया
- शैक्षणिक वेबसाइट

रेडियो और टीवी

20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही रेडियो और टीवी का शिक्षा में इस्तेमाल किया जा रहा है। आईसीटी के ये रूप तीन मुख्य तरीकों से इस्तेमाल किये जाते हैं–

1. संवादात्मक रेडियो दिशा–निर्देश (आईआरआई) और टीवी पर पाठ समेत सीधे कक्षा में पढ़ाना।
2. स्कूल प्रसारण, जहां प्रसारित कार्यक्रम अध्ययन और शिक्षण के पूरक संसाधन मुहैया कराता है जो आमतौर पर उपलब्ध नहीं होते।
3. सामान्य शैक्षिक कार्यक्रम जो सामान्य और अनौपचारिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराते हैं।

संवादात्मक रेडियो दिशा–निर्देश में रोजाना के आधार पर कक्षाओं के लिए प्रसारण पाठ शामिल हैं। विशेष मुद्दों और विशिष्ट स्तर पर रेडियो पाठ सीखने और पढ़ाने की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों को ढांचागत और दैनिक सहयोग मुहैया कराते हैं। संवादात्मक रेडियो दिशा–निर्देश दूर के स्कूलों और केन्द्रों के लिए तैयार पाठ लाकर शिक्षा के विस्तार में योगदान भी देता है जिनके पास संसाधनों और शिक्षकों की कमी है। अध्ययन बताते हैं कि आईआरआई परियोजनाओं से शिक्षा तक पहुंच और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की गुणवत्ता दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे बड़ी संख्या में लोगों तक शैक्षिक सामग्री पहुंचाने में कम–लागत भी आती है।[2]

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

टीवी के पाठ अन्य कोर्स सामग्री के पूरक के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं या उन्हें अकेले भी पढ़ाया जा सकता है। लिखी हुई सामग्री और अन्य संसाधन शैक्षिक टीवी कार्यक्रमों के साथ अक्सर सीखने और निर्देश ग्रहण की क्षमता को बढ़ाते हैं। एशिया–प्रशांत क्षेत्र में शैक्षिक प्रसारण काफी विस्तारित है। भारत में उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी टीवी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्स का प्रसारण करती है। विशिष्ट पाठों के प्रसारण के लिए इस्तेमाल के अतिरिक्त रेडियो और टीवी का इस्तेमाल सामान्य शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए भी किया जा सकता है। वास्तव में, शैक्षिक मूल्य के साथ किसी भी रेडियो या टीवी के किसी भी कार्यक्रम को 'सामान्य शैक्षिक कार्यक्रम' माना जा सकता है। अमेरिका से बच्चों के लिए प्रसारित किया जाना वाला एक शैक्षिक टीवी कार्यक्रम 'सीसेम स्ट्रीट' इसका एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, कनाडा का शैक्षिक रेडियो चर्चा कार्यक्रम 'फार्म रेडियो फोरम' है।[3]

रेडियो और टीवी प्रसारण का शिक्षा में इस्तेमाल

रेडियो और टीवी का इस्तेमाल शिक्षा के एक माध्यम के तौर पर क्रमशः 1920 और 1950 के दशक से बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। शिक्षा में रेडियो और टीवी प्रसारण के इस्तेमाल के तीन सामान्य तरीके हैं–सीधे कक्षा में पढ़ाना, जहां अस्थायी रूप से प्रसारण कार्यक्रम शिक्षक का स्थान ले लेते हैं। स्कूल प्रसारण, जहां प्रसारित कार्यक्रम शिक्षण और अध्ययन के लिए पूरक संसाधन मुहैया कराते हैं, जो अन्यथा नहीं होते। सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्टेशनों पर सामान्य शैक्षिक कार्यक्रम जो सामान्य और अनौपचारिक शैक्षिक अवसर प्रदान करते हैं। सीधे कक्षा में पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम दस्तावेजी उदाहरण संवादात्मक रेडियो दिशा–निर्देश है। 'इसमें रोजाना के आधार पर कक्षा के लिए 20–30 मिनट प्रत्यक्ष शिक्षण (डायरेक्ट टीचिंग) और शैक्षिक प्रशिक्षण शामिल होता है। गणित, विज्ञान, स्वास्थ्य और भाषाओं के विशेष स्तर पर विशिष्ट शिक्षण के उद्देश्य से बनाए गए रेडियो के पाठ कक्षा में पढ़ाने की गुणवत्ता को सुधारने और सीमित संसाधनों वाले स्कूलों में खराब तरीके से प्रशिक्षित शिक्षकों को नियमित सहयोग के उद्देश्य को पूरा करते हैं।'

संवादात्मक रेडियो दिशा–निर्देश परियोजना को भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में लागू किया गया है। एशिया में संवादात्मक रेडियो दिशा–निर्देश सबसे पहले 1980 में थाईलैंड में क्रियान्वित हुआ थाय 1990 में यह परियोजना इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में शुरू हुई। संवादात्मक रेडियो दिशा–निर्देश अन्य दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों से इस मामले में अलग है कि प्राथमिक तौर पर इसका उद्देश्य शिक्षा की

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

गुणवत्ता को बढ़ाना है– सिर्फ शिक्षा तक पहुंच को ही नहीं– और औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही व्यवस्थाओं में इसने खूब सफलता हासिल की है। दुनिया भर में हुए सघन शोध दिखाते है कि अधिकतर संवादात्मक रेडियो दिशा–निर्देश परियोजनाओं का परिणाम सीखने के परिणामों और शैक्षणिक समानता पर सकारात्मक रहा। अन्य कदमों के मुकाबले यह प्रणाली अपनी कम लागत वाली आर्थिकी के चलते काफी किफायती और कारगर साबित हुई है।[4]

केन्द्र द्वारा चलाया जाने वाला टीवी कार्यक्रम सैटेलाइट के जरिए देश भर में एक निश्चित समय पर प्रसारित किया जाता है, उसमें वही सब कुछ पढ़ाया जाता है जो किसी सामान्य माध्यमिक स्कूल में पढ़ाया जाता है। हरेक घंटे किसी एक नये विषय पर प्रसारण शुरू किया जाता है। विद्यार्थियों को भी टीवी पर अलग–अलग शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन स्कूल में सभी स्तर के सभी विषयों के लिए केवल एक शिक्षक होता है। इस कार्यक्रम के स्वरूप में पिछले कुछ सालों में कई बदलाव देखने को मिले हैं जिसमें शिक्षण की प्रणाली व्यक्ति केन्द्रित से हट कर ज्यादा संवादात्मक प्रक्रिया में परिवर्तित हो गई जो समुदाय को शिक्षण की प्रविधि के इर्द–गिर्द बुने गए एक कार्यक्रम से जोड़ती है। इस रणनीति का उद्देश्य सामुदायिक मुद्दों और कार्यक्रमों के बीच संबंध बनाना था जिससे बच्चों को समग्र शिक्षा दी जा सके, समुदाय को स्कूलों के प्रबंधन और संगठन में शामिल किया जा सके तथा सामुदायिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए छात्रों को उत्प्रेरित किया जा सके। टीवी कार्यक्रमों का आकलन काफी उत्साहजनक रहा है।[5]

आम सेकंडरी स्कूलों के मुकाबले ड्रॉपआउट की संख्या में कमी रही और तकनीकी स्कूलों से भी यह मामूली रूप से बेहतर रहा है। एशिया में चीन की 44 रेडियो और टीवी युनिवर्सिटी (जिनमें चाइना सेंट्रल रेडियो और टेलीविजन युनिवर्सिटी भी शामिल है), इंडोनेशिया की युनिवर्सिटी टर्बुका और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष स्कूली शिक्षण और स्कूली प्रसारण में रेडियो और टीवी का पर्याप्त प्रयोग किया है ताकि वे अपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो सके। ये संस्थान अक्सर प्रसारण के साथ मुद्रित सामग्री और ऑडियो कैसेट भी मुहैया कराते हैं। जापान युनिवर्सिटी वर्ष 2000 से 160 टीवी और 160 रेडियो कोर्स चला रही है। हरेक कोर्स 15–45 मिनट का होता है और 15 सप्ताह तक लगातार प्रति सप्ताह एक बार ऐसे व्याख्यान का प्रसारण होता है। सुबह छह बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच ये प्रसारण किये जाते हैं।

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

इसके अलावा छात्रों को पूरक सामग्री के तौर पर मुद्रित शिक्षण सामग्री दी जाती है और आमने–सामने शिक्षण के अलावा ऑनलाइन सुविधा भी दी जाती है।

अक्सर मुद्रित सामग्री, कैसेट और सीडी–रोम के माध्यम से चलाया जाने वाला स्कूली प्रसारण प्रत्यक्ष कक्षा शिक्षण की ही तरह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम से जुड़ा होता है और तमाम किस्म के विषयों के लिए इसे विकसित किया जाता है। कक्षा शिक्षण के विपरीत, स्कूली प्रसारण का उद्देश्य शिक्षक का स्थान लेना नहीं होता बल्कि सिर्फ पारंपरिक कक्षा शिक्षण की प्रणाली में मूल्य संवर्धन करना होता है। स्कूल प्रसारण संवादात्मक रेडियो दिशा–निर्देश (आईआरआई) से कहीं ज्यादा लचीला होता है क्योंकि इसमें शिक्षकों को तय करना पड़ता है कि वे कैसे प्रसारण सामग्री का अपने कक्षाओं में एकीकरण कर सकें। जो बड़े प्रसारण संस्थान स्कूली प्रसारण का काम करते हैं, उनमें ब्रिटेन का ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एजुकेशन रेडियो, टीवी और एनएचके जैपनीज ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन शामिल हैं। विकासशील देशों में आमतौर पर इस किस्म के स्कूली प्रसारण वहां के शिक्षा मंत्रालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से चलाए जाते हैं।[6]

आमतौर पर शैक्षणिक प्रसारणों में कई किस्म के कार्यक्रम शामिल होते हैं– खबरों के कार्यक्रम, वृत्तचित्र, क्विज कार्यक्रम और शैक्षणिक कार्टून, जिनमें सभी किस्म के सीखने वालों के लिए अनौपचारिक शैक्षणिक अवसर मौजूद होते हैं। एक अर्थ में देखें तो इस किस्म के अंतर्गत सूचना और शिक्षा के मूल्यों के लिहाज से कोई भी रेडियो या टीवी कार्यक्रम इसका हिस्सा हो सकता है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी पहुंच दुनियाभर में है। ये हैं– अमेरिका का टीवी कार्यक्रम सीसेम स्ट्रीट, हर किस्म की सूचनाएं देने वाला चौनल नेशनल ज्यॉग्राफिक और डिस्कवरी और रेडियो कार्यक्रम वॉयस ऑफ अमेरिका। कनाडा में चालीस के दशक में शुरू किया गया फार्म रेडियो फोरम दुनिया भर में रेडियो परिचर्चाओं के लिए मॉडल बन चुका है। यह अनौपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रमों का एक नायाब उदाहरण है।

विद्यार्थी केंद्रित शैक्षणिक माहौल बनाने में भूमिका

शोध रिपोर्ट के अनुसार सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के सही इस्तेमाल से विषय–वस्तु और शैक्षणिक प्रविधि दोनों में बुनियादी बदलाव किए जा सकते हैं और यही 21वीं सदी में शैक्षणिक सुधारों के केंद्र में भी रहा है। यदि कायदे से इसे विकसित किया गया और लागू किया जाए, तो सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर्थित शिक्षण ज्ञान और दक्षता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जो आजीवन

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

अध्ययन के लिए छात्रों को उत्प्रेरित करता रहेगा। यदि कायदे से इस्तेमाल किया जाए, तो सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और इंटरनेट प्रौद्योगिकी से अध्ययन और अध्यापन के नए तरीके खोजे जा सकते हैं, बजाय इसके कि शिक्षक और विद्यार्थी वही करते रहें जो पहले करते रहे थे। शिक्षण और अध्ययन के ये नए तरीके दरअसल अध्ययन की उन रचनात्मक शैलियों से उपजते हैं जो शिक्षण प्रणाली में अध्यापक को केंद्र से हटा कर विद्यार्थी को केंद्र में लाता है।[7]

सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर्थित शिक्षण और अध्ययन परीक्षा, गणना और सूचनाओं के विश्लेषण के औजारों को प्रेरित करते हैं जिससे छात्रों के पास सवाल उठाने को मंच मिलता है और वे सूचना का विश्लेषण कर सकते हैं और नई सूचनाएं गढ़ सकते हैं। काम करते वक्त इस तरह छात्र सीख पाते हैं। जब बच्चे जीवन की वास्तविक समस्याओं से सीखते हैं जिससे शिक्षण की प्रक्रिया कम अमूर्त बन जाती है और जीवन स्थितियों के ज्यादा प्रासंगिक होती है। इस तरह से याद करने या रटने पर आधारित शिक्षण के विपरीत आईसीटी समर्थित अध्ययन बिल्कुल समय पर शिक्षण का रास्ता देता है जिसमें सीखने वाला जरूरत पड़ने पर उपस्थित विकल्प में से यह चुन सकता है कि उसे क्या सीखना है।

सूचना व संचार प्रौद्योगिकी समर्थित अध्ययन छात्रों, शिक्षकों और विशेषज्ञों के बीच संवाद ओर सहयोग को बढ़ावा देता है, इस बात से बिल्कुल जुदा रहते हुए कि वे कहां मौजूद हैं। वास्तविक दुनिया के संवादों की मॉडलिंग के अलावा आईसीटी समर्थित अध्ययन सीखने वालों को मौका देता है कि वे विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करना सीख सकें जिससे उसकी संचार और समूह की क्षमता में संवर्धन होता है तथा दुनिया के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ती है। यह आजीवन सीखने का एक मॉडल है जो सीखने के दायरे को बढ़ाता है जिसमें न सिर्फ संगी–साथी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के संरक्षक और विशेषज्ञ भी सिमट आते हैं।[8]

सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर्थित शिक्षण की प्रभावकारिता

सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की शैक्षणिक क्षमताएं उनके इस्तेमाल पर निर्भर करती है और इस बात पर कि उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। किसी अन्य शैक्षणिक उपकरण के विपरीत सूचना व संचार प्रौद्योगिकी सभी के लिए समान रूप से काम नहीं करता और हर जगह एक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है।

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

पहुंच को बढ़ाना

यह गणना करना मुश्किल है कि सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ने किस हद तक बुनियादी शिक्षा को प्रसारित करने में मदद की है क्योंकि इस किस्म के अधिकतर प्रयोग या तो छोटे स्तरों पर किए गए हैं या फिर इनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्राथमिक स्तर पर इस बात के बहुत कम साक्ष्य मिलते हैं कि सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ने कुछ भी किया है। उच्च शिक्षा और वयस्क प्रशिक्षण में कुछ साक्ष्य हैं कि उन व्यक्तियों और समूहों के लिए शिक्षा के नए अवसर खुल रहे हैं जो पारंपरिक विश्वविद्यालयों में नहीं जा पाते।[9] दुनिया के सबसे बड़े 33 मेगा विश्वविद्यालयों में सालाना एक लाख से ज्यादा छात्र पंजीकरण करवाते हैं और एक साथ मिल कर ये विश्वविद्यालय करीब 28 लाख लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसकी तुलना आप अमेरिका के 3500 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पंजीकृत एक करोड़ 40 लाख छात्रों से कर सकते हैं।

गुणवत्ता में वृद्धि

शैक्षणिक रेडियो और टीवी प्रसारण का मूलभूत शिक्षा की गुणवत्ता पर असर अब भी बहुत खोज का विषय नहीं है, लेकिन इस मामले में जो भी शोध हुए हैं, वे बताते हैं कि यह क्लासरूम शिक्षण के ही समान प्रभावकारी है। कई शैक्षणिक प्रसारण परियोजनाओं में संवादात्मक रेडियो परियोजना का सबसे ज्यादा विश्लेषण हुआ है। इसके निष्कर्ष बताते हैं कि शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने में यह काफी प्रभावशाली साबित हुआ है। इसके सबूत बढ़े हुए अंक और उपस्थिति की दर है। इसके उलट कंप्यूटर, इंटरनेट और संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रयोग का आकलन एक ही कहानी कहता है। अपनी शोध समीक्षा में रसेल कहते हैं कि आमने—सामने शिक्षा ग्रहण करने वालों और सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से पढ़ने वालों के अंकों के बीच कोई अंतर नहीं रहा है।[10] हालांकि, दूसरों का दावा है कि ऐसा सामान्यीकरण निष्कर्षात्मक है। वे कहते हैं कि सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर्थित दूरस्थ शिक्षा पर लिखे गए तमाम आलेख प्रयोगिक शोध और केस स्टडी को ध्यान में नहीं रखते। कुछ अन्य आलोचकों का कहना है कि सूचना व संचार प्रौद्योगिकी समर्थित दूरस्थ शिक्षा में स्कूल छोड़ने की दर काफी ज्यादा होती है।

कई ऐसे भी अध्ययन हुए हैं जो इस दावे का समर्थन करते नजर आते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल मौजूदा पाठ्यक्रम को संवर्धित करता है। शोध दिखाता है कि पाठन, ड्रिल और निर्देशों के लिए कंप्यूटर के इस्तेमाल के साथ पारंपरिक शैक्षणिक विधियों का इस्तेमाल पारंपरिक ज्ञान समेत पेशेवर दक्षता में वृद्धि करता है और कुछ विषयों में अधिक अंक लाने में मदद रकता है जो पारंपरिक प्रणाली नहीं करवा पाती।

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

छात्र जल्दी सीख भी जाते हैं, ज्यादा आकर्षित होते हैं और कंप्यूटर के साथ काम करते वक्त वे कहीं ज्यादा उत्साही होते हैं। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि ये सब मामूली लाभ हैं और जिन तमाम शोधों पर ये दावे आधारित हैं, उनकी प्रणाली में ही बुनियादी दिक्कत है। ऐसे ही शोध बताते हैं कि पर्याप्त शिक्षण सहयोग के साथ कंप्यूटर, इंटरनेट और संबद्ध प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल वास्तव में सीखने के वातावरण को सीखने वाले पर केंद्रित कर देता है। इन अध्ययनों की यह कह कर आलोचना की जाती है कि ये विवरणात्मक ज्यादा हैं और इनमें व्यावहारिकता कम है। उनका कहना है कि अब तक कोई साक्ष्य नहीं हैं कि बेहतर वातावरण बेहतर अध्ययन और नतीजों को जन्म दे सकता है। अगर कुछ है, तो वह गुणात्मक आंकड़े हैं जो छात्रों और अध्यापकों के सकारात्मक नजरिये को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं जो कुल मिला कर सीखने की प्रक्रिया पर सकारात्मक असर को रेखांकित करते हैं। एक बड़ी दिक्कत इस सवाल के मूल्यांकन में यह आती है कि मानक परीक्षाएं उन लाभों को छोड़ देती हैं जो सीखने वाले पर केंद्रित वातावरण से अपेक्षित हैं। इतना ही नहीं, चूंकि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल पूरी तरह सीखने के एक व्यापक तंत्र में समाहित है, इसलिए यह काफी मुश्किल है कि प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र रख कर यह तय किया जा सके कि क्या उसके कारण कोई फायदा हुआ है या इसमें किसी एक कारक या कारकों के मिश्रण का हाथ है।[11]

शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की मौजूदगी के विषय में बात करते हुए स्मार्ट क्लास एजुकेशनल सर्विसेज प्रा. लि. के निदेशक (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और कौशल) अशोक मेहता का कहना है कि, 'मैं विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को एकीकृत करते हुए प्रासंगिक समाधानों पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ।' 'शिक्षण में चुनौतियों पर प्रकाश डालती 'प्रथम संगठन' की रिपोर्ट को देखते हुए शिक्षकों की गुणवत्ता और गुणवत्तापूर्ण सामग्री के मुद्दे को हल करने में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। वैश्विक स्तर पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्वीकारा और सराहा गया है। एक बार शिक्षकों द्वारा सराहे जाने पर यह सफल हो जाता है। एम.एच.आर.डी. ने पहले ही शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया है और सरकार द्वारा पहले ही कई योजनाएं चलाई जा रही है, जहाँ स्मार्टक्लास जैसी कंपनियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है।

'कक्षा में और उसके अतिरिक्त पढ़ाई में सुधार लाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। एक सामग्री प्रदाता का चयन करने से पहले व्यक्ति को अच्छी तरह से सोचना–समझना चाहिए, क्योंकि सामग्री ही प्रमुख होती है।'

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

किवामी की संस्थापक सुश्री मित्स्यूओ तमाई ने शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावशीलता 'शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए बहुत से बदलाव हुए हैं, विशेष रूप से पढ़ाने–पढ़ने से लेकर आंकलन–मूल्यांकन तक। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा सहित हर क्षेत्र को अत्यंत प्रभावित कर रही है। यह पढ़ाने–पढ़ने से लेकर आंकलन–मूल्यांकन तक शिक्षा के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। यह शिक्षा की प्रभावशीलता बढ़ाती है। यह साक्षरता आंदोलन में मदद करती है। यह मोबाइल से पढ़ने और समावेशी शिक्षा को सुविधाजनक बनाकर शिक्षा का दायरा बढ़ाती है। यह अनुसंधान और विद्वत्तापूर्ण संचार को सुगम बनाती है। शिक्षा क्षेत्र के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रभाव और क्षमता कई गुना है। शिक्षा कर्मियों की नई भूमिका और कार्यों के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विवेकशील प्रयोग करने से, ज्यादा कुशल और प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया लाई जा सकती है।'[12]

संदर्भ सूची

1. जे.सी. अग्रवाल 'स्कूल प्रबंधन सूचना तथा संप्रेषण तकनीकी', अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, 2010
2. किंडरस्ले डार्लिंग 'शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबंध प्रणाली के मूल तत्व' किंडरस्ले डार्लिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 2013
3. संतोष गोयल 'संगणक एक सरल अध्ययन' नटराज प्रकाशन, दिल्ली, 2005
4. शोभा चतुर्वेदी 'शिक्षा तकनीकी का शाश्वत एवं प्रबंधन' विकास प्रकाशन, कानपुर 2006
5. पंकज चौधरी 'भारत में सूचना तकनीकी का विकास', संचार साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली 2008
6. रामगोपाल सिंह जौडान 'संगणक के विविध आयाम', आकांक्षा पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, गाजियाबाद, 2009
7. आर.डी. पाठक 'शैक्षिक तकनीकी' किंडरस्ले डार्लिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2011
8. पी डी पाठक 'शिक्षा मनोविज्ञान' अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, 2013–14
9. आर. ए. शर्मा 'शिक्षा के तकनीकी आधार' आर लाल बुक डिपो मेरठ 2007
10. आर. ए. शर्मा 'शिक्षण अभिसूचना एवं संप्रेषण तकनीकी' आर एल बुक डिपो, मेरठ 2008
11. सतीश कुमार 'विद्यालय प्रशासन एवं संगठन' अपोलो प्रकाशन, जयपुर, 2008
12. एन. आर. के सक्सेना एवं एस.सी ओबरॉय 'शिक्षा तकनीक के तत्व एवं प्रबंधन' आर एल. बुक डिपो, मेरठ, 2007

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

5

CONSTITUTIONAL TORT'S: AN EVALUATION

Dr. T.N. Mishra
Assistant Professor, Department of Law,
D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P), 273009

Abstract-

The basic nature of tort is compensatory. In this branch the law of tort award damages to the victims whose civil right is violated by a person. When state violate the individual rights of a citizen there is no any law in India. However, in recent time supreme court awarded compensation to the victim whose rights has been violated by state .But there is need for a settled law in this regards.

Key words-

Tortious liability, Constitution, compensation, Damages, state liability

---

The nature of torts is Civil. In this branch of law, the law imposes a duty to respect the legal rights vested in the members of the society and the person making a breach of that duty is said to have done wrongful act.[1]i.e. in law of torts there is a breach of duty according to winified "tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by the law this duty towards person generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages." If we examine this definition, we can find that law of tort is a law of obligation i.e. refrain from harm to another and if you harm anyone then give him damages in form of compensation.

It is an ever-growing breach of law. The law of tort constantly developed and its area is continuously increasing. One of the area in which this research paper focused is Constitutional tort. The development of this tort began in early

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

eighties is now established. Constitutional tort is generally a concept of various liabilities of the State. Hear the question is"whether the State liable for the wrongful act of its servant during the course of employment". Tortious liability of the State for the wrongful act done by its servant is known as tortious liability of State. This branch of law has travelled in this country through the British India and now stands and Constitutional provision and certain local laws.

Position in England

The English maxim "King can do no wrong" was earlier prevailed in the common law by which the crown enjoys absolute immunity. But, after sometime this absolute immunity doctrine became highly incompatible with the demand of justice.

The position has been totally changed after the passing of Crown Proceedings act 1947. Section 2(1) of this act made Crown liable for a tort committed by its servant just like a private individual.

Position in India

Crown's absolute immunity was not accepted in India even during the East India company rule the reason behind this company initially came to India to perform trade but gradually became the ruler of the great part of country. It was not a sovereign body but it was delegates of the crown. The British crown in 1858 led the direct control of Indian subcontinent in form of the new British raj, after the rebellion of 1857. In pre- independence period, the extent of tortious liability of the State and its immunity was a subject matter of dispute before existing courts. In case of Moodlay Vs The East-India company[5], (this case was the first case of State liability during the East India company period) the Privy council head that doctrine of sovereign immunity was not applicable to India and governor general in council had no immunity from court's jurisdiction in cases involving dismissal of government servant.

To know the present position as regards the State liability, we have to go back to the pre Constitution days. The firstenactment regarding the administration of country was known as Government of India act 1858 the Article 65 of this act provides as under-

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

"The secretary of State in council shall and may sue and be sued as well as India as in England by the name of the secretary of State in council as a body corporate and all persons and bodies politic shall, and may have and take the same suits, remedies and proceedings, legal and equitable against the secretary of State in council of India as they could have done against the East India company" [6]. After later enactment we find a similar position only section is changed.[7]

As there is no specific legislation, which specifies the vicarious liability of the State for torts committed by its servant, it is under Article 294(b) and Article 300 of the Constitution of India 1950 by which enumeration of the right to file a suit comes from. According to Article 294(b) "All rights, liabilities and obligation of the Government of the dominion of India and the Government of each governor's province whether arising out of any contract or otherwise [8], shall be the right liabilities and obligations respectively of the Government of India and the Government of each corresponding States.

Subject to any adjustment made or to be made byreason of the creation before the commencement of this Constitution of the dominion of Pakistan or of the province of West Bengal, East Bengal, West Punjab and East Punjab.

Article 300, thus provides that the Union of India and the State are juristic person for the purpose of suit or proceedings. Although the Union of India and State government can sue and be sued but the circumstances under which that can be done have not been mentioned. According to Article 300, the Union of India and the State government can sue or be sued in the like cases as the dominion of India and the corresponding Indian State might have sue or been sued if the Constitution had not been enacted [9].

Therefore, to know whether the State is liable for particular act or not we have to find the position at the East India Company prior to 1858. In this connection, P&O steam Navigation Company vs. Secretary of State of India is the leading case. This was the first case in which the sovereign immunity of the State was debated. There was a piece of iron rod was being carried by some worker of government dockyard company. The Plaintiff's servant was travelling in a horse driven carriage. Due to negligence on the part of different

servant the iron rod fell down. The horse was injured. Plaintiff sued the government for damage due to negligence on the part of the servant employed by the government. According to peacock C.J." The government cannot be held liable when the injuries are caused while carrying out sovereign functions but is liable when the acts of the servant are non-sovereign functions.

Madras High court did not agree with the view, which is expressed by Calcutta High court in case of secretary of State Vs Hari Bhanji[11] held that immunity of East India Company extended only to 'acts of the State". This defence is not available against a citizen. Act of State are directed against another Sovereign State or its over in personality for its subject and being based on policy consideration and not on law administered by municipal Courts they are not justiciable.

The first law commission in its report express the view that,"The law was correctly laid down in Hari Bhanji's case[12]."

The first notable case after the commencement of Constitution was State of Rajasthan vs Vidyawati[13]. This case remove the doubt, that the scope of Article 300 was limited and held that scope of Article 300 is not limited and the expression used in Article 300 i.e. in the like cases back for the determination of such cases to the legal position before the enactment of the Constitution and Article 300 has saved the right of parliament or legislature of a State to enact such law as it may think fit and proper in this behalf and so long as legislature has not expressed its intention to the contrary, law must be held to be the same which has been continuing from the day at East India company[14]. In the case of Vidyawati, a vehicle owned by the State of Rajasthan hit a pedestrian who eventually died of an accident. The State was held liable, as the said accident could not be associated with the sovereign power. The Supreme Court in this case observed that "……,it has to be remembered that under the Constitution, we have established a welfare State, whose functions are not confined only to maintain law and order but extend to engaging in all other activities including industry public transport, State trading to name only a few of them……………it is too much to claim that the State should be immune from

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

the consequences of tortious acts of its employees committed in the course of their employment as such[15]".

The decision of Supreme Court in above case was not very certain and satisfactory. The Supreme Court in the case of Katuri Lal Ralia Ram vs State of UP[16] has again stated that if the act of the government was one which could be considered to be in delegation of sovereign power, the State would be exempt from liability otherwise not. In this case the police constable seized the gold which belong to the plaintiff. The seized gold had been kept in malkhana under the charge of then head constable Mohammad Amir. The constable letter misappropriated the gold and flew with it to Pakistan. The court in this case upheld the defence of sovereign immunity. It was held that this happened because of the negligence of police officer who acted in the violation of provision of U.P. Police regulation and power, which was exercised by them, could be properly characterized as sovereign power. The court further said the power of police official in keeping the property in the police malkhana was a sovereign power.

Kasturi Lal case decision of Supreme Court still held good, for practical purpose its force has been considerably reduced by a number of decision of the Supreme Court[17]without overruling the decision of Kasturi Lal case the court diluted the emphasis laid on the sovereign immunity of the State and the court took this regulation to have special characteristics of sovereign function of State.

Sovereign immunity is subject to fundamental rights (Constitutional rights)-

The Constitution of India is a pious document, which protects the fundamental rights. The importance of fundamental right is mentioned in Article 13 of the Constitution. This right put a limitation on the legislature and exclusive in relation to the interest of the individual. If these Constitutional limits exceeds, the Constitution provides remedy[18]. Though if we see the original notion of writs, they were concerned only with the validity of the decision making process and not with the merits of a violation by a State agency, now a day the court in India started giving some compensation in

Writers View
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

addition to declaring the action of the State invalid, 'Constitutional torts' can be added in this category.

In the Constitution of India part III, i.e. Fundamental rights guaranteed the human rights jurisprudence.Part IV of the Constitution put an obligation on the State to promote these human rights approaches the fundamental rights act as a restriction on the State. If we see the Constitution of India imposed State liability on the State by two ways firstly, the State has a legal duty to protect the guaranteed rights and pay compensation to the victims if it act contrary to it. Secondly writ powers are given to the superior courts to ensure that the State does protect these fundamental and legal rights.

Development of Article 21 in the human right perspective

Article 21 of the Constitution provides that "No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law." since the Constitution came into force this Article has been interpreted by the court in different ways. The Indian judiciary took several steps[19] to include the human rights in the Constitution through this Article. In case of A.K Gopalan Vs State of Madras. In this, case an order challenged under Article 19(1) (d). The court answered the issue in negative and held that the purpose of this Article was not to protect the generalized right.As for as the scope of Article 21 was concerned, the court classified the words 'procedure established by law 'word used in Article 21 is to be given a wide and fluid meaning and the expression" due process of law" used in U.S.Constitution could only mean State made law. It was held that Article 19 and Article 21 are mutually exclusive and hence the responsibility test as applied in Article 19 is not to be applied in Article 21. The other important case in in R.C. Cooper vs. Union of India[21] in this case the court said 'the extent of protection against the infringement of a fundamental right is considered not by the object of legislature or forms of action but its direct operation upon the individual's right. While deciding this case the court made clear that while interpreting the Constitutional provisions the main thrust must be in the promoting the rights of the people. The Constitutional courts are entrusted with power and duty to interpret law for the protection of basic and fundamental rights are dealt with in the Constitution.

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

Where there is chance of abuse of State action, there must be restraint required on that action. Again in the most famous case Maneka Gandhi vs. Union of India.[22]The court while interpreting the section 10 of Passport Act classified that the expression 'procedure established by law' in Article 21 means that the law should be prescribed with some procedure and if arbitrary and fanciful, it may lead to depriving a person's Liberty. The procedure must be just, fair and reasonable. The court held that Article 14 19 and 21 are not mutually exclusive but they are interrelated. Thereafter in a series of cases[23], the Supreme Court has widened the scope of Article 21.

With the development of human rights jurisprudence, the judges begin to think, that the Constitution is an organic instrument, which must be interpreted creatively with a view to, protect the Constitutional values and must strengthen human values. The liberty and the right guaranteed in the Constitution are not to be misused and it should be ensured that it carries with it duties and responsibilities.[24]

Indeed Courts used the interpretation given the Maneka Gandhi case[25] as a tool to improve the present legal system the key of the judicial activism was that the phrase used "the procedure established by law" in Article 21 does not mean any procedure but it must be just fair reasonable and not arbitrary and fanciful. In exercise of writ jurisdiction, the apex court used Article 21 of the Constitution to promote compensatory jurisprudence in those cases[26] where State violates the rights guaranteed under Article 14, 19 and 21.

In case of Khatri vs State of Bihar[27] (Bhagalpur blinding case) in this case first time where the compensation for the police excesses was raised. In this case, court got an opportunity to think as to what relief could be given for the violation of Constitutional right (Article 21). Can the court grant relief for the violation of Article 21? Or what relief can the court grant for the enforcement of the Constitutional rights? By considering the police action inhuman, the court said it was not a legal problem but a human. The court directed the State of Bihar to provide them the best treatment at State cost for the violation of prisoner's fundamental rights given under Article 21 of the Constitution. In this case Bhagwati J. Observed "why should the court not be

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

prepared to forge new tools and devise new remedies for the purpose of vindicating the most precious of the precious fundamental rights to life and personal liberty".[28]

In Sant Bir vs State of Bihar[29] the question of compensating the victim of the lawlessness of the State was left open. The court said that there is a need of compensating the victim for the unlawful act of enforcement agency but left the issue unanswered.

In Veena Sethi vs State of Bihar[30] case the court observed that the question would remain to be considered whether the petitioner are entitled to compensation from State Government for the contravention of the right guaranteed under Article 21 of the Constitution.

The seed of compensatory jurisprudence as emerged in above three cases, Supreme Court take a dynamic move, which resulted in the emergence of compensatory jurisprudence for the violation of right to personal liberty through the case of Rudal Sah vs. State of Bihar[31]. This is a landmark decision by which Supreme Court recognised the liability of the State to pay compensation when the rights to life and personal liberty as enshrined in Article 21 had been violated by the officials of the State. This was a path breaking decision by the Supreme Court. This case is a shift from the traditional tort law and with the decision Constitutional tort was recognised by the judiciary.

After the decision of Rudal Shah case in a series of cases the courts begin to award compensation for the violation of Constitutional rights guaranteed under Article 21 of the the Constitution. In Sebastian M. Hongrary vs Union of India, [32] two persons were taken by army in Manipur. These two persons met unnatural death in army custody the court award 1 lac compensationeach tothe wife of two missing persons. In Bhim Singh vs. State of Jammu and Kashmir, [33] the petitioner who was an M.L.A. wrongfully detained by the police and prevented from attending the assembly session. The Supreme Court ordered the payment of Rs. 50000 by way of compensation to the petitioner. In Nilabati Behera vs State of Orissa[34] the Supreme Court observed" it may be mentioned straight away that award of compensation is a proceeding under Article 32 by this court or by the high court under Article 226

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

of the Constitution is a remedy available in public law based on strict liability for contravention of fundamental rights to which the principal of sovereign immunity does not apply even though it may be available as a defence in private law in an action based on test"

Act of police officials[35], police firing[36], negligence of military servant[37], failure of the police to perform its duties[38], death or injuries to persons[39] are the some areas in which compensation were awarded. In Saheli Vs commissioner of police Delhi,[40] The death of a 9-year-old boy was caused by beating and assault by a police officer. In the writ petition filed by an NGO the Supreme Court allowed damages to the boy's mother. In case of C. RamKonda Reddy vs State of Andhra Pradesh[41] it was considered that negligence on the part of police officials is termed as violation of right guaranteed by Article 21 and the claim for compensation was allowed. It was observed that Article 300(1) does not constitute an exception to Article 21.

The fundamental right under Article 21 available to foreign national's too[42]. In case of N.Nagendra Rao vs State of Andhra Pradesh[43] the court observed that in welfare State functions of the State now change and the democratic Live between sovereign and non-sovereign function have no rational basis. The court said distinction is not good in in modern jurisprudential thinking.

In view of complete ouster of sovereign immunity in regard to fundamental rights particularly Article 21, right to award money compensation for violation of the law is justified. The Union and State Government would be liable for tortious act committed by their employees in the course of employment for violation of Article 21. It hoped that State without further delay make the act regarding State liability.

If no other practical mode of redress is available, the court would award monetary compensation for breach of fundamental rights by State or its employees based on the principle of strict liability. The Apex court must evolve a scientific criterion for future cases. The "voting right model" of the U.S. may be adopted for measuring the damages in Constitutional tort action to prevent the victim from a legal injury to their rights.

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

It is desired that without it to the discretion of judiciary an express enforceable right to compensation for violation of fundamental rights beincorporated in the Constitution.

Award of compensation at the hands of court for Constitutional violation is a creative jurisprudence evolved by our court. However, the criteria adopted by the court is quantifying the compensation has been subjected to varied criticism. Even the much famous case D.K. Basu vs .State of West Bengal failed to lay down a definite criterion in determining the compensation. The court went on to say that it in the assessment of compensation, the emphasis has to be on compensatory not the punitive element comma and the quantum of compensation will depend upon the peculiar fact of each case and no straight jacket formula can be evolved in that behalf.

REFRENCES

1. Bangia, Dr.R.K, Allahabad law agency 2008, page 3
2. Ibid, page 4
3. Nilabati Behra vs State of Orissa (1993) 2 SCC 373- this was the case in which judicial president was commented the foundation of Constitutional task.
4. The time when crown became one of the largest emperor of the labour in country.
5. 1775(I Bro-CC469) privacy council.
6. Supra 1, page 120.
7. Government of India act 1975 (Article 32) , Government of India act 1935 (Article 176)
8. Otherwise would include vicarious liability including liability also.
9. Supra 1 page 120
10. (1861) 5 Bombay High court reports appendix I volume V
11. I.LR. (1882) 5 Madras 273
12. First law commission 1956 its first report (liability of the State in tort) page 6
13. A.I.R 1962 S.C. 933
14. Tortoise liability of State under the Constitution, justice u c Srivastava published in J.T.R.I Lucknow journal March (1997)
15. Supra 13, page 938
16. A.I.R 1965. SC PAGE 1039

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

17. State of Gujarat vs Memon Mohammed (A.I.R, 1967 ,SC, 1885) Smt.Basava vs State of Mysore ((A.I.R,1977, SC, 1749)
18. Art 32,and Article 226
19. While interpreting Article 21 the court referred ICPR
20. A.I.R. 1950 SC, 27
21. A.I.R. 1970 SC 564
22. A.I.R. 1978, SC, 597
23. Some of these case are Unni Krishnan Vs State of A.P. and P. Rathinam Vs Union of India A.I.R. 1993 SC 2175 A.I.R 1994 SC 1852
24. Justice H.R. Khanna "Human Right Dimension and Challenges" A.I.R., 1998, Journal 49
25. Supra 22
26. In case of custodial death, torture, illegal detention, arrest, handcuffing and case atrocities of against women and children.
27. A.I.R 1981 SC 928
28. (1981), ISSC, P. 630
29. A.I.R . 1982 SC 1470
30. (1982) 2 SCC 583
31. A.I.R. 1983 SC 1086
32. A.I.R. 1977 SC 1749
33. A.I.R. 1986 SC 404
34. (1993) 2 SCC 746
35. States of Orrisa Vs Padmalochan A.I.R 1975 Orissa 41
36. Kalpana Mandal and others vs State of Orissa, A.I.R 2000, Orissa 94
37. Baxi Amrik Singh Vs The Union of India (1973) 75 P.L.R I (Fs)
38. Shyan Baran Saha Vs State of West Bengal A.I.R 1998, Cal 203
39. P.U.D.R. Vs State of Bihar A.I.R.1987 SC 355
40. A.I.R. 1990 SC 513
41. A.I.R. 1989 A.P 235
42. Chairman Railway Board Vs Chandrima Das A.I.R 2000 SC 988
43. A.I.R 1994 SC 2663

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

6

NATH -PANTH IN NEPAL

Padmaja Singh
Assistant Professor, Department of Ancient History, Archeology and Culture
Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur

Abstract-

Nepal situated in the Himalayas on the Northern border of India has special significance in reference to Srinath (Nath Sect) pilgrim centers. The natural beauty, peace and solitude of Nepal which is imbedded in nature itself could attract any hermit. The wide expanse of nature in Nepal has constantly attracted itinerant Yogi Matsyendra Nath and great Yogi Gorakhnath. Much prior to the Yogis of Nath sect, rather from the very origin and development of human civilization Bharat and Nepal have been closely related. For thousands of years both the countries have shared the cultural traditions together. Peoples of the two countries have always felt as one. Bharat- Nepal are not only neighbor, they are like one family and real brothers. Both are historically, culturally and socially linked. Nepal inhabited on the south slant of the Himalayas is 147181 Sq. Km. in area with a population of three crores. Administratively divided in 75 districts and 75 Anchal the country was the only Hindu nation of the world till 2006 A.D.

Key words-

Pilgrim centers, Yoga tradition, Meditation, social and spiritual life of Nepal, Nepali Society, Religious and Spiritual life of Nepal.

Bharat- Nepal unity is traced from the Vedic period. Mythically it is said; a Manishi (Sage) named Nimi established this region which was later called 'Nimina Palit Rashtra Nepalam'. During the Ramayan period, the king

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

of Janakpuri Shriradwaj (Janak) married his daughter Sita to Prince Sri Ram of Ayodhya. This relation between Ayodhya and Janakpur was indeed Indo- Nepal relationship. During Maha Bharat period the people of Nepal had taken part in battle fought by Pandavas. Buddha was born in Lumbani, a place situated in Nepal. It is found mentioned in 5th century B.C. that Gopal, Kirat, Lichhavi and some other kingdom existed in the valley of Kathmandu which is capital of present Nepal. Chanakya has also mentioned about Nepal. The daughter of emperor Ashoka of Maurya dynasty was married in a kingdom in hill region of Nepal. The presence of Lichhavis and Mallas is found in the pedigree and records of Nepal in the beginning centuries. The record of Pashupati Nath temple of eight century mentions that Supushp had established a kingdom of LIchhavis. Mahadeo was the twentieth king according to the ancestry. It may therefore be inferred that Lichhavi State would have been established in Nepal in first or second century. The LIchhavis as a political might in Nepal are known from matrimony of a Lichhavi princess to Chandragupt I. Thus marriage relations between India and Nepal are traced in Gupta period as well.

According to R.C. Majumdar after the fall of Gupta empire Lichhavis availed the opportunity to prosper as important power in Nepal and they founded an exalted and efficacious dynasty there. It is gathered from Harshcharit that Harsh collected taxes from a hill state named Tusardhwaj (Lukhardhwaj). It is belived that king of Nepal developed cordial relations with Harsh and accepted as gift ample riches from him. Renowned Historian K.M. Pannikar says that Nepal was a constituent part of the Harsh Empire while Radha Kumud Mukherji opines it was under the effective influence. It is known from the Chinese sources that China's Thang ruler Taisung who was a contemporary of Hrash Vardhan sent out two emissary groups in the court of Harsh after his death near 643 to 647 A.D. This also imparts that the army of Harsh had rendered assistance to the ruler of Nepal. Nepal was divided into small states by 9th century for reasons of vagaries of nature, and copious political and social hardships. It emerged as independent country after confrontation with Tibet in 878 A.D. It prospered economically as it was the chief way for Indo- China trade and in 11th century A.D. Guna Kamdeo who

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

was a ruler, built the cities of Kathmandu, Patan and Shanku. He occupied the western region of Hill state Kathmandu of the Gorakhas and his descendants took over the mid area of Nepal. At this time Nepal was divided in twenty four states and it is belived in Nepal that Prithavi Narain Shah unified Nepal and built it a powerful state with the blessing of great Yogi Gorakhnath.

Matsyendra Nath and his yoga tradition had great influence in Nepal even prior to the propagation of Nath sect by Maha Yogi Gorakhnath. Matsyendra procession is great festival in folk life of Nepal. Yogeshwar Matsyendra Nath was first to impart yoga to the people of Nepal. Traditionally it is said in Nepal that king of Nepal who was contemporary to Matsyendra Nath perpetrated oppressions upon the followers of Matsyendra Nath. Displeased with such distress, his disciple Gorakhnath having wrapped Nav Nagas (nine clouds) sat in Kathmandu and went in Meditation for twelve years. This resulted in dearth of rains causing great famine. It was the grace of Guru Matsyendra Nath that cloud clusters were set free and rains commenced. Thus Nepal could be emancipated from drought. "Matsyendra procession" is organized and celebrated as festival by the people of Nepal for the said gracious act of the Yogi. This popular hearsay in the social life of Nepal about Matsyendra Nath is gathered from other sources also. Nepali Buddha literature also mentions such story. Matsyendra Nath has been called Avalokiteshwar in this tale. It is said that Matsyendra Nath lived at Kapottak Mountains. Gorakhnath went to see him but could not do so. Then Gorakhnath wrapped the clouds around and sat in meditation posture with the result that there were no rains in Nepal for twelve years. Buddhdutt, the Guru of King Narendra Deo of Nepal perceived the mystery of drought and he planned a meeting of both Mahayogis Matsyendra and Gorakhnath. He determined to go to Kapotak Mountains to take Avalokiteshwar (Matsyendra Nath) near to Gorakhnath. Buddhdutt rendered his services to Matsyendra Nath and pleased him. Matsyendra Nath came to Gorakhnath and the clouds were set free. There was affluent rains in Nepal and famine ended. This benevolence of Matsyendra Nath is acknowledged in Nepal by the people by celebrating procession festival in his memory every year. There is yet another reference in this context. It has

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

been said that Gorakhnath Ji overpowered Karkotak Nag, the god of rains on a mountain and there was thus a drought in Nepal. Buddhdutt, the Guru of Nepal king came with Yogi Matsyendra Nath to Mahayogi Gorakhnath. Gorakhnath sprang up to honour his Guru Matsyendra Nath and the clouds got free. It rained in Nepal and the country was rid of famine. An exalted glimpse of shiv Gorakha is reflected in the worship of cloud clustered form of Gorakhnath. Diverse expressions such as above are proof that the dignity of Matsyendra Nath and Gorakhnath is well accepted in Nepal Society.

The real expounder of Nath sect Maha Yogi Gorakhnath is worshiped in Nepal. He is worshiped as Shiv- Goraksha. His meditation and penance influenced extensively the life of common people of Nepal. A wide effect of his personality may be seen in the spiritual, cultural and social traditions of Nepal and to great extent on foke life as well. Gorakhnath is known as Buddha Anangvajra or Ramam Vajra amongst the people of Nepal. It appears that Buddha yoga had an effect on the society of Nepal. Nepal society, in general, accepts Gorakhnath as incarnation of Lord Shiva. The available descriptions about Gorakhnath mention that Prince Ratan Prikshak of Dang division of Nepal was trained in Nath Yoga by Goraknath.It is also mentioned that Ratan Prikshak went, one day in forest for hunt and he met Mahayogi Gorajhnath there. The Yogi preached him and said that each living being is a creation of the great soul (God) and he alone had control over the life. He also preached that killing is a sin and non- violence is a religion. He advised the prince to kill his deer like mind which is unstable and vibrant and has no breast, muscle, beak or legs. It is further mentioned that Prince Ratan Prikshak was very much impressed and took lesson from Gorakhnath Ji who gave the prince a nectar pot at the time. The said pot given by Maha Yogi Gorakhnath is present even today in big temple of Dang.

The most important folk- tales regarding relations between Mahayogi Gorakhnath and Nepal are about divine favour invoked upon Shah Dynasty of Nepal by Gorakhnath. It is a common saying in Nepal that famous king Yashvarma had three sons- Narain Shah, Narpati Shah and Dravya Shah. Darvya Shah was given the task of services to cows. Gorakhnath being pleased

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

with his duty and care of cows presented himself before Shah in guise of a young yogi and blessed that kings of Shah Dynasty will continue to rule the entire Nepal with Excellence. Later on the descendants adopted cow service as their principle religion. With a lapse of period, once Prathvi Narain Shah at the age of 6 years was playing in the forest with his companion and entered in cave to hide himself. There he found Mahayogi Gorakhnath sitting on a Tiger's hide. The Yogi with long hair had worn earrings, garland of 'Rudraksha' and had wrapped a snake round the neck. Gorakhnath ji perceived from his insight that the child was from the family of Shah Dynasty. He asked him to go to his mother and fetch curd. Prithavi Narain Shah was entranced at the astonishing sight of the Yogi. He went home and reached the cave with curd. Gorakhnath ji drank the curd and asked Prithvai Narain to join palms of both hands. He poured the curd on the palms and told the child to drink but he could not dare and his hands got separated. The curd splashed on his legs. Maha Yogi Gorakhnath unravelled the significance of Prasad (curd) and told that the Shah descendants could have been emperor of the entire earth if the curd had been taken. He further stated that the Prasad had dropped on legs and that would enable him to conquer any region of land and the same would be under his domination. Prithavi Narain Shah was declared king of Shah Dynasty. Gorakhnath ji met him again and gifted a sword. In fact it was the grace of Mahayogi Gorakhnath that under the leadership of Prithavi Narain Shah the rule of Shah Dynasty over entire Nepal was established. Having been blessed by Gorakhnath Prithavi Narain Shah founded, with assistance of people and army, Goraksha nation that is Gorakha State over the entire hill region of Nepal. It included Tistha, Ganga, Trigat, Digarcha. The State was known for its observance and care of cows and religious character. Gorakha nation, race, language, culture and civilization attained a dignified place and from that time to the end (2006 A.D.) Shah dynasty ruled in Nepal. All the rulers of Shah Dynasty accepted Gorakhnath as their diety and in a way he (Gorakhnath) became god of the country.

The devotion and fidelity of Shah Dynasty to Gorakhnath ji is obvious from the fact that the kings of this dynasty were crowned to the throne by the monk (Mahanth) of Mrigasthali which is place of worship of Gorakhnath ji in

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

Nepal. The coins during the Shah rule bore facsimile of foot prints of Gorakhnath and were engraved with words "Sri Sri Gorakhnath". It is worth mentioning that the coin of a country is indicant of sovereignty, and traditionally a mark of the nation, king or god as accepted by the people is engraved on it.

The influence of Gorakhnath, exponent of Nath sect, can be seen on Nepal society even today. After the end of kingship, during the democratic rule of the present, the paper notes of Nepal are replicated with the sabre (Katar) given to the king Prithavi Narain Shah of Nepal and bear the Inscription as "Sri Bhavani" and "Sri Gorakhnath". It is evident that Gorakhnath is treated by the people of Nepal as Guru of the nation. People of Nepal and descendants of Shah come to Gorakhpur to offer "Khichadi" (a mixture of rice and pulse) in Gorakhnath Temple every year. It is mentionable that the Supreme spiritual centre of Nath sect is Gorakhnath Temple in Gorakhpur (Uttar Pradesh, Bharat). It is believed that Mahayogi Gorakhnath had performed penance and meditation here in Treta- Yug (one of the Hindu ages of the world). He presents his appearance (Darshan) before the monk of the temple who is recognized as representative of the Mahayogi. Yogis (ascetics) of Nath sect and devotees from different regions offer Khichadi in this temple during the festival of "Makar Sankranti". The first Khichadi, after monk of the temple, is one from king's family of Nepal.

Monastery and Tamples of Nath sect in Nepal

It is important to mention about monasteries and temple of Nath sect related to Mahayogi Gorakhnath, his Guru Mahayogi Matsyendranath and other elevated personalities.

Pashupati Nath of Kathamandu- Kantipur was known as Kasthmandap for the reason that Kasthmandap was the seat of Shiv Goraksha ans was later called Kathmandu, the Capital of Nepal. It has been said that Malay Varma constructed a grand Kasthmandap (wooden enclosure) for god Sri Gorakhnath and this place became famous by the name of Kasthmandap. Some scholars are of the opinion that Pashupatinath Temple in Kathmandu, The Capital of Nepal, is a temple of Shri Gorakhnath. This is also said that sixteen hundred years ago

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

Luxmi ji got the temple constructed to honour Gorakhnath ji although in the present Lord Shiva as Pashupatinath is established there. Probably the temple of Pashupatinath might have been called the temple of Gorakhnath as he was recognized the incarnation of Lord Shiva. At another place in Kathmandu a temple of Gorakhnath is present where his idol is established in the image of a child. It is said that this idol was set up by an elevated ascetic Loipad. Temple of Machhendranath is also found on the bank of Bagmati Ganga. The upper hilly part of Pashupatinath temple has been the place of meditation of exalted ascetics and for this reason this hill is called Siddhachal. The lower region was inhabited by the stags and hence called Mrigasthali. At temple of Gorakhnath exists in the upper part of Siddhachal. In the vast precincts of this temple a dozen of other temples of lofty Yogis of Nath sect are found. At this holy place Gorakhnath ji had wrapped the clusters of cloud with power of his yoga and immersed in meditation. The importance of the temple and this place of meditation may be understood from the fact that it is settled at the bank of Bagmati and situated in mid of God Pashupatinath and Guheshwari devi temples at the upper hill. The way to Guheshwari devi temple from that of Pashupatinath passed through the precincts of the temple of Maha Yogi Gorakhnath. The permises of Gorakhnath temple are now in ruins although its past grandeur indicates the honour given to Maha Yogi Gorakhnath in Nepal.

Yogis of Nath sect say that on the holy site of worship one white stag is seen in the herd of wandering stags for some moments and then disappears. The Yogis believe that this white stag is the image of Maha Yogi Gorakhnath. There is a great centre of Nath Yogis at Thapa Patheli in Kathmandu. Kal Bhairav temple of Kathmandu and Ratan Nath temple of Saravari Kot are holy places of Nath sect Yogis. Ganesh place near Mrigsthali is also a Monastery of Nath sect where Yogis live and worship.

Tulaja Temple of Kantipur-

An ornate idol of Shri Matsyendra Nath is present in Kantipur Tulja temple. At this place one Loipad meditated and setup a temple where four pieces of an amazing pillar from Kailash Mountain have been used and the temple is triangled. At a distance of 6 K.m**.** there is Pharfing cave where foot

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

prints of Gorakhnath are found. Here is a pond from which water in the breast size of Kamdhenu (a cow) runs. In Kantipur Mountain Kailash with pleasant hills is present at the congregation of Neelwati, Sheelwati and Puranwati. At the top, feet of Shri Matsyendra Nath, Shri Gorakhnath and Shri Dandpani are present. Goraksh Kumbh fair is held at every twelve years at this place. Gorakhnath ji had performed penance in a cave situated in south of Sri Goraksh and Kiran mound. Here is the tomb of Kaynath, an elevated Nath sectarian. Nath sect believes that Sri Bhartrihari Nath with his Yogic Power enlivened a dead infant and named him Kaynath. He also trained Kaynath in Yoga. At a distance of 90 K.m. from here at the congregation of Sindhu five rivers a city in the name of Sri Siddhkaran is situated. Here Bhartrihari Nath had lived for twelve years in the Siddha community with contact and deliberations with the people. Sri Gorakhnath set up sites for eighty four exalted hermits. In this area at Siddh Gau, Gorakhnath had served and taken care of cows for twelve years. Near this place in village Jakhwa foot prints of Gorakhnath are Present. Sri Bhramar Nath ji was a great hermit of his place. Thus the area near Kantipur appears to be a noted center of Mahayogi Gorakhnath, Matsyandra Nath and other ascetics of Nath sect.

Dang-

A famous monastery of Ratan Nath ji is there in Dang where Sri Gorakhnath and Bhairav Nath are specifically worshiped. Sri Ratan Nath was a prince and was so impressed by Mahayogi Gorakhnath that he received teachings of Nath sect and became a renowned ascetic. He propagated the tenets of Nath sect in Nepal, Bhart, Afghanistan, Khurasam, Multan and other places. A good number of Muslims were his disciples. It is belived that he toured Mecca and Madina. His temple in Dang is a big center of Yogis of western Nepal. Symbolic pot of Ratan Nath is brought to the Devipatan temple in Tulsipur of Balrampur district in India every year during Navratan in Chatra (A Hindu month).

Muktinath-

On the western Nepal and Tibet- China Border at a height of about 13000 ft. there is a holy place at Muktinath. It is situated on mountains of

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

Dhaulagiri. This place is always covered with snow and it is open for travel only for four months. The idol present here has four hands and is popularly known as 'Narain' but yogis worship the idol in the name of Gorakhnathji. Tibetans also worship at this site. Ahead of this place there is Damodor pond which is frequented by Nath Yogis.

Other Monasteries and temple of Nath Sect-

A famous monastery of yogi Sansar Nath of Nath sect is in Pinthana. Foot mark of Gorakhnath is worshiped here. A beautiful temple of Gorakhnath is found in a place known as Ashtpushkar. Bageshwari temple is also a center of great respect for yogis of Nath sect. Mahadeo temple of Doti District is held in reverence by the yogis.

A very renowned holy place of Jwala Mai is in Dailekha. Three sites- 'Sir' (Head) 'Navi' (Navel) and 'Paduka' (foot) are here. At all the three places flames come out of earth. This place is managed by Dhamanthi yogis. Nearby there is a well (Store) of grains where grains are offered every year.

It is evident from the facts mentioned above that Nath ascetics especially Matsyendra Nath, Goraknath and Ratannath are well dignified in Nepal. The sites of their worship are holy places of Nepal. These yogis are accepted and adored as deities and have extensive influence on social and spiritual life of Nepal. This is reflected in political life of the country as well. It is clear that yogis of the Nath sect travelled throughout the nation including villages, paths and caves and propounded yoga for the uplift of Nepali society. There has been great influence of yoga traditions and philosophy of Nath sect in the religious and spiritual life of Nepal.

Work Cited:

- Adityanath (2005). *Gorakhnath*. Retrieved 7 March 2006.
- Banerjea, Akshaya. The Philosophy of Gorakhnath. Gorakhnath Temple
- Briggs, G.W. (1938), *Gorakhnath and the Kanphata Yogis*, 6th Edition (2009 Reprint), Motilal Banarsidass.
- Gerald James Larson*; Ram Shankar Bhattacharya; Karl H. Potter (2008). Yoga: India's Philosophy of Meditation. Motilal Banarsidass. .*
- James Mallinson (2011). *Knut Jacobsen (ed.). Siddhi and Mahasiddhi in Early Haṭhayoga in Yoga Powers: Extraordinary Capacities Attained Through Meditation and Concentration. Brill Academic. pp. 327–344.*

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

7

युवा सन्त स्वामी अद्वैतानन्द जी - वर्तमान सांस्कृतिक पुनरुत्थान की क्रान्तिकारी चेतना (अद्वैत वेदान्त एवं सूफ़ीमत का तुलनात्मक अध्ययन्)

डॉ.सुशील कुमार सिंह
पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, आई.सी.एच.आर, नई दिल्ली

शोध सारांश

विश्व की समस्त मानव जाति को एक ही अविनाशी परमात्मा की सन्तान मानने वाले उपनिषद् के इस ज्ञान को समय–समय पर विश्व के महापुरूषों ने अपने कृत्यों एवं वाणी के द्वारा उद्घाटित किया है। वैदिक ऋषि, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा, मुहम्मद साहब, शंकराचार्य, नानक, कबीर, रामकृष्ण परमहंस या स्वयं स्वामी अद्वैतानन्द जी परमहंस इसी सत्य के हिमायती थे। देश, काल एवं परिस्थितियों की संकीर्ण सीमाओं से मुक्त महान विभूतियों ने अपने दिव्य ज्ञान से उस दिव्यता को ही परिभाषित किया है जिसका प्रत्येक व्यक्ति प्रतिनिधि है। आधुनिक युग के समाजशात्रियों ने उसी दिव्यता को परिभाषित करने के लिए साम्यवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद, मानववाद, उदारवाद जैसे वैचारिक आभामण्डलों का सहारा लिया। प्रथम दृष्टया आकर्षक लगने वाली विचारधाराएं अन्ततोगत्वा व्यक्ति के संकीर्ण स्वार्थो की परिधि से बाहर न निकल सकीं। लिहाजा सूक्ष्म स्तर पर इन विचारधाराओं की प्रासंगिकता केवल एक ख्याली–पुलाव बन कर ही रह गयी है। वहीं अध्यात्म वैज्ञानिकों ने जिस मानवीय एकैक्य की बात कही उनके पूरे जीवन में मनसा, वाचा, कर्मणा इसके प्रति रंचमात्र की कमी नही देखी गई। (अध्यात्म वैज्ञानिकों से आशय ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हे सत्य के यथार्थ की अनुभूति हुई है।) बल्कि यह भी देखा गया है कि ऐसे ब्रह्मविद् के सन्सर्ग में आने वाले मानव में भी इसीप्रकार का चरित्र आ जाता है। इसके पीछे कारण यही है कि उन्होने उस तत्व को पहचान लिया था जो समस्त चरा–चर जगत में एकैक्य का बोध करा रही है। जिसे उपनिषदों में आत्म तत्व कहा गया है।

बीज शब्द

सांस्कृतिक पुनरुत्थान, अद्वैत वेदान्त, सूफ़ीमत, साम्यवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद, मानववाद, उदारवाद

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

प्रस्तावना-

श्रृण्वन्ते विश्वे तस्यपुत्रोये धीमनि दिव्यानितस्तु
वेदाहमेतं पुरूषं महान्तमआदित्यवर्ण तमसः परस्तात्।
तमेव विदित्वाति मृत्युभेति नान्यः पन्था विद्यतेयनाम।।[1]

''हे विश्ववासियों! सुनों तुम अमृत के पुत्र हो। यह दिव्य ज्ञान मेरी बुद्धि में आ गया है। मैने अपने भीतर के महान पुरूष को जान लिया है और अन्धकार के पार आ गया हूँ। यह जानकर मै मृत्यु से निकल आया हूँ। इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है।''

हजारों वर्षो से भारत भले ही गुलामी का शिकार था लेकिन आध्यात्मिकता की जान्ह्वी का प्रवाह अनवरत प्रवाहित हो रही थी। सच में कहा जाए तो भारत की भूमि शुष्क धार्मिकता के बजाए प्रेममयी आध्यात्मिकता की है। कबीर, रविदास, नानक, रामकृष्ण परमहंस व राधा स्वामी संम्प्रदाय के संस्थापक शिवदयाल जी जैसे महान आध्यात्मिक वैज्ञानिको का प्रादुर्भाव हो चुका था। इसी श्रृखला में स्वामी अद्वैतानन्द जी का जीवन वृत्त रूहानियत की बुलन्दियों को छुने वाला तथा सहज ही लोगों के प्रेरणा का केन्द्र बना। वर्तमान समय में मानव चेतना को सर्वाधिक प्रवाहित करने वाले इन महान सन्त के देश—विदेश में करोड़ों अनुयायी है। व्यक्ति विशेष में प्रकाशित होकर आध्यात्मिक चेतना ने कोटि—कोटि मनुष्यों का उद्धार किया है। आधुनिक समय में आध्यात्मिक चेतना के प्रकाश का प्रकीर्णन भारत के सूबा बिहार के जिला सारन के छपरा में हुआ। यह जीवन्त शहर अपनी प्राचीनता एवं पवित्रता का प्रमाण पौराणिक युग से ही समेटे हुए है। यहॉ तीन नदियों (गंगा, सरयू व सोन) का संगम स्थल है। छपरा अपनी भौगोलिक विशिष्टता के साथ—साथ हिन्दू धर्म के मानने वालों के लिए तीर्थस्थल के रूप में आस्था का केन्द्र भी हैं। यहॉ के कण—कण में आधुनिक अध्यात्मिक नायक के कृत्यों को महसूस किया जा सकता है। भक्ति एवं सूफ़ी दर्शन के दार्शनिक पहलूओं का अध्ययन कर उसकी तात्विक विवेचना कर के वेदान्त की विचारधारा से पूर्णतया प्रभावित मानने वाले, जनसाधारण के बीच बिना किसी भेद—भाव के मानवता का उपदेश देने वाले अद्वैतानन्द सही अर्थो में सामाजिक समन्वय के सच्चे पुरोधा थे। इतिहास में इन महामानवों का अविर्भाव केवल मानव कल्याण के लिए ही हुआ है।

इस समय भारत की स्थिती अत्यन्त विकट थी। भारत पर अंग्रेजों का शासन दिन—प्रतिदिन मानवीय संवेदनाओं को तार—तार कर अत्याचारी होता जा रहा था। ब्रिटिश हुकुमत ने अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा साधने के लिए साम्प्रदायिक सौहार्द्र को भी

---
1 ईशादि नौ उपनिषद, प्रकाशन— गीता प्रेस, गोरखपुर, श्वेताश्वतर उपनिषद्, पृ0 450

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF

http://www.gorakhpurjournals.in

नुकसान पहुँचाया। इस समय भारत की सामाजिक, धार्मिक स्थिती अत्यन्त शोचनीय हो गई थी। अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी मानसिकता के कारण हिन्दुस्तान में व्याप्त मजहबों की आलोचना की। भारतीयों की मानसिक दशा उस समय अवसादग्रस्त हो गई थी। प्रेम के सिद्धान्त पर आधारित सुफ़ियों की धार भी कुन्द हो गई थी। भक्ति सन्तों के आन्दोलनों के बाद भी हिन्दू समाज उसी संकीर्ण जातिवादी व्यवस्था के अन्तर्गत ही अत्यन्त निम्नतम स्थिति को प्राप्त हो चुका था। अग्रेजों ने इन कमजोरियों का फायदा उठाया तथा फूट डालो और राज करो की नीति के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के वादों (जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, संम्प्रदायवाद) को लेकर सामाजिक समन्वय पर प्रहार किया।

अखण्ड भारत ने फिर से अपनी अध्यात्मिक शक्ति का संचार किया तथा स्वामी अद्वैतानन्द के रूप में रूहानीयत से परिपूर्ण प्रकाशपुंज का उद्भव हुआ। ये किसी ख़ास मज़हब के नहीं बल्कि पूरी मानवता के रहनुमा थे। मानव एकता के बाधक जातिवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद तथा क्षेत्रवाद की सीमाओं का अतिक्रमण इनके जीवन में देखा जा सकता है। इनका जन्म छपरा में रामनवमी के दिन सन् 1846 ई0 में हुआ। रामनवमी के दिन जन्म लेने के कारण आपका नाम रामरूप[1] रखा गया। इनके पिता तुलसी राम पाठक एक संभ्रान्त, धर्मनिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। संसार के नियन्ता को जब मानव कल्याण का कार्य करना होता है तो सामान्य लोगों को लगने वाला क्रूर कार्य भी वरदान सिद्ध होता है लिहाजा इनके माता–पिता का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया। कालान्तर में इस बात कों याद करने पर आप कहते थे कि–

खुदा जहाँ ऐश देता है, वहाँ पर गम भी होता है।
जहाँ नक्कारे बजते हैं वहाँ मातम भी होता है।।[2]

इनकी परवरिश छपरा निवासी नरहरी प्रसाद श्रीवास्तव[3] एवं उनकी धर्मपत्नी ने की। बाह्मण परिवार में जन्मे तथा परवरिश कायस्थ परिवार में हुआ। जाति व्यवस्था का विरोध इनके जन्म से देखा जा सकता है। इन्होने बचपन में ही संस्कृत, हिन्दी, अरबी,

---

1 कालान्तर में इन्हे रामयाद, रामनरायन, हापूबाबा, स्वामी अद्वैतानन्द जैसे विभिन्न नामों से जाना गया।
2 श्री सच्चिदानन्द प्रकाश, भाग–1,राजेन्द्र प्रसाद तायल,श्री स्वामी परमहंस दयाल अद्वैतानन्द जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पृ0 5–7
3 यही पर इनको बाल्यावस्था में गुरू के रूप में केदारघाट वाले परमहंस बाबा का सानिध्य मिला। मात्र 6 वर्ष की अवस्था में गुरू के सलाह एवं प्राणायाम के माध्यम से हवा में उड़ने की ताकत आ गई थी।

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

फारसी तथा उर्दू में शिक्षा प्राप्त की। सत्रह वर्ष के होते–होते तक आपके भौतिक शरीर की परवरिश करने वाले कायस्थ परिवार का इन्तकाल हो गया।[1]

छपरा में ही उनको गुरू के रूप में केदारघाट के परमहंस जी का सानिघ्य मिला। उन्ही के आज्ञा से आध्यात्मिक विकास के द्वारा आत्मिक ज्ञान की जुजुत्षा लिए आचार्य शंकर की तरह इन्होने ने भी लोक कल्याणार्थ मात्र सत्रह वर्ष मी अवस्था में वैराग्य धारण किया। ईसापूर्व चौथी शताब्दी में चौबीसवे तीर्थंकर महावीर की तरह दिगम्बर अवस्था में रहते हुए अकबरपुर, तिलौथू (रोहतासगढ़ बिहार) के घनघोर जंगलों में करीब छः वर्ष तक समाधि में रहे। दिगम्बर अवस्था पर आपने कहा कि –

तने उरयानी से बेहतर नहीं दुनिया में लिबास।
ये वो जामा है जिसका नहीं सीधा उल्टा।।[2]

भ्रमण के दौरान इन्होने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, प्रेम से अगर कोई व्यक्ति कुछ दे देता था तो वे वहीं खा लेते थे। इनका ईश्वर पर अटुट विश्वास था।

चनां पहन ख़्वाने करम गुस्तरद,
कि सीमुर्ग दरकाफ़ किस्मन खुरद।[3]

(उसने अपनी कृपा का दस्तरख्वान इस कदर फैला रखा है कि सी मुर्ग (एक पंछी) एक पहाड़ पर रह कर भी अपनी रोजी रोटी पा लेता है।)

जिस प्रकार भगवत्गीता में भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है तथा भक्ति सन्तों ने भी प्रेम में तल्लीन होकर भक्ति पदों की रचना की। वैसे ही भक्ति के आनन्द में लीन स्वामी अद्वैतानन्द जी ने मथुरा की गलियों में घूमते हुए स्व निर्मित यह पद गया करते थे–

करहूँ मै भगति सिंगार नाथ महारानी हो यौं,
सत के सेंदुर ईगुर सुकृत मुद्रा काजल दैहौं।
माँगटिका त्रिकूटी लव लागे दर्शन हरि जी के पैहौं,
करहूँ मै भगति––
बाज़ूबन्द ज्ञान दृढ तलरी नथिया बुध चमकैहों,
मन कर बँधी संतोष की चूड़ी प्रिय–हिय बिन न रहियों।

---

[1]मात्र 14 वर्ष की अवस्था होने पर आप ने अपने मुर्शिद से सन्यास आग्रह की इच्छा रखी थी। इस सन्दर्भ में देखे– श्री सच्चिदानन्द प्रकाश, भाग–1,राजेन्द्र प्रसाद तायल,श्री स्वामी परमहंस दयाल अद्वैतानन्द जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पृ0 10–14

[2] वही, पृ019

[3] वही, पृ021

करहूँ मै भगति——
दया के कंगन अक्रोध पछेली धर्म की हँसली पंहिन्यों,
कननफूल अनहद साबत बेसर विषय झुलैयों।
करहूँ मै भगति——
सार—सुरत की अंगिया साज के सुमति की साड़ी औढ़्यों,
सहज समाधि बुद्धि चित लहँगा पलहि में पिय के रिझैयों।
करहूँ मै भगति——
'रामयाद' प्यारी पिया होके सोती माया तमकैहों,
सुहागिन होइके प्रिया के रिझाई रज—तम मेल दुरैयों।
करहूँ मै भगति सिंगार महारानी हो यौं।।[1]

जयपुर प्रवास के दौरान वहॉ के प्रसिद्ध सन्त स्वामी आनन्दपूरी जी का सानिध्य मिला। कालान्तर में आनन्दपूरी जी ने इन्हे अपना रूहानी उत्तराधिकारी धोषित किया। इनके समय में सभी मज़हबों के पहुचे हुए महान सन्त महापुरूषों से आपकी भेट होती रहती थी।

तत्कालीन पूर्वी भारत में अध्यात्म के शिखर पुरोधा रामकृष्ण परमहंस बिना किसी भेद—भाव के अध्यात्म की शिक्षा समस्त मानव को दे रहे थे। वैसे ही पश्चिमी उत्तर भारत और आधुनिक पाकिस्तान (खैबर पख्तूनख्वाह प्रान्त के कराक जिला) में, इन्होने मनुष्य शरीर में व्याप्त उस चेतन की पहचान कर बिना किसी धार्मिक तथा जातिगत भेदभाव के आध्यात्मिक ज्ञान दिया। कबीर की तरह आपके शिष्यों में हर मजहब तथा जाति के लोग थे। आचार्य शंकर के द्वारा प्रतिपादित अद्वैत सिद्धान्त की आपने पुष्टि की तथा अपने अन्तःकरण के अद्वैत ज्ञान की आध्यात्मिक अनुभूतियों को शब्दरूप भी दिया—

जहॅ देखों तह यही आत्मा, पिता—पुत्र और नाती।
ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब एही, नाम मात्र बिलगाती।।
यही देवता यही देवालय, पुष्प धूप यही बाती।
पूजन वाली यही आत्मा, यही आप पूजाती।।
अण्डन पिण्डन स्वदेज उद्भज, सकलों एही जाति।
यही कारण, कारज भी एही, एही दूसरी अख्याती।।
''रामयाद'' विचार निर्भय हो, कासे करूं संघाती।

---

[1] सच्चिदानन्द प्रकाश, भाग—1,राजेन्द्र प्रसाद तायल,श्री स्वामी परमहंस दयाल अद्वैतानन्द जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पृ0 37—38

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor 4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

सच्चिदानन्द प्रकाश हुए जब, तब है भरम नसाती।।[1]

अद्वैतानन्द जी को केवल अद्वैतवादी कहना उनके व्यक्तित्व और अवदान को कमतर करना हैं। उनका जीवन अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद एवं सूफी मत (खानदाने चिश्तियॉ, खानदाने सुहारावर्दी, खानदाने नक्सबन्दी इत्यादि) की संगम स्थली है। उनके अन्दर एकदेशीयता, संकीर्णता, दुर्बलता अथवा असम्पूर्णता लेशमात्र भी न था। वे मानव धर्म की विशाल, विपुल, विश्वप्लावी महानता के उदार एवं उज्ज्वलतम प्रतिनिधि थे। इन्होने स्त्रियों को किसी भी प्रकार पुरूषों से कम नहीं माना। आपने कठमुल्लों, पोंगापंथियों की तीव्र निन्दा की तथा स्त्रियों को भी आध्यात्मिक ज्ञान के योग्य माना। यह तत्कालीन समय के लिए क्रांन्तिकारी कदम था।

स्वामी अद्वैतानन्द ने प्राचीन भारत में व्याप्त दार्शनिक तत्वों से मध्यकाल में आए सूफ़ी मत के दार्शनिक तत्वों को प्रभावित माना। उन्होने कहा कि हर एक मुल्क की जलवायु के हिसाब से वहॉ के वैद्य अलग–अलग तरीके से रोगों का इलाज करते हैं लेकिन लक्ष्य उनका मरीज का इलाज करना ही होता हैं। वैसे ही रूहानी हकीम भी मुख़्तलिफ (विभिन्न) तरीकों से इन्सान के कल्ब का इलाज करते हैं ताकि उनके अन्दर प्रेम की भावना का संचार हो। उन्होने कहा कि जिस प्रकार से एक ही औषधि को विभिन्न मुल्कों में विभिन्न नाम से जाना जाता है वैसे ही सारे सन्तों के उपदेश एक ही है सिर्फ बोली का फर्क है[2]।

उन्होने आगे कहा कि श्रीकृष्ण महाराज ने गीता में कहा है कि 'सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ', कुरान शरीफ में एक आयत है जिसमें कहा गया है कि 'ऊ तब्तल अल्लाह तब्तल अल्लाह' यानि सबको छोड़कर उसी का हो रहो। कमोबेश यही बात बौ़द्ध मत में भी कहा गया है कि 'बुद्धं शरणंम् गच्छामि'। उपनिषदों में आता है कि 'एकमेंवद्वितीयम् नास्ति' या 'एकों देवः सर्वभूतेषुगूढः' इसी तरह कुरान में बार–बार आता है कि– 'लाइल्लाहइल्लाहू' अर्थात सिवाए उस एक के दूसरा अल्लाह नहीं है। हिन्दुओं में मनुष्य के मन की पॉंच अवस्था का वर्णन किया गया है–जाग्रत, स्वप्नवत, सुषुप्ति, तुरिया, तुरीयातीत। इसी को सूफ़ी संतो ने नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहुत (फना), बक़ा कहा है। इसी तरह उपनिषदों में आया है कि पहले आत्मा एक थी। उसने सोचा कि मैं बहुत हो जाऊँ और वह हो गया। इस्लाम में कहा गया हैं कि 'कुन फ़यकुन' अर्थात खुदा

1 वही, पृ0,01
2 श्री सच्चिदानन्द प्रकाश, भाग–2, ठाकुर भूरे सिंह, अनुवाद गुलशन राय पारती, शारदा प्रकाशन, दिल्ली, 1971 श्री स्वामी परमहंस दयाल अद्वैतानन्द जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित, पृ0– 234

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

ने हुक्म दिया कि दुनिया हो जाए और वह हो गई। ईसाई कहते है कि खुदा ने कहा कि 'रोशनी हो जाए' और रोशनी हो गई। वेदान्त में ज्ञानियों के तीन दर्जे होते हैं– ब्रह्य सर्वज्ञ, ब्रह्यनिष्ठ एवं ब्रह्य संतुष्ट। इसे सूफ़ी सन्तों ने इल्मलयक़ीन, ऐनुलयक़ीन एवं हक़उलयक़ीन कहा हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे मजहबों में एक ही बात की गई है परन्तु सर्वप्रथम इसप्रकार के विचार वेदों ओर उपनिषदों में ही आए है। फलस्वरूप यह सहज ही समक्षा जा सकता है कि सूफी विचारधारा वेदान्त से प्रभावित है।

किताबो के मसलों पर अद्वैतानन्द जी ने कहा कि, ''हर एक मजहब व मिल्लत कि किताबें उसी देश व भाषा में लिखी हुई हैं जिस देश व भाषा में वह मजहब जारी हुआ जिससे वहां के लोग उसे अच्छी तरह से समझ सकें व फायदा उठा सकें, जैसे बाइबिल लैटिन में, कुरान अरबी में, गीता संस्कृत में। इसके अलावा अगर इन मजहबों का विकास दिगर देशों मे होता है तो वहाँ की स्थानीय भाषा मे इन किताबो का तर्जुमा किया जाता हैं। ताकि वहां के लोग फैज (लाभ) उठाये। वस्तुतः सारी किताबे वेद और उपनिषदो का अनुवाद है। उन किताबों में कोई भेद नहीं है जो भेद दिखता है वह किताबों के अनुवाद करने में गलती हो गई है। अब कोई कहे कि हमारा खुदा या किताब तुम्हारे खुदा या किताब से अलग व श्रेष्ठ है, तो उनके ऐसे ख्यालात दुरूस्त नहीं कहे जायेंगे बल्कि सारे किताबों मे उसी एक खुदा कि महिमा कही गयी है[1]। इस सन्दर्भ में इस उदाहरण को देख सकते है। सनातन इस्लाम अपने को निराकार ईश्वर का उपासक मानता है। भारतीय चिन्तन परम्परा में निराकार ईश्वर से सम्बन्धित विचार इस्लाम के आगाज से हजारों वर्ष पहले ही कह दी गई है। उदहारण स्वरूप केन उपनिषद् के इस मंत्र में कहा गया है कि–

न तंत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यों न विजानिमों यथैतदनुशिष्यादन्यदेव
तद्विदितादथो अविदितादधि।
इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद् व्याचचक्षिरे।।[2]

वहां न आंखें पहुंचती है, न वाक, न मन पहुंचता है और न हम उसे जानते है। हम नहीं समझ पाते है कि शिष्यों को उसका उपदेश कैसे करें, क्योकि वह ज्ञात तथा अज्ञात से परे हैं। बस, यहीं कह सकते है कि हम अपने पूर्वजों से ऐसा ही सुनते आये हैं। ऐसा ही उन्होंने हमें बताया है।

---

1 श्री सच्चिदानन्द प्रकाश, भाग–2, ठाकुर भूरे सिंह, अनुवाद गुलशन राय पारती, शारदा प्रकाशन, दिल्ली, 1971 श्री स्वामी परमहंस दयाल अद्वैतानन्द जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित, पृ0– 233

2 केन उपनिषद्, 1/3 प्रकाशक– गीता प्रेस, गोरखपुर

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः।
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्।।[1]

ब्रह्म को जो नहीं जानता वही उसे जानता है तथा जो उसे जानता है वह नहीं जानता; क्योकि वह जानने वालों के लिए अज्ञात है और नहीं जानने वालों के लिए ज्ञात है। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर मध्यकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दाराशिकोह ने 'सिर्र–ए–अकबर' नाम से करवाया तथा कहा कि अहले किताब का दर्जा हिन्दुओं को हासिल हैं। तथा ईश्वर के निराकार की अवधारणा हिन्दुओं में पहले से ही व्याप्त है। अद्वैत दर्शन पर लेखन कार्य की एक सतत परंपरा हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक दृष्टिगत होती हैं। वहीं इस्लाम के दार्शनिक तत्वों की विवेचना हमें सूफी साहित्य में स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है।

साम्प्रदायिकता हिन्दुस्तान मे विभिन्न मजहबो के बीच लगातार चलते रहते है लेकिन सबसे लम्बी साम्प्रदायिकता अहले हुनुद (हिन्दु धर्म) व अहले इस्लाम को मानने वालो के बीच होता है। इनमे सबसे प्रमुख समस्या खान–पान, इबादत की पद्धती इत्यादि कारणों से होता हैं। इसमें भी बुत परस्ती जहॉ अहले हुनुद इसको जायज ठहराते है वही इस्लाम के मानने वाले इसे बडी ही हिकारत की नजर से देखते है तथा इसे काफीर करार देते है। ऐसे लोगो पर पन्द्रहवी शताब्दी में ही कबीर साहब ने अपनी नजरे टेढी की तथा इन्सानियत से सम्बन्धित हजारो नसीहते इन लोगो को अता दी[2]। इसी मसले पर स्वामी अद्वैतानन्द जी से एक बारएक शैख साहब ने दरयाप्त किया कि बुत परस्ती हिन्दुओ मे क्यो जायज है और मुसलमानो मे क्यो नाजाइज है। तो आप ने जनाब सैय्यद हिदायत अलीशाह साहब चिश्ती मुरादाबादी के इस वक्तव्य को दुहराया जिसमे मुरादाबादी जी ने फरमाया कि, ''जायज नाजायज का हमें पता नही, मगर कोई मजहब फिरका या सोसाइटी ऐसी नजर न आई जिसमें बुतपरस्ती न होती है। हिन्दुओं में तीर्थ जाते है तो मुसलमानों में हज करते है। हिन्दू मन्दिरों की परिक्रमा देते है तो मुसलमान काबा का तवाफ करते है हिन्दू मूर्तियों के सामने सिर झुकाते है तो मुसलमान संगे–असवद (काला पत्थर) को बोझा (चुम्बन) देते है। हिन्दू गंगा जल भर कर लाते है तो मुसलमान आबे–जमजम भर कर लाते है। हिन्दू कनागतों में श्राद्ध करते है तो मुसलमान भाई–मुहर्रम में ताजिया दारी करते है और न्याज दिलवाते है। ये मन्दिरों में दिया जलाते है वो मस्जिदों में चिराग जलाते है। ये समाधि पर रोशनी करते है वे मकबरों मे चिराग करते है बल्कि सरहदी मुकामातों में देखा गया है कि जिस तरह हिन्दू फागून में होली जलाता

[1] केन उपनिषद्, 2/3 प्रकाशक– गीता प्रेस, गोरखपुर

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

है उसी तरह मुसलमान भी शेख–बरात के दिन कूड़ा–करकट जमा कर के आग लगाते है गरज कोई बात ऐसी नही है जिससे हिन्दुओं को बुतपरस्त कहा जाए और मुसलमान बुतपरस्त न हो। अगर इन रसमात (रस्मों) को छोड़कर और ज्यादा गौर करे तो बाज (कुछ) औलियाए–अल्लाह ने तसव्वुरे–शैख बगैरह का तरीका जारी रखा है। बाज रसूलनुमा कोई हजरते–अली पर फिदा है, कोई हुसैन के दिलदाद है।

अगर इस सब बातों से गुजर कर खुदा का ख्याल किया जाय तो उसकी भी जमाली या जलाली कोई न कोई सुरत जरूर काइम करनी होगी। फिर वह भी बुतपरस्ती न हुई तो क्या हुई? हॉ, फर्क इतना जरूर हो सकता है कि किसी का वुत जमाली (साकार) है तो किसी का ख्याली है, मगर है सब बुतपरस्त। इसके बगैर गुजारा भी नही हो सकता। बल्कि, हमारा तो ऐसा ख्याल है कि बुत परस्ती ही सीधा रास्ता है। लेकिन अपना–अपना तरीका सबको अच्छा मालूम होता है।

मुसलमान संगे–असवाद को तो पाक और हिन्दुओं की मूर्तियों को बुत कहते है। इसी तरह हिन्दू अपने मूर्तियों को पाक और मुलसमानों के पत्थर को नापाक कहते है। मगर है दोनों ही बुत परस्त। ये दोनों ही नही बल्कि तमाम दुनिया ही बुत परस्त है। किसी ने औरत का बुत बना रखा है, किसी ने दौलत का किसी ने इज्जत की। बुत परस्ती से बरी कोई नही है[1]।''

स्वामी अद्वैतानन्द जी ने भारतीय साधना पद्धति एवं सूफ़ी साधना पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन् कर यह सिद्ध कर दिया कि इस्लाम की रहस्यवादी धारा भारतीय रहस्यवाद् से प्रभावित है।

भारतीय चिन्तन परम्परा का असर मौलाना रूम के इस मस्नवीं से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होने रूहानी तरक्की के सभी पायदानों का वर्णन किया है। उसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि, 'मुल्के लाहूत पेष अजा याबी, सुन मेगोयन्द और और हिन्दी।' (इससे पूर्व तूझे मृत्युलोक मिलेगा, जहां हिन्दी भाषा में तुझे और सुन और सुन की आवाजें आयेगी) इससे साबित होता है कि सूफ़ी चिन्तन परम्परा पर भारतीय चिन्तन परम्परा का प्रभाव स्पष्ट था।

---

[1] श्री सच्चिदानन्द प्रकाश, भाग–3, ठाकुर भूरे सिंह, अनुवाद गुलशन राय पारती, शारदा प्रकाशन,दिल्ली, 1971 श्री स्वामी परमहंस दयाल अद्वैतानन्द जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित, पृ0– 69

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

1	गुदा—चक्र या मूलाधार	चार दल का कँवल	1, 2 व 3 आलमे नासूत में दाखिल है	यहॉ गणेश जी का निवास है। प्राचीन समय में योगाभ्यास यही से शुरू होता था, इसलिए योगियों की देखा देखी जनसामान्य लोग भी हरेक काम शुरू करने के पहले गणेश पूजा करते है।	
2	इन्द्रियचक्र या स्वाधिष्ठान	छः दल का कँवल		ब्रह्म	
3	नाभि चक्र या मणिपूरक	दस दल का कँवल		विष्णु	
4	हृदय—चक्र या अनहद	बारह दल का कँवल	4,5 और 6 आलमे मलकूत में शामिल है।	महेश	
5	कण्ठ—चक्र या विशुद्ध	सोलह दल का कँवल		दुर्गा	
6	तीसरा तिल या नेत्र जिसे शिव—नेत्र, श्याम—श्वेत आज्ञा—चक्र भी कहते है	दो दल का कँवल		सुरत, यानि परमात्मा का वास	
7	सहस्त्र दल कँवल	हजार—दल कँवल	जबरूत	जोत निरंजन का निवास है। यहाँ दो आवाजे आसमानी निकलती है यानि शब्द प्रगट होता है। इनको पकड़कार सूरत ऊपर को चढ़ती है।	
8	त्रिकुटी	तीन दल का कँवल	लाहूत	ओम् का निवास है।	1से 8 तक को पिण्ड कहते है।
9	शून्य यानि दसवाँ द्वार	एक दल का कँवल	हाहूत	परब्रह्म का निवास है। यहाँ स्थान इल्वी खत्म हुए।	
10	महासुन्न	मैदान		चार शब्द और चारों मुकाम गुप्त है।	
11	भँवर गुफा		हूत—अलहूत	सोऽहं पुरूष का निवास है। यह सो हं श्वासों का नहीं है। ये दो स्थान, यानि महासुन्न और भँवर गुफा व्याल देश की हद में है।	9से11 को ब्रह्मण्ड कहते है।
12	सत्यलोक		हूत	सत्य पुरूष का निवास है। इसके ऊपर तीन स्थान और है।	
13	अलख लोक				
14	अगम लोक				

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF

http://www.gorakhpurjournals.in

15	अलाव लोक			13, 14, व 15 का नाम सन्तों ने दिया है लेकिन इसकी व्याख्या नही की है।	12 से 15 को व्याल देश कहते है।[1]

अध्यात्मिक पुरूषों की रूहानियत तरक्की के आधार पर हिन्दुओं में विभिन्न वर्गो में विभाजित किया गया है जो क्रमशः योगी, साधु, मुनि, ऋषि, महर्षि, महात्मा, ब्राह्मण इनकों इस्लाम धर्म में सूफ़ी, औताद, अब्दाल, गौस, ख्रिज, कलन्दर, कुतुब कहा गया है। अध्यात्मिक तरक्की के विभिन्न श्रेणियों के आधार पर हम देख सकते है कि दोनों धर्मो में समान बाते लिखी गयी है बस भाषा का फर्क है। इन सब दार्शनिक विचारों से साफ जाहिर होता है कि भारतीय चिन्तन परम्परा का प्रभाव सनातन इस्लाम और सूफ़ी आन्दोलन पर भी पढ़ा है।

संसार के सभी आला धर्मो में कई बातों में समरूपता होती हैं। कई बार यह समरूपता इतनी हैरतअंगेज होती है कि मन में यह विचार आने लगता है कि सभी धर्म एक समान हैं और हो भी क्यों न क्योकि आत्मा की भाषा एक है। धर्म आत्मा की वस्तु है। आपने प्राचीन भारत के अन्यान्य धर्ममतों एवं पन्थों में व्याप्त दार्शनिक तत्वों एवं मध्यकाल में आए सूफ़ी मत के दार्शनिक तत्वों को एक ही माना। उनके द्वारा रचित साहित्य सामाजिक भाषाशास्त्र की दृष्टि से उपयोगी है। उनके ग्रन्थों से प्राप्त भाषा के नमूने आधुनिक हिन्दी एवं उर्दू भाषा के तत्कालीन जनसामान्य में प्रचलित भाषा प्रयोगों को निरूपित करते हैं। इनके पदों में एक साथ हिन्दी, उर्दू, संस्कृत और फारसी भाषा के शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जो तत्कालीन समय में लोकगाह्य थी। अद्वैतानन्द जी का जीवन सादगी एवं सदाचारपूर्ण था। दार्शनिक विचार के तहत सबको एक समझना तथा सूफ़ी सन्तों की तरह समस्त प्राणी मात्र के प्रति अपने दिल में प्रेम रखना उनका मुख्य शगल था। उनकी जीवनी सच्चिदानन्द प्रकाश नाम से लिखी गई हैं। इसमे समय–समय पर दिए गए उनके प्रवचनों को संग्रहित किया गया हैं। यह पुस्तक उनके जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालती है। उन्होंने मध्यकालीन आध्यात्मिक दर्शन विशेषकर भक्ति, सूफी, इसाई एवं इस्लामिक विचारधारा में व्याप्त दार्शनिक तत्वों की व्याख्या करके उनको अद्वैत वेदान्त से प्रभावित माना। इनके शिष्यों में जनसाधारण के साथ–साथ तत्कालीन

[1]श्री सच्चिदानन्द प्रकाश, भाग–2, ठाकुर भूरे सिंह, अनुवाद गुलशन राय पारती, शारदा प्रकाशन, दिल्ली, 1971 श्री स्वामी परमहंस दयाल अद्वैतानन्द जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित, पृ0– 174–178

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

जयपुर महाराज, टेरी के नबाब जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इनकी मृत्यु टेरी में हुई (वर्तमान समय में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह प्रान्त के कराक जिले के टेरी कस्बे में परमहंस जी की समाधि है। महान सन्त कबीर की तरह इनकी भी समाधि पर विवाद को देखा जा सकता है। सन् 1997 ई0 में पाकिस्तान के कुछ लोगों ने इन्हे मुस्लिम सन्त घोषित कर के इनकी समाधि पर कब्जा कर लिया, जबकि ये समस्त मानव जाति के प्रतिनिधि है। पिछले 15 वर्षो में यह पाकिस्तान का सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा है। आखिरकार 17 अप्रैल 2015 को पाकिस्तान की आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में समाधि मन्दिर के पुर्ननिर्माण का आदेश दिया। वहा के प्रसिद्ध अखबार 'डान' में 27 जनवरी 2014 को मशहूर पत्रकार 'औरंगजेब खान' ने लिखा कि,''कुछ लोग परमहंस जी की समाधि को तो नष्ट कर सकते है मगर लोगों के दिलों में जो श्रद्धा उनके प्रति है उसे कैसे नष्ट करेंगे।''जन्म और समाधि दो ऐसे स्थानों पर हुआ है जिससे क्षेत्रवाद जैसे सीमाओं का निस्तारण देखा जा सकता है।)। जिस प्रकार से बुद्ध के अवशेषों पर स्तुपों का निर्माण हुआ उसी प्रकार परमहंस जी के दाँत की एक समाधि जयपुर के लाल डुॅगरी के गणेश मन्दिर में भी स्थित है जो लोगों के लिए श्रद्धा का केन्द्र है। इन समाधि पर आज भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। जिस व्यक्ति में समुद्र जैसी गंभीरता, हवा जैसी निरपेक्षता, हिमालय जैसी विशालता, सूर्य जैसा तेज, गंगा जैसी पवि़त्रता, चन्द्रमा जैसी शीतलता, आकाश जैसी व्यापकता जैसे विशेषणों से युक्त होता है वह व्यक्ति, व्यक्ति न होकर एक व्यक्तित्व हो जाता है। जो समस्त मानवता के पुजारियों के लिए सहज ही स्वीकार्य होता है।

पॉच हजार साल पहले भगवान श्रीकृष्ण ने जिस ज्ञान का उपदेश देकर अर्जुन से भक्ति योग को सम्पन्न करवाया। समय के प्रवाह के साथ वह ज्ञान लुप्त प्राय हो गया। उस ज्ञान को पुनः प्रकाशित किया। अपने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में तथा स्वामी स्वरूपानन्द को अर्जुन की भूमिका में रखकर इस कलयुग में भक्ति योग को पुनः स्थापित किया। द्वापर का ज्ञान श्री कृष्ण एवं अर्जुन तक ही सीमित रहा परन्तु स्वामी जी ने इस ज्ञान को सहज व सरल कर के जनसामान्य के लिए भी सुलभ कर दिया। समकालीन ख्यातीलब्ध सन्तों में केवल इन्होने ही सम्पूर्ण जीवन सन्यासी का व्यतीतकर कृष्ण के ज्ञान को धारण किया। इस ज्ञान को इनके अनुयायियों के बीच आज भी देखा जा सकता है। एक शोधार्थी के रूप में ब्रह्य विद्यालय एवं आश्रम छोटका राजपुर, (बक्सर बिहार,) में जाना हुआ। वहॉ के सन्त श्री श्री 108 श्री स्वामी सत्यानन्द जी महाराज करीब दो सौ सन्यासियों के साथ बिना किसी आडम्बर के जनसामान्य आत्मिक उत्थान के लिए

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

लगातार प्रयासरत है। यहा से प्रकाशित पुस्तक 'सत्यम शिवम सुन्दरम्' में स्वामी अद्वैतानन्द जी को प्रथम गुरू माना गया है। आधुनिक समय में ज्ञात स्वामी अद्वैतानन्द जी के अनुयाइयों में गड़वाघाट (वाराणसी), नांगली (मेरठ,) आनन्दपुर (मध्यप्रदेश) जैसे प्रमुख स्थानों पर आश्रम है। इनकी शाखाएँ देश के विभिन्न भागों मे ंफैली हुई है। यहा हजारों सन्यासी तथा लाखों भक्त है। ये बिना किसी मज़हबी भेद–भाव के मानव मात्र के कल्याण के लिए निरन्तर तत्पर है।

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

7

महिलाएं : राष्ट्रवाद के विमर्श में

डॉ. अजय कुमार सिंह
पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, इतिहास विभाग
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

शोध सारांश

वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रवाद पर बहस अपने अतीत के बहसों के तरह ही कई खेमों में बंटी हुई दिखती है। मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रवाद एक तरह के सामाजिक सिद्धांत के रूप में स्थापित दिखता है, जिसके व्यावहारिक रूप में विरोधाभास भी मौजूद है। राष्ट्रवाद एक ऐसे समरस राष्ट्र के अस्तित्व की मान्यता को स्थापित करता है जो राष्ट्रवाद की बहुआयामी पक्ष को नजरअंदाज करता है। जिसके कारण असहमति के स्वरों जैसे स्त्रियों, दलितों या वंचित तबकों के दावे हाशिये पर सिमट गये, जबकि वह मौजूद थे। राष्ट्रवादी बहसों ने समाज के जिन सवालों को हाशिये पर रखने का काम किया उसका संबंध महिलाओं के सामाजिक स्थितियों या निजी/सार्वजनिक जीवन से भी जुड़ता है। औपनिवेशिक सत्ता के विरोध में महिलाएं किस प्रकार राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल थी और राष्ट्र/राज्य के साथ अपने संबंध को देख रही थी? और राष्ट्रवादी आंदोलनों में सहभागी महिलाएं किन महिलाओं के स्वरों का प्रतिनिधित्व कर रही थी? महिलाओं व उनसे संबंधित मुद्दों के संबंध में राष्ट्रवादी विचार की दृष्टि और समाज सुधार के प्रति उनके राजनीतिक उद्देश्यों की समीक्षा इस शोध आलेख का मुख्य उद्देश्य है।

बीज शब्द

राष्ट्रवाद, पितृसत्तात्मक, औपनिवेशिक सत्ता, राष्ट्रीय आंदोलना, प्रतिनिधित्व, परंपरागत, स्त्री चेतना, नारीवाद, भारत माता

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों में राष्ट्रवाद ने निर्णायक भूमिका अदा की। परंतु, राष्ट्रवादी बहसों ने अपने समाज में मौजूद भेदभाव, शोषण और अन्याय को कभी विमर्श का विषय भी नहीं बनाया। "राष्ट्रवाद को अगर ऊंचाई हासिल करनी है तो स्वराज के साथ सुराज को भी जोड़ना होगा। सुराज के आधार पर समता से संपन्न और सभी किस्म की शोषणमुक्त इंसानियत से परिपूर्ण समाज–व्यवस्था होगी।"[1] राष्ट्रवादी आंदोलनों के दौर में भारतीय समाज में मौजूद जाति और लिंग आधारित व्यवस्था में, महिलाएं शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में, पुरुष के इच्छा, वर्चस्व व आकांक्षाओं के जकड़न में अधीनस्थत/शोषित स्थिति में रहने के लिए नियतिबद्ध थी। जिसके कारण महिलाओं के लिए राष्ट्र/राष्ट्रवाद वह भावबोध पैदा नहीं कर सका जैसा की पुरुषों के संदर्भ में होता है। तमार मेयर लिखती है कि "राष्ट्रीय अहं पुरुष अहं और स्त्री अहं दोनों के साथ गुंथा होता है और इसे जेंडर से अलग नहीं किया जा सकता है।"[2]

राष्ट्रवाद की आधुनिक व्याख्या राष्ट्रवाद को नैसर्गिक न मानकर, समकालीन इतिहास की परिणति के रूप में देखती है। परंतु, उन्नसवी और बीसवी सदी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रवाद वह बहुआयामी विमर्श है जिसमें भारतीय समाज के मध्य बैचेनी से भरा हुआ द्वंद भी है। भारतीय राष्ट्रवादी विमर्श में मुख्य बिंदु यह है कि यह उपनिवेशवाद के विरोधी संघर्ष में एक ऐसी साझी जनभावना के रूप में विकसित या लामबंद हुई, जिसने जन समुदाय को भूगोल, भाषा, सभ्यता, जातीयता, धर्म और समान राजसत्ता के आधार पर संगठित किया। राष्ट्रवाद ने एक राष्ट्र की इस अवधारणा के रूप में वजूद में आया जो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में आने वाली सभी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने की कोशिश किया। रोजा लग्जमबर्ग कहती है कि "राष्ट्रीय राज्य और राष्ट्रवाद खाली बर्तन हैं जिसमें हर युग और हर देश के वर्ग–संबंध अपने विशिष्ट सारतत्व उड़ेल देते है।"[3] भारतीय संदर्भ में राष्ट्र के इस भावना में परराष्ट्रों के पराभाव का भाव भी शामिल था। इसके साथ–साथ जातीय राष्ट्रवाद ने जाति के वर्चस्व को राष्ट्रवाद के रूप में विकसित किया तो धार्मिक राष्ट्रवाद ने धर्म को राष्ट्रीय गर्व का विषय बनाया। इसी तरह भाषा, सांस्कृति, इतिहास के आधार पर भी राष्ट्रवाद का विकास दिखता है। इस क्रम में राष्ट्रवाद को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय मिथकों, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्र के मूर्ति जैसे उपकरण के रूप जुड़ते चलते गये। राज्यसत्ता ने राष्ट्रीय सम्मान को राष्ट्रवाद के विमर्श से जोड़ दिया।

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

राष्ट्रवाद की बहसों को औपनिवेशिक/साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और उपाश्रित (subalitem) परिपेक्ष्य में देखा और समझा जाता रहा है जिसके अपने सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ है। इन नजरियों ने राष्ट्रीय आंदोलनों को अलग–अलग तरीकों से पहचाना और विश्लेषण किया। राष्ट्रवादी विमर्शों में औपनिवेशिक/साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारत में राष्ट्रवाद को जन आंदोलन के रूप में स्वीकार नहीं किया। उनका विश्वास था कि साम्राज्यवाद, सभ्यता तथा सामाजिक सुधारों के साथ भारत आया। इस आधार पर औपनिवेशिक/साम्राज्यवादी इतिहासकार इस तथ्य को खारिज करते हैं कि औपनिवेशिक शक्ति के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक शोषण के विरुद्ध भारत में राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव हुआ।

इतिहास लेखन परंपरा में राष्ट्रवादी लेखकों ने भारत में राष्ट्रवाद की पहचान एक प्रमुख सत्ता के रूप में की जिसने स्वतंत्रता और स्वाधीनता के विचार को गतिशीलता प्रदान की। भारतीय राष्ट्रवाद की व्याख्या में राष्ट्रवादी लेखकों ने औपनिवेशिक शासन के शोषण को आधार बनाकर, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को एक जन आंदोलन के रूप में देखने का प्रयास किया। राष्ट्रवाद की इस विचारधारा ने भारतीय राष्ट्र को एक रूप में जोड़ने और भारतीय जनता के रूप में उनकी पहचान बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। यह एहसास कि देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां देश के लोगों को एक दूसरे के करीब ला रही है, लेकिन राष्ट्रीय लक्ष्य पाने के लिए लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास करना होगा। इसलिए जरूरी है कि लोगों में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया जाए।"[4] ए.आर.देसाई लिखते है कि "राष्ट्र ऐतिहासिक तौर पर विकसित होती है, यह भाषा, भू–क्षेत्र, आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक एकता में परिलक्षित मनोवैज्ञानिक अस्तित्व का स्थित, निश्चित संयोग है।"[5]

इतिहास लेखन में मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रवाद के वर्गीय चरित्र का विश्लेषण करने में कार्लमार्क्स के मूलभूत विचारों को अपना आधार बनाया। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रवाद के उस परिकल्पना प्रश्नांकित जो भाषिक, भौगोलिक, सामाजिक, वर्गीय, जातीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अथवा पूंजीवादी हितों के आधार लामबंद होते है। इस विचारधारा के अनुसार राष्ट्रवाद, साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवाद के उस पूंजीवाद का परिणाम है, जो औधोगिक क्रांति के कारण विकसित हुई और जिसने शोषणकारी व्यवस्था को जन्म दिया। राष्ट्रवादी आंदलोन के वर्गीय चरित्र की आलोचना करते हुए इस विचारधारा ने किसानों तथा अन्य वर्गों के शोषण के सवाल को हाशिये से केंद्र में

लाने का प्रयास किया। परंतु मार्क्सवादी राष्ट्रवाद की मुख्य आलोचना उपनिवेश विरोधी मुख्य अंतर्विरोध और भारतीय समाज के भीतर के गौण अंतर्विरोधों के विश्लेषण में एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठा पाने के कारण है। अन्य राष्ट्रवादी विचारधारों के तरह मार्क्सवादी राष्ट्रवाद का नजरिया वर्ग की अवधारणा और उसके अनुसार व्यवहार के चलते मुक्ति की अन्य प्रभावशाली अवधारणाओं को हाशिये पर रखा।

सबाल्टर्न विचारधारा ने इतिहास में भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास लेखन में सबाल्टर्न विचारधारा ने हाशिये पर डाल दिए गये लोगों के विमर्श को केंद्र में लाने का प्रयास किया। इतिहास को नीचे से देखने का यह नजरिया शोषण के आधार और प्रकृति को लेकर मार्क्सवादी व्याख्या से भिन्न था। सबाल्टर्न इतिहासकारों ने अपने ऐतिहासिक विवेचना में 'चेतना' को केंद्रीय स्थान दिया। जिसके आधार पर इतिहास लेखन में असहमति दर्ज की। सबाल्टर्न विचारधारा औपनिवेशिक सत्ता के अधीनस्थ किसान विद्रोहियों की ऐतिहासिक पड़ताल इतिहास लेखन में अभिजन और निम्नवर्ग के दोहरे विभाजन को विमर्श के सतह पर लाने का प्रयास करता है। "इतिहास के इस स्कूल ने पुनर्जागरण, तर्कवाद और इतिहासवाद की सर्वाधिक आलोचना के साथ जोड़ दिया।"[6] स्पष्ट शब्दों में सबाल्टर्न विचारधारा इतिहासकारों एक ऐसा मंच रहा जिसकी परिधि निम्न जाति, आदिवासी, किसान विद्रोह से मध्यवर्गीय विचारधारा में राष्ट्रवाद, राजनीतिक मिथकों के महत्व, जाति और जेंडर की अस्मिता की व्याख्याओं का विस्तार करता है।

राष्ट्रवाद पर मौजूद अवधारणाएं इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि राष्ट्रवाद एक तनावग्रस्त स्थिति रही है। राष्ट्रवाद को परिभाषित करने के कोशिश में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद वह विचार या भावना है जो स्वयं के जरिये अपना खुद का इतिहास बनाती है। हम राष्ट्र को कैसे देखते है? कहां से देखते है और किस तरह से देखते है? यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रवादी विमर्श में, राष्ट्रीय संस्कृति की आकृति, स्वरूप तथा पहचान की व्याख्या की कोशिश में महिलाओं के प्रश्न ने केंद्रीय महत्व प्राप्त हुआ। परंतु, उपनिवेशी शासकों और राष्ट्रवादी वर्गों के बीच महिलाओं के प्रश्न काफी उलझा हुआ भी था। आधुनिकता व प्रगति का विषय बन जाने के कारण नई स्त्री की छवि के तलाश में उपनिवेशी शासकों और राष्ट्रवादी वर्ग के समाज सुधारक सामाजिक कुरतियों को मिटाना चाहते थे लेकिन समाज के मौजूद ढांचे और उसमें महिलाओं की (कमतर) हैसियत की कोई आलोचना नहीं करते थे।

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

समाज–सुधारकों ने सामाजिक सुधार के लिए स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और स्त्री शिक्षा के लिए आंदोलन भी किया। औपनिवेशिक शासन काल में भारतीय समाज सुधारकों की मानसिकता स्पष्ट करते हुए शेखर बंधोपाध्याय बताते है कि "भारत के मध्यवर्गीय पुरूष विक्टोरियाई आदर्श वाली सहचरी के सपने देखते थे। बंगाल में शिक्षित भद्रमहिला प्रबुद्ध हिंदू पत्नी बनाना तो दूर, इस शिक्षा ने स्त्रियों को सुपत्नी और सुमाता की आदर्शमंडित घरेलू भूमिकाओं से सीमाबद्ध कर दिया।"[7] राष्ट्रवादी समाज सुधारकों ने नई शिक्षित स्त्री को सार्वजनिक जीवन की गतिविधियों में भाग लेने की छूट अवश्य दी। परंतु, घरेलू कामकाज अब भी उसका प्रमुख कार्य क्षेत्र था।

राष्ट्रवादी राजनीति ने महिलाओं के राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में महिला की छवि को सांस्कृतिक परंपराओं में खोजा और उन्हीं के आधार पर निर्मित किया। अपनी स्वाभाविक जरूरत के लिए राष्ट्रवाद ने स्त्रीत्व के परंपरागत आदर्श छवि को केंद्रीय महत्व दिया। राष्ट्रवादी चेतना के तहत स्त्री चेतना का विकास आरंभ से ही पितृसत्ता के लिंगीय अनुशासन के अधीन रहा और सार्वजनिक क्षेत्र में स्त्रियों की भूमिका सार्वजनिक अनुशासन के नाम पर पहले से तय थी। समाज सुधारकों ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, पर उसकी सीमाबंदी भी भरपूर तरीकों से की।

महिलाओं के लिए मिथकीय चरित्र के चयन के आधार और उसके प्रस्तुतीकरण को इतिहास की आधी–अधूरी समझ के तर्क को उमा चक्रवर्ती प्रश्नांकिंत करते हुए लिखती है कि "वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति उच्च थी, जबकि ऐसा करते हुए वह सिर्फ आर्य महिलाओं (उच्च जाति की अभिजनवादी महिलाओं) की बात कर रहे होते हैं क्योंकि वैदिक काल में ही गैर आर्य महिलाएं (वैदिक दासी) उस समय भी शोषित की जाती थी। सिर्फ गार्गी और मैत्रेयी जैसी कुछ उच्च जाति की महिलाओं के प्रस्तुतीकरण से सभी महिलाओं की स्थिति का सही अंदाजा लगाना निरर्थक हैं। यह इतिहास को गलत रूप में प्रस्तुत करने का तरीका मात्र है, जिससे यह तथ्य छिपाया जा सके कि उस समय भी महिलाएं समाज से गायब थी।"[8] राष्ट्रवादी आंदोलनों में राष्ट्रीय पहचान को स्थापित करने के इस तरह के प्रयास यह सिद्ध करता है कि राष्ट्रवादी विमर्श ने महिलाओं के प्रश्न को संकुचित क्षेत्रों तक सीमित रखने का प्रयास किया।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रवादी आंदोलनों के दौर में महिलाओं के प्रश्न और नई स्त्री के रूप में उसका समाधान मोटे तौर पर एक वर्ग आधारित भी प्रतीत होती है। अनेक महिलाएं इस देशकाल में औधोगिक श्रमिक जमात का हिस्सा थी जो अपने वेतन और काम के हालात के सिलसिले में उपनिवेशवाद के तहत पनप रहे पूंजीवाद और पितृसत्ता

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

से संघर्ष कर रही थी। चारु गुप्ता लिखती है कि "औपनिवेशिक भारत के खास संदर्भ में जाति, दलित पहचान, लैंगिक विचारधारा और पौरुष के आत्मविवेचन नहीं दिखती हैं।"[9] स्पष्ट है कि राष्ट्रवादी बहसों में इन महिलाओं के प्रश्न की अनदेखी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

"एक तरफ महिलाओं ने राष्ट्रवाद की उपनिवेशवाद विरोधी राजनीतिक दावेवारी में अपना स्वर मिलाना स्वीकार किया, क्योंकि उसके माध्यम से उनके लिए एक नया दरवाजा खुल रहा था। दूसरी तरफ, उन्होंने राष्ट्रवाद की मर्दवादी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और जकड़बंदियों को चुनौतियां देते हुए राष्ट्रवादी एजेण्डे में नारीवादी ऐजेंसी के जरिये पितृसत्ता विरोधी पहलुओं का समावेश करने का यत्न किया।"[10] वास्तव में राष्ट्रवादी आंदोलन के दौर में महिलाएं उस उत्पीड़क संरचनाओं के विरुद्ध लड़ रही थी– उन नैतिक संहिताओं के दायरे में जो बुर्जुआ राष्ट्रवादियों और समाज–सुधारकों द्वारा निर्धारित किए गये थे। परंतु, इन निर्धारित सीमाओं ने भारतीय स्त्री को मुक्ति के रास्ते पर चलने की प्रेरणाएं भी उपलब्ध कराई।

राधा कुमार 'स्त्री संघर्ष के इतिहास में' लिखती है कि "1890 के दशक के दौरान स्त्रियों ने राष्ट्रवादी आंदोलनों एंव संगठनों में भाग लेना शुरू किया। हालांकि काफी हद तक स्त्रियों को अपने आसपास मंडराते पुरुषों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। कांग्रेस के अधिवेशन में महिला प्रतिनिधियों को भाग लेने की अनुमति मिली। परंतु, उन्हें बोलने या प्रस्तावों पर वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। कांग्रेस अधिवेशन में महिलाएं अपनी जिन समस्याओं को उठाना चाहती थी उसमें वेश्यावृत्ति पहला प्रमुख मुद्दा था।"[11] 20वीं सदी के आरंभ में राष्ट्रवाद के बढ़ते उभार ने, स्त्रीत्व के मातृत्व रूप को राष्ट्रीय राजनीति में लोगों को संगठित करने के एक सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित करना आरंभ कर दिया।

जानकी नैयर बताती है कि "राष्ट्रवाद के अंतर्गत स्त्री के मातृत्व रूप को सर्वोच्च महत्व दिये जाने से, न केवल स्त्री की पारिवारिक पोषक की भूमिका को दृढ़ता मिली, वरन स्त्रीत्व का सार के रूप में आत्मत्याग, निरूस्वार्थ सेवा, सहिष्णुता व आत्मबदिलान के गुणों को सर्वोच्च प्रतिष्ठा दी गई। यह विचार राष्ट्रवादी विचारधारा में इतना प्रभावशाली बनकर उभरा कि तात्कालीन प्रमुख राष्ट्रवादी नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने सभी भारतीयों से आह्वान करते हुए कहा कि– मित्रों आप चाहे किसी भी जाति या वर्ण के हों आइये हम सब अपने मतभेदों को भुलाकर मातृत्व धर्म के झंडे तले एकजुट हो जाए।"[12]

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

राष्ट्रवादी आंदोलनों में मातृकेंद्रित वाग्मिता ने महिलाओं की सहभागिता को तेज किया। इन्द्राणी चटर्जी लिखती है कि "कुछ स्त्रियों ने यह विचार व्यक्त करना शुरु कर दिया कि स्त्रियां अगर आजाद होना चाहती हैं तो उन्हें पुरुषों के साथ संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। दोनों लिगों में बराबरी की जहां तक बात है यह स्वयं समानता के सिद्दांत पर आधारित है न कि किसी की दया पर।"[13] 20वीं सदी के राष्ट्रवादी आंदोलनों में महिला सहभागिता दो भिन्न सिद्धांतों के साथ संघर्षरत दिखता या प्रतीत होता है। पहला, यह कि चूंकि स्त्रियां मां के तौर पर अधिक उपयोगी है इसलिए उनके अधिकारों को मान्यता मिलनी चाहिए और दूसरा यह कि चूंकि महिलाओं की जरूरतें, इच्छाएं तथा क्षमताएं पुरुषों के समान हैं इसलिए वे समान अधिकारों की हकदार है।

राष्ट्रवादी आंदोलन में स्त्री सक्रियता की बढ़ती राजनैतिक, सामाजिक चेतना का प्रत्यक्ष प्रमाण, राज्य के विरूद्ध स्त्रियों को एक समूह के रूप में संगठित होना भी है। महिलाएं अपने सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक अधीनीकरण से आजादी पाने के लिए न केवल राष्ट्रीय मुक्ति बल्कि सामाजिक रूपांतरण के मोर्चे पर भी सक्रिय रूप से सहभागी थी। राष्ट्रवादी आंदोलनों ने महिला सहभागिता का उपयोग निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर को तोड़े बिना ही किया। इन आंदोलनों ने भारत की महिलाओं में पहली बार प्रजातंत्र, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को जाना–समझा। जिससे महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई परंतु, इन आंदोलनों ने कभी भी लैगिंक समनता जैसे मुद्दे नहीं उठाए और ना ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती दी।

महिलाओं का राष्ट्र–राज्य और राष्ट्रवाद के संबंधों की पहचान के क्रम में, हम पाते है कि व्यक्ति जिस समाज या राज्य का सदस्य है, के साथ संबंध अनिवार्य रूप से उसकी सामाजिक संरचना द्वारा निर्धारित होता है। दुर्गा दास बसु बताते है कि "सामाजिक संरचना में असमानता की स्थिति में स्त्रियों के लिए राष्ट्र/राष्ट्रवाद वह बोध पैदा नहीं कर सकता था और न उस तरह से अर्थित हो सकता था जैसा कि वो पुरुषों के संदर्भ में था।"[14]

राष्ट्र को अक्सर राजनीतिक शक्ति के प्रस्तुतीकरण से जोड़कर देखा जाता रहा है बल्कि राष्ट्रीय शक्ति का प्रतिनिधित्व भी जेंडर विभेद पर निर्भर करता है। वर्जिनिया वुल्फ लिखती है कि "महिलाएं अपने विषय में देशभक्ति के अर्थ का विश्लेषण करेगी तो अपने अतीत में लिंग और वर्ग का लेखा–जोखा लेगी। वह इस बात पर विचार करेंगी कि स्त्री आज कितनी जमीन, संपत्ति और धन–धान्य की स्वामिनी है। वह कहेगी, इतिहास के ज्यादातर काल में मुझे सिर्फ दास मानता आया है, इसने मुझे शिक्षा या मालिकाने में

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor 4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

किस प्रकार की हिस्सेदारी से बेदखल रखा.....असल में एक औरत के तौर पर मेरा कोई देश नहीं। एक औरत के तौर पर मैं कोई देश भी नहीं चाहती। एक औरत के रूप में पूरी दुनिया मेरा देश है।"[15] वुल्फ महिलाओं और राष्ट्र के संबंधों के बारे में महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के आधार पर अभिव्यक्त करती है। जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि महिलाएं राष्ट्र और नागरिकता के बीच पेडुलम वाली स्थिति में है।

नीरा युवाल–डेविस और फ्लोरा एन्थियास राष्ट्र और महिलाओं के संबंध को पांच प्रमुख बिंदुओं से चिन्हित करती है– "(1) राष्ट्रीय समूह के सदस्यों की जैविक प्रजननकर्ता के रूप में, (2) राष्ट्रीय समूहों की सीमाओं के प्रजननकर्ता के रूप में (यौन एंव वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध के जरिए) (3) राष्ट्रीय संस्कृति के सक्रिय प्रचारक व उत्पादक के रूप में (4) राष्ट्रीय विभेद के प्रतीकात्मक संकेतक के रूप में (5) राष्ट्रीय संघर्षों में सक्रिय हिस्सेदारी के रूप में। ये सभी प्रवृत्तियां विशेष ऐतिहासिक क्षणों में स्त्री को विशेष प्रकार से निर्मित करते हैं।"[16] नीरा युवाल–डेविस और फ्लोरा एन्थियास का यह विश्लेषण जेंडर, राष्ट्र और यौनिकता के विषय ध्यान केंद्रित कराते है। साथ ही यह इशारा करते है कि राष्ट्र को फायदा पहुंचाने, उन्हें प्राप्त करने या उनपर नियंत्रण करने का सवाल हमेशा ही जेंडर से प्रभावित होता है।

आमतौर पर स्त्रीत्व को राष्ट्र के निमार्ण में सहयोग देनेवाले एक साधन के रूप में पेश किया जाता है, यह सहयोग प्रतीकात्मक, नैतिक और जैविक पुनरुत्पादन के रूप में सामने आता है। भारतीय संदर्भ में जनसंख्या नियंत्रण के मामले में'हम दो हमारे दो', का नारा या स्लोगन 'गर्भनिरोध स्वीकारकर्ता' जैसे परियोजनाओं को उदाहरण के तौर पर रखा जा सकता है। जहां राष्ट्र को सहेज कर रखने की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर रखी जाती है, कभी–कभी इसके लिए धार्मिक तर्क–विमर्श भी पेश किए जाते है। इस तरह महिलाओं को अक्सर राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने के रूप में देखा जाता है।

एक राष्ट्र की महिलाएं उसकी सरहद का प्रतीक बन जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे के समय महिलाओं के साथ हुए हिंसक घटनाएं इसका उदाहरण बन सकती है। टकराव के स्थितियों में महिलाओं के साथ यौनिक हिंसा राष्ट्र की इज्जत लूटने का हथियार बन जाती है। महिलाओं का बलात्कार राष्ट्रीय सरहदों, राष्ट्रीय स्वायत्ता और राष्ट्रीय संप्रभुता के उल्लंघनों के रूप में राष्ट्र पर हमला का प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

होते है। इस तरह महिलाओं के शरीरों पर किए जाने वाले हमले राष्ट्र के पुरुषों पर हमले का प्रतीक बन जाते है।

स्पष्ट है कि महिलाएं स्वयं व्यावहारिकता के धरालत पर राष्ट्र/राज्य के साथ खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाती है परंतु, राष्ट्र, जेंडर और उसकी जैविक स्थिति एक–दूसरे को इस तरह गढ़ने का प्रयास करती है कि उसकी भूमिका परिभाषित होती है। भारत में 'भारत माता' का प्रतीक इस्तेमाल किया गया है। इसमें भारत के भौगोलिक नक्शे पर एक औरत शरीर को दिखाया जाता है। ऐसा शरीर जिसे चाहा जाता है, जिस पर कब्जा बरकरार रखा जा सकता है और जिसकी रक्षा करना जरूरी है। राष्ट्र इस तरह महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ होता है और राष्ट्र के काम के रूप में जेंडर आधारित बंटवारा भी होता है। महिलाएं प्रतीक के रूप में राष्ट्र को पुनरुत्पादित करती है और पुरुष राष्ट्र की रक्षा करते हैं, उसका बचाव करते हैं और उसके लिए बदला भी लेते है।

संदर्भ सूची

1. गोपाल गुरू, दलित बौद्धिकता और सांस्कृतिक दीवारें, सं अभय कुमार दुबे, आधुनिकता के आइने में दलित, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली,2014 पेज न०–141
2. तमार मेयर, जेंडर आयरनीज आंफ नेशनलिज्मरू सेटिंग द स्टेज का हिंदी अनुवाद, रंजीत, राष्ट्रवाद की जेंडर विडंबनाएं, निरंतर प्रकाशन, नई दिल्ली,2011, पेज न०–172
3. ए.आर.देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की अधुनातन प्रवृत्तियां, ग्रंथशिल्पी प्रकाशन, नई दिल्ली,2016, पेज न०–80
4. विपन चंद्र, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविधालय, दिल्ली,2000 पेज न०– 38–41
5. ए.आर.देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पापुलर प्रकाशन, मुंबई, 2000 पेज न०– 309
6. आलोचना सहशताब्दी अंक 1 अप्रैल–जून 2000, पेज न०– 89–90
7. शेखर बंदोपाध्याय, प्लासी टू पार्टिसन, हिंदी संस्करण, ओरियएट लेमैन नई दिल्ली 2007 पेज न०– 418
8. उमा चक्रवती, वाट एभर हैप्न टू वैदिक दासी? ओरिएटलिजम, नेशनललिजम एंड स्क्रीप्ट फार पास्ट इन रिकास्टिग विमन....ऐसेज इन कोलोनियल हिस्ट्री संपादन, कुमकुम संगारी एंड सुरेश वैध्य, काली फांर वुमेन नई दिल्ली, 1989, पेज न०–28
9. चारु गुप्ता, रूप और अरूप, सीमा और असीम, प्रतिमान, सं. अभय कुमार दुबे, नई दिल्ली, जनवरी–जून 2013, पेज न०– 100
10. अभय कुमार दुबे, फुटपाट पर कामसूत्र, पटरी से उतरी हुई औरतों का यूटोपिया, राष्ट्रवाद के प्रति आख्यान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016, पेज न०– 21

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

11. राधा कुमार, स्त्री संघर्ष का इतिहास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002,पेज न०— 81—82
12. जानकी नैयर, वीमन एंड ला इन कालोनियल इंडिया, काली फार वूमेन, नई दिल्ली 1996, पेज न०—214—216
13. इंद्राणी चटर्जी का अप्रकाशित शोध प्रबंध, बंगाली भद्र महिला—1930—34, जे एन यू—1986 पृष्ठ 91—94
14. दुर्गादास बसु, भारत का संविधान—एक परिचय, वाधवा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1994, पेज न०— 25
15. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनिता (सं०)ः नारीवादी राजनीतिः संघर्ष एंव मुद्दे, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविधालय, दिल्ली 2001, पेज न०— 78
16. वही, पेज न०— 79.

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

8

भारत का स्वशासन (स्वराज्य)

डॉ. अनिरुद्ध कुमार तिवारी
अतिथि प्रवक्ता, इतिहास,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

शोध सारांश

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध और विशेषकर 1857 के विद्रोह के कुचले जाने के बाद वाले काल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का चरमोत्कर्ष माना जाता है। उपनिवेशी शासन में शासकों में एक आत्मविश्वास से भरी संरक्षक–भावना निरंकुशता का रूप लेने लगी, जो भारतवासियों के स्वशासन के किसी भी अधिकार को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इस साम्राज्यिक विचार का एक दार्शनिक आधार भी था और व्यवहारिक आधार भी। 18वीं सदी के पुनर्जागरण काल का यह आशावाद भी विरासत में मिला था कि समुचित शिक्षा के द्वारा मानव की प्रकृति को बदला जा सकता है। इसलिए उन्होंने साम्राज्यिक लक्ष्य को एक शैक्षिक ध्येय के रूप में स्वीकार किया।

बीज शब्द

साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, प्राकृतिक न्याय, स्वराज्य, स्वशासन, रिपन, होमरूल आन्दोलन, मांटेग्यू–चेम्सफोर्ड, डोमिनियन स्टेट्स

भारतवासियों को तब स्वशासन का अधिकार दिया जा सकता है, जब उन्हें बुद्धिवाद और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार स्वशासन के उद्देश्य की समुचित शिक्षा दे दी जाए।[1] वित्तीय दबाव एवं प्रशासनिक कसाव राजनीतिक रूप से खतरनाक न हो, इसके लिए आवश्यक था कि इनके साथ–साथ अधिक भारतीय सहयोगियों की तलाश की जाती। जैसा कि अनिल सील का कहना है, ''नामांकन की व्यवस्था, प्रतिनिधित्व और चुनाव, ये सब भारतीयों को साम्राज्यवादी लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में जुटाने के साधन थे।'' स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास में वित्तीय एवं राजनीतिक पक्षों को बड़ी

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

सफाई से गूंथा गया था। वस्तुतः यह प्रक्रिया कंजर्वेटिव मेयो के काल में आरंभ हुई थी, लिबरल रिपन के काल में नहीं। इसका मुख्य लक्ष्य था– स्थानीय आवश्यकताओं की स्थानीय करों द्वारा पूर्ति करके वित्तीय कठिनाइयों को सुलझाना। किंतु मेयो ने भी अनुभव किया था कि ''हमें इस देश के शासन में अपने–आपसे धीरे–धीरे देसी तत्वों को अधिकाधिक जोड़ना चाहिए।'' दूसरा राजनीतिक पेंच रिपन के मई 1882 के प्रसिद्ध प्रस्ताव में स्पष्टतः उभकर सामने आया जिसमें स्थानीय निकायों में चुनाव द्वारा बहुमत प्राप्त करने एवं अध्यक्ष चुनने का अधिकार देने का वादा किया गया था। यह ऐसा वादा था जो धीरे–धीरे और अपूर्ण रूपसे ही व्यवहार में आ सका क्योंकि अधिकांश प्रांतीय नौकरशाहों ने इसका प्रतिरोध किया।[2]

स्वराज्य का अर्थ दोनों नेताओं (तिलक तथा श्रीमती एनी बीसेंट) की निगाहों में करीब एक जैसा ही था– ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसी गोरो द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी यथा कनाडा एवं आस्ट्रेलिया में।[3] मद्रास सरकार ने 15 जून 1917 में एनी बीसेंट, जार्ज अरूंडेल तथा बी0पी0 वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन हुए। एस0एन0 बनर्जी, दिनशावाचा एवं शास्त्री जैसे नरमपंथी नेता लीग में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने भी सरकारी कदमों की तीखी आलोचना की। कांग्रेस ने भी वाइसराय के पास प्रतिवाद भेजा। गांधी जी ने, जो उन दिनों राज को बिना–शर्त सहयोग एवं समर्थन देने के सबसे बड़े पैरवीकार थे, 7 जुलाई को वाइसराय के नाम लिखे एक खत में इन नजरबंदियों को भारी भूल बताते हुए वैधानिक आन्दोलन चलाने की अनुमति देने की विनम्र प्रार्थना की। भूतपूर्व न्यायाधीश एवं मद्रास होमरूल लीग के अध्यक्ष सर पी0 सुब्रहमनिया अय्यर ने भी सरकार का विरोध किया और 24 जून 1917 को अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन के नाम एक खत में सरकारी दमन का खुलासा करते हुए भारत को स्वशासन दिलवाने की अपील की। इस खत को लेकर ब्रिटेन में काफी हंगामा हुआ। फलतः अय्यर महोदय को आइंदा ऐसी गलती न करने की चेतावनी दी गई। उन्होंने विरोध स्वरूप 'सर' का खिताब वापस कर दिया। उपाधि वापस करने की यह पहली भारतीय घटना थी।[4] 28 जुलाई 1917 को कांग्रेस की एक बैठक में तिलक ने कहा कि यदि सरकार इन लोगों को तुरंत रिहा नहीं करती है, तो शांतिपूर्ण असहयोग आन्दोलन चलाया जाए। इस प्रस्ताव को सभी प्रांतीय कांग्रेस समितियों के पास मंजूरी के लिए भेजा गया।[5] बरार तथा मद्रास ने सत्याग्रह के पक्ष में तथा बंबई, पंजाब, संयुक्त प्रांत एवं वर्मा ने भारतमंत्री मांटेग्यू की प्रस्तावित

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

भारत–यात्रा को मद्देनजर रखते हुए विपक्ष में विचार व्यक्त किया, जबकि बिहार ने एक निश्चित तिथि का अल्टीमेटम देने और उस तिथि के बाद सत्याग्रह आयोजित करने का सुझाव रखा। चूंकि बहुमत सत्याग्रह के विपक्षियों का था, अतः सत्याग्रह का विचार तत्काल त्याग दिया गया। होमरूल आन्दोलन के प्रति देशी नरेशों का भी सहानुभूतिपूर्ण रूख रहा, जिन्हें शासक अपने खिलाफ उठने वाले, तूफानों के विरूद्ध अवरोध मानते थे। उनकी ओर से बीकानेर के महाराज ने अपने भारतीय भाइयों की वैध आकांक्षाओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए काफी रियायतें देने अन्यथा गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी गोरे शासकों को दी।[6] इन घटनाओं के बाद इंग्लैण्ड की सरकार ने अपनी नीतियाँ बदली। अब उनका रूख समझौतावादी हो गया। नए गृहसचिव मांटेग्यू ने हाउस ऑफ कामंस में ऐतिहासिक घोषणा की, ''ब्रिटिश शासन की नीति है कि भारत के प्रशासन में भारतीय जनता को भागीदार बनाया जाए और स्वशासन के लिए विभिन्न संस्थानों का क्रमिक विकास किया जाए जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ी कोई उत्तरदायी सरकार स्थापित की जा सके।'' यह बयान मॉरले के बयान से एकदम विपरीत था। 1909 में संवैधानिक सुधारों को पार्लियामेंट में रखते समय मॉरले ने साफ–साफ कहा था कि इन सुधारों का उद्देश्य देश में 'स्वराज' की स्थापना कतई नहीं है। मांटाग्यू की घोषणा का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अब होमरूल या स्वराज की माँग को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता था। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं था कि ब्रिटिश हुकूमत स्वराज की माँग मानने ही जा रही थी। मांटेग्यू की घोषणा में यह बात भी थी कि स्वशासन की स्थापना तभी होगी, जब उसका उचित समय आएगा और समय आया है या नहीं इसका फैसला अंग्रेजी हुकूमत करेगी।[7]

अगर देखा जाय तो होमरूल आन्दोलन ने सत्ता और अधिकारी–वर्ग से सीधे संघर्ष नहीं किया और अपना लक्ष्य प्राप्त किए बगैर ही बिखर गया। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मांटेग्यू घोषणा और उस पर आधारित 1919 का अधिनियम इसी से प्रभावित हुई थी। लेकिन होमरूल आन्दोलन का वास्तविक महत्व राष्ट्रीय आन्दोलन पर पड़ने वाले उसके दूरगामी प्रभावों में निहित है। उसने पहली बार एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन को जन्म दिया जिसका मुख्य श्रेय श्रीमती बीसेंट को है। इसके पूर्व आन्दोलन की राजनीति सिर्फ पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र तक ही सीमित रही थी। होमरूल आन्दोलन ने इनके अलावा संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, गुजरात और सिंध जैसे नए क्षेत्रों में आन्दोलनकारी राजनीति का प्रसार कर न केवल आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप ही प्रदान किया वरन् भावी राष्ट्रीय आन्दोलन को काफी मजबूत

भी बनाया। बाद में ये नए क्षेत्र ही गांधीवादी राष्ट्रवाद के मुख्य आधार–स्तम्भ सिद्ध हुए। फिरभी, क्रमिक ढंग से सही, भारत सरकार को 19वीं सदी के अंतिम और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में प्रतिनिधिक स्वशासन का आरम्भ करना ही पड़ा। 1861 के इण्डियन काउंसिल्स एक्ट ने बंगाल, मद्रास और बंबई में सीमित स्वशासन का आरंभ किया और फिर इसे 1886 में पश्चिमोत्तर प्रांत और 1897 में पंजाब में लागू किया गया। 1892 के कानून ने प्रांतीय विधायिकाओं (लेजिस्लेटिव काउंसिलों) में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाई। फिर 1882 का स्थानीय स्वशासन का कानून, 1883 में इल्बर्ट बिल, 1909 के मॉर्ले–मिंटो, सुधार और 1919 में मांटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार भी सामने आये।[8] 1917 के अगस्त घोषणा ने भारत और इंग्लैंड के संबंधों में एक गुणात्मक परिवर्तन का दिया था। एक बार उत्तरदायी सरकार का लक्ष्य घोषित किए जाने के बाद उसके कार्यान्वयन की एक ही पराकाष्ठा हो सकती थी और वह थी भारत की राजनैतिक सत्ता, इंग्लैंड की संसद से हटकर भारत में चुनी हुई विधायिका को उसका हस्तांतरण। वस्तुतः ब्रिटिश साम्राज्य के भागों में जैसे कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैण्ड आदि, यह संवैधानिक और प्रशासनिक स्थिति अब तक स्थापित भी हो गई थी। भारत में साम्राज्यवादी हितों और स्वार्थों के कारण ऐसा विकास (डोमिनियन स्टेट्स) बहुत देर से हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1906 में ही भारत के लिए 'स्वशासित डोमिनियनों' की भाँति शासक की प्रणाली की माँग की थी और तब से इस माँग को प्रतिवर्ष दुहराया गया था। 1919 के संविधान में दिए गए राजनीतिक अधिकारों और स्वशासित डोमिनियनों को प्राप्त आंतरिक स्वतंत्रता के बीच बहुत बड़ी खाई थी। लेकिन शनैः–शनैः कुछ ऐसे कदम उठाये जा रहे थे जिससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व और स्थिति लगातार उन्नत हो रही थी। 1917 के साम्राज्यवादी युद्ध सम्मेलन (इंपीरियल बार कान्फ्रेंस) की लंदन में हुई बैठक में युद्धोत्तर विश्व में संबद्ध पक्षों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए डोमिनियनों के साथ भारत को भी आमंत्रित किया गया। इसी के साथ 1907 का वह प्रस्ताव वापस ले लिया गया, जिसमें इंपीरियल कान्फ्रेंस की सदस्यता केवल इंग्लैंड और स्वतंत्र उपनिवेशों तक ही सीमित थी। 1918 के पश्चात् होने वाले इंपीरियल कान्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व भारत–मंत्री और भारत से नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता रहा। 1918 में ही साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमण्डल (इंपीरियल बार कैबिनेट) में दो भारतीय प्रतिनिधियों सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और बीकानेर के महाराजा को रखा गया। पेरिस में हो रहे शांति सम्मेलन में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि मंडल में भारत भी एक प्रतिनिधि था। जर्मनी के साथ हुई वर्साय की संधि पर भारत ने स्वतंत्र देश के रूप में हस्ताक्षर किए थे। भारत नवगठित राष्ट्रसंघ

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

का भी प्राथमिक सदस्य था और उसके प्रतिस्थापन (कवनेंट) का स्वतंत्र रूप से हस्ताक्षरकर्ता था। इसके बाद भारतीय प्रतिनिधि राष्ट्रसंघ की महत्वपूर्ण समितियों और सम्मेलनों में लगातार भाग लेते रहे। संसार के आठ प्रमुख औद्योगिक देशों में एक होने की हैसियत से भारत अंतरराष्ट्रीय संगठन की कार्यकारिणी का सदस्य था और 1927 में श्रम सम्मेलन की अध्यक्षता एक भारतीय सर अतुल चटर्जी ने की थी।[9]

1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट (मॉर्ले–मिंटो रिफार्म्स) ने सीमित स्वशासन का प्रावधान किया और इसलिए किसी भी भारतीय राजनीतिक समूह को संतुष्ट न कर सका। ब्रिटिश भारत के संवैधानिक सुधारों में यह सबसे अल्पजीवी साबित हुआ और दस साल के अन्दर ही उसे संशोधित करना पड़ा।[10] 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने केन्द्र में एक दो सदनों वाली विधायिका का प्रावधान किया– काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली का। इस लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुमत निर्वाचित सदस्यों का होता पर मंत्रियों पर इसका कोई नियंत्रण नहीं होता। रद्द किए गए विधेयकों को जबरन लागू कराने के लिए वायसरॉय के पास सर्टिफिकेट की कार्यपद्धति के रूप में वीटो की शक्ति होती। जब निर्वाचक मंडल का विस्तार हुआ, तो भारतीय नेता लोकतांत्रिक ढंग से काम करने और जनता का समर्थन पाने की कोशिश करने पर मजबूर हो गए। वह व्याख्या निश्चित तौर पर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जनता के उभार की व्याख्या नहीं करती। दिसंबर 1920 में गांधी जी ने जो असहयोग कार्यक्रम आरम्भ किया, उसका एक प्रमुख तत्व नई परिषदों का बहिष्कार था।[11] 1928–29 के वर्षों में गांधी जी पूरे समय एक और अखिल भारतीय जनसंघर्ष के बढ़ते हुए दबाव पर रोक का कार्य करते रहे। स्पष्टतः इस बार यह संघर्ष पूर्ण स्वाधीनता के लिए होने वाला था। उनकी अनुपस्थिति में मद्रास अधिवेशन (1927) में जवाहरलाल ने स्वाधीनता का जो आकस्मिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसका गांधी जी ने कड़ा विरोध किया। वे अगले वर्ष कलकत्ता अधिवेशन में समझौते का एक सूत्र स्वीकार करवाने में सफल रहे, जिसमें नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियम स्टेट के लक्ष्य को इस शर्त पर स्वीकार किया गया था कि ब्रिटिश सरकार 1929 के अंत तक यह दर्जा प्रदान कर दे, अन्यथा कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन करने एवं पूर्ण स्वराज्य की मांग करने के लिए स्वतंत्र होगी। बोस ने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य की तत्काल पुनरोक्ति का संशोधन प्रस्तुत किया। जवाहरलाल नेहरू, तमिलनाडू के सत्यमूर्ति, बंगाल के अनेक प्रतिनिधियों एवं बंबई के कम्युनिस्टों (निंबकर और जोगलेकर) ने इसका समर्थन किया, किंतु यह संशोधन 973 के मुकाबले 1,350 मतों से पराजित हो गया। 31 अक्टूबर 1929 के इरविन प्रस्ताव ने थोड़े समय के लिए कठिनाई उत्पन्न कर दी। इस प्रस्ताव में

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

वायसरॉय ने घोषणा की थी कि डोमिनियम स्टेट्स तो भारत की संवैधानिक प्रगति का स्वाभाविक मुद्दा है और वादा किया कि साइमन रिपोर्ट के प्रकाशित हो जाने पर एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। निजी तौर पर, वायसरॉय साइमन आयोग के प्रबल विरोध को देखते हुए दिसंबर 1928 से ही ऐसी चाल चले जाने की मांग कर रहा था। नई लेबर सरकार (जून 1929) ने उसके प्रस्ताव का समर्थन किया, किंतु अधिकांश टोरियों और लिबरलों को यह बात कतई पसंद नहीं आई, जैसा कि उन्होंने प्रस्ताव के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई बहस में स्पष्ट किया। इस बहस से समस्त योजना की विश्वसनीयता ही कम हो गई। 2 नवंबर को गांधी जी, मोतीलाल और मालवीय ने लिबरलों के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया किंतु चार शर्तों के साथ : गोलमेज सम्मेलन में डोमिनियन स्टेट्स के ब्यौरों पर बहस हो, न कि मूल सिद्धांतों पर जिन्हें ब्रिटिश सरकार तुरंत स्वीकार कर लेती; कांफ्रेंस में कांग्रेस के प्रतिनिधि बहुसंख्य हों, और एक आम माफी तथा सामान्यतः मेल–मिलाप की नीति घोषित की जाए। बोस ने इस दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। जवाहरलाल ने हस्ताक्षर तो कर दिए किंतु शीघ्र ही उन्हें संशय होने लगा और वे त्यागपत्र देने की इच्छा प्रकट करने लगे। जो भी हो, 23 दिसंबर को गांधी–इरविन भेंट में संधि–वार्ता टूट गई क्योंकि वायसरॉय ने शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया था।[12]

कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (दिसंबर 1929) में जवाहरलाल ने अपना पहला प्रेरक अध्यक्षीय भाषण दिया। उन्होंने बड़ी दिलेरी से स्वतंत्रता आन्दोलन के एक नए अंतर्राष्ट्रीय एवं सामाजिक रूप से जुझारू परिप्रेक्ष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। यह परिप्रेक्ष्य अब तक केवल थोड़े से वामपंथी समूहों तक सीमित था। ''मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूँ कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, और राजाओं, नरेशों में या उस व्यवस्था में मेरी कोई आस्था नहीं है जो आधुनिक औद्योगिक सम्राट उत्पन्न करती है...।'' उन्होंने जमींदार–किसान–संघर्ष और पूंजी–श्रम–संघर्ष के समाधान के लिए गांधीजी के प्रिय ''ट्रस्टीशिप' सिद्धांत की आलोचना की। बोस का यह वैकल्पिक प्रस्ताव कि करों की अदायगी तुरंत रोक दी जाए, जहाँ और जब भी संभव हो आम–हड़तालें की जाएँ, और समांतर सरकार बनाई जाए, अस्वीकार हो गया। सबसे बढ़कर यह कि यद्यपि बोस और जवाहरलाल, दोनों ने ही ऐसे सविनय अवज्ञा आन्दोलन की कल्पना की थी जिसकी चरम परिणति आम–हड़तालों में होती, मगर तय यह हुआ कि आगे उठाए जाने वाले कदमों के कार्यक्रम की योजना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बनाएगी। इसका अर्थ यह था कि यह कार्यक्रम गांधीजी ही बनाऐंगे। इन सब सीमाओं के होते हुए भी यह मानना पड़ेगा

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

कि संसार के सबसे बड़े उपनिवेश में साम्राज्यवाद–विरोधी आंदोलन अब गुणात्मक रूप से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा था। आखिरकार नए वर्ष की पूर्व–बेला में कांग्रेस ने 'पूर्ण स्वराज्य' का नारा अपना ही लिया और न केवल 'वंदेमातरम्' बल्कि 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारों के बीच राष्ट्रीय तिरंगा लहराया गया।

संदर्भ :

1. शेखर बंधोपाध्याय– प्लासी के विभाजन तक और उसके बाद (आधुनिक भारत), ओरियंट ब्लैकस्वॉन, 2016, पृ0 277
2. सुमित सरकार– आधुनिक भारत (1885–1947), अनुवाद– सुशीला डोभाल, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2010, पृ0 36, 37
3. आर0एल0 शुक्ला– आधुनिक भारत का इतिहास (स्वतंत्रता प्राप्ति और देश–विभाजन तक), हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2006, पृ0 549
4. वही, पृ0 552, 553
5. विपिनचन्द्र– भारत का स्वतंत्रता संघर्ष– हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2000, पृ0 121
6. आर0एल0 शुक्ला, उपरोक्त, पृ0 553
7. विपिनचन्द्र, उपरोक्त, पृ0 121
8. शेखर बंधोपाध्याय, उपरोक्त, पृ0 278
9. आर0एल0 शुक्ला, उपरोक्त, पृ0 791
10. शेखर बंधोपाध्याय, उपरोक्त, पृ0 280
11. वही, पृ0 281, 282
12. सुमित सरकार, उपरोक्त, पृ0 302, 303

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

9

हम 'धर्मनिरपेक्ष' हैं या 'पंथनिरपेक्ष'?

डॉ. कृष्ण कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र
महाराणा प्रताप पी.जी. कॉलेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

शोध सारांश

पंथनिरपेक्ष होने में राज्य को सभी धर्मों से दूर भागने की बजाय सिर्फ इतना करना है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करे। उसे धर्म–मात्र से विरक्त नहीं होना है, सिर्फ इतना करना है कि वह किसी पंथ–विशेष के पक्ष या विरोध में न झुका हो। अगर वह हिन्दुओं के त्योहारों में हिस्सा लेता है किन्तु मुसलमानों या ईसाइयों के त्योहारों से दूर रहता है तो वह पंथनिरपेक्ष नहीं है, किन्तु अगर वह सभी मजहबों या पंथों के त्योहारों में बराबर हिस्सेदारी रखता है तो वह धर्म से जुड़कर भी पंथनिरपेक्ष बना रहता है।

बीज शब्द

धर्मनिरपेक्ष, पन्थनिरपेक्ष, रिलीजन, सैकुलरिज्म, अन्धकारयुग, पुनर्जागरण, इहलोक, पारलौकिक, कैथोलिक, जैनेसिस, सर्वधर्म समभाव, तुष्टीकरण

कुछ शब्द अपनी प्रकृति में चंचल होते हैं। चूँकि उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, इसलिए सभी लोग अपनी–अपनी सुविधा के अनुसार उनके अर्थ निकालते रहते हैं। 19वीं–20वीं सदी की वैश्विक राजनीति ने ऐसे कई शब्दों को जन्म दिया, जिनमें सबसे पेचीदा है– सैकुलरिज्म। अंग्रेजों के हाथों इंग्लैण्ड से भारत पहुँचे इस शब्द का इस्तेमाल इतनी बुरी तरह किया गया है कि अब इसका कोई वस्तुनिष्ठ अर्थ बचा ही नहीं है। हर राजनीतिक दल अपने–आप को सच्चा सैकुलर मानता है। मजे की बात यह है कि इस सारे झगड़े में सैकुलरिज़्म शब्द भारतीय समाज के लिये अजूबा बनता गया है।

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

गौरतलब है कि 'धर्मनिरपेक्ष' और 'पंथनिरपेक्ष' दोनों शब्द सैकुलरिज्म के अनुवाद हैं और दोनों के समर्थकों का दावा है कि उन्हीं का अनुवाद सही है। अनुवाद की प्रामाणिकता समझने का सही तरीका यही है कि पहले मूल शब्द का अर्थ समझ लिया जाए। सैकुलरिज्म का विचार सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में पनपा जिसकी एक लम्बी पृष्ठभूमि रही है। वहाँ मध्यकाल में धर्म अत्यन्त नकारात्मक किन्तु ताकतवर रूप में उपस्थित था जिसके कारण उस सम्पूर्ण दौर को 'अन्धकार युग' (Dark Age) कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में शुरू हुए पुनर्जागरण (Renaissance) के परवर्ती चरणों के रूप में प्रवंचन, धर्म सुधार, वैज्ञानिक क्रान्ति जैसी प्रतिक्रियाएँ अस्तित्व में आईं और इस पूरे दौर में यूरोप के लोगों को समझ आया कि उनके पिछड़ेपन का मूल कारण धर्म का जरूरत से ज्यादा हावी होना है। अब उन्हें लगने लगा कि उनके लिये परम्परागत कैथोलिक धर्म की रूढ़िवादी मानसिकता और चर्च के वर्चस्व से मुक्त होना जरूरी है ताकि वे खुली हवा में साँस ले सकें, कला से लेकर राजनीति तक के हर क्षेत्र में विकास की सीढ़ियाँ चढ़ सकें। इसी कसमसाहट ने लम्बी प्रक्रिया में सैकुलरिज्म के विचार को जन्म दिया।

16वीं शताब्दी से यूरोप के चिन्तन में इस विचार की पृष्ठभूमि दिखने लगती है। इस शताब्दी में इटली के विचारक मैकियावेली ने पहली बार सीधे तौर पर घोषित किया कि राजा को चर्च के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, चर्च को ही राजा के अधीन रहना चाहिए। इसी शताब्दी में फ्रांस का विचारक जीन बोदाँ भी लगभग यही बात कह रहा था। आगे की शताब्दियों में धर्म से मुक्ति का यह भाव बढ़ता गया, हालाँकि इस दौर में धर्म तथा चर्च ने अपनी पूरी ताकत झोंककर अपने ढहते हुए साम्राज्य को बचाने की कोशिश की। उसने गैलीलियो को प्रताड़ित किया, न्यूटन और डार्विन पर असहनीय दबाव बनाया और ब्रूनो को तो चौराहे पर सरेआम जिन्दा जला दिया। इस लम्बे संघर्ष के बाद 19वीं शताब्दी में धर्म की शक्ति निर्णायक रूप से कम होने लगी। इसी शताब्दी में इंग्लैण्ड में जॉन ऑस्टिन जैसा विचारक हुआ जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति के सामने धर्म को रत्ती भर महत्त्व देने को भी तैयार नहीं था। इसी शताब्दी में कार्ल मार्क्स जर्मनी छोड़कर इंग्लैण्ड आया था और धर्म को अफीम तथा शोषण का यन्त्र बता रहा था। ठीक इसी समय जे.एस. मिल अपने उदारवाद के माध्यम से तो चार्ल्स डार्विन अपने विकासवाद के माध्यम से धर्म की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। इस पृष्ठभूमि पर कुछ विचारकों ने 1851 में सैकुलरिज्म को एक सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत किया। यूँ तो इन विचारकों की संख्या अधिक थी, पर इस समूह के दो विचारक काफी प्रसिद्ध हुए। पहला था जॉर्ज होलिओक

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

और दूसरा था चार्ल्स ब्रैडलॉफ। इन दोनों में एकाध मुद्दे पर मतभेद था किन्तु सामान्यतः सैकुलरिज्म के अर्थ को लेकर सहमति थी।[1]

इन विचारकों की राय में सैकुलरिज्म के कुछ खास लक्षण थे जिनकी उपस्थिति में किसी व्यक्ति को सैकुलर माना जा सकता था। पहला लक्षण था कि व्यक्ति धर्म के प्रति या तो उपेक्षा बरते या उसका विरोध करे। होलिओक का मानना था कि धर्म के प्रति उपेक्षा बरती जानी चाहिए जबकि ब्रेडलॉफ का विश्वास था कि उपेक्षा पर्याप्त नहीं है, धर्म का विरोध किया जाना चाहिए। उपेक्षा का अर्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म से सम्बन्ध समाप्त कर ले। वह न तो उसके प्रभाव में रहे और न ही उसके विरोध में अपनी ऊर्जा खर्च करे। वह इस तरह जिये कि मानो धर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसका व्यावहारिक अर्थ यह हुआ कि वह किसी भी धार्मिक विश्वास में आस्था रखने से बचे और कोई अनुष्ठान या कर्मकाण्ड न करे। वह इस बात को समझे कि व्यक्ति की नियति ईश्वर नहीं, स्वयं वह तय करता है।

सैकुलरिज्म का दूसरा विश्वास यह था कि व्यक्ति को सिर्फ इहलोक या इस जगत् पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, किसी परलोक या ईश्वरीय लोक की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि सैकुलरिज्म शब्द मूलतः लैटिन भाषा के शब्द 'सैकुलम' (Seculam) से बना है जिसका अर्थ होता है– इहलोक से सम्बन्धित। यह धारणा मूलतः कैथोलिक धर्म के उस विश्वास के विरुद्ध है जिसके तहत इस दुनिया को एक कारावास की तरह देखा जाता है। बाइबिल का शुरुआती अध्याय 'जैनेसिस' कहता है कि जब स्वर्ग में ऐडम और ईव ने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया तो ईश्वर ने दण्डस्वरूप उन्हें पृथ्वी पर भेजा। होलिओक और ब्रैडलॉफ का मानना था कि इस एक अन्धविश्वास ने ईसाई समाज को इतना अधिक नुकसान पहुँचाया है कि कई अन्य युद्ध भी उतना नुकसान नहीं पहुँचा सके। इस धारणा के उलझन में पड़कर कैथोलिक ईसाई लगातार इहलोक को खारिज करते रहे और परलोक की कल्पनाओं में डूबे रहे जिसका परिणाम अन्धकार युग के रूप में दिखा। इसलिए, सैकुलर होने की अनिवार्य शर्त है कि व्यक्ति इहलोक को ही अन्तिम सत्य के रूप में स्वीकार करे। हमारा जीवनकाल और ज्ञान सम्बन्धी क्षमताएँ बेहद सीमित हैं और इनकी परिधि के भीतर रहते हुए हम कभी जान ही नहीं सकते कि परलोक है या नहीं? जिस चीज को जाना नहीं जा सकता, उस पर समय व्यर्थ करना बेकार है। समझदारी इसी में है कि व्यक्ति इहलोक को ही अन्तिम सत्य मानकर जिये।[2]

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

सैकुलरिज्म के समर्थकों का तीसरा विश्वास यह है कि नैतिक सिद्धान्तों को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वे धर्मनिष्ठ नैतिकता की प्रतिस्पर्द्धा में धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की धारणा स्थापित करते हैं। सामान्यतः नैतिक–अनैतिक का फैसला धर्म के आधार पर होता आया है और इसका परिणाम यह है कि अलग–अलग धर्मों को मानने वालों के बीच समान नैतिक सिद्धान्तों की सम्भावना नहीं बन पाती। मुसलमानों के लिए बकरीद मनाना नैतिक हो जाता है तो जैनियों के लिए मच्छर को मारना भी अनैतिक है। दूसरा नुकसान यह है कि धार्मिक नैतिकता कई बार अपने समय की जरूरतों से कटकर रूढ़ियों में उलझ जाती है और तर्कबुद्धि के अनुसार खुद को बदल नहीं पाती। इसलिए अरब के रेतीले इलाके की आँधियों से बचने के लिए बनाया गया बुर्का उन देशों में भी नैतिक नियम के नाम पर थोप दिया जाता है जहाँ का भूगोल इसकी जरूरत पैदा नहीं करता। सैकुलरिज्म के समर्थक इसके विपरीत ऐसी नैतिकता में विश्वास करते हैं जो व्यक्ति के अनुभवों और तर्कों पर टिकी हो और समाज के लिए अधिकतम उपयोगिता साधने में सक्षम हो।[3]

सैकुलरिज्म के समर्थकों का अन्तिम विश्वास यह है कि मनुष्य की विकास यात्रा विज्ञान के हाथों ही सफल हो सकती है, न कि धर्म के हाथों। ये विचारक वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे रात–दिन अनुसन्धान करके प्रकृति के रहस्यों को सुलझाएँ और ऐसे रास्ते खोजें जिनकी मदद से मनुष्य का जीवन बेहतर हो सके।

इन दोनों शब्दों में अन्तर करने वाले 'धर्म' शब्द के विभिन्न अर्थों को रेखांकित करते हैं। उनका दावा है कि 'धर्म' शब्द 'रिलीजन' का अनुवाद मात्र न होकर एक पृथक जीवन–दृष्टि का परिचायक भी है; इन दोनों को पर्यायवाची मानना एक बड़ी भ्रान्ति है। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द दो मूल शब्दों Re तथा ligare से मिलकर बना है जिसका अर्थ है मनुष्य और ईश्वर का पुनः एक हो जाना। इसके विपरीत, धर्म शब्द की कई अर्थ छवियाँ हैं। एक अर्थ में यह भी किसी व्यक्ति के सम्प्रदाय को सूचित कर सकता है (जैसे जैन धर्म, इस्लाम धर्म आदि) किन्तु इसके बाकी अर्थ ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण अर्थ वह है जिसमें यह नैतिकता या स्वकर्तव्यपालन का समानार्थक बन जाता है।[4]

धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष में अन्तर मानने वाले अपना पहला तर्क यहीं से जुटाते हैं। उनका तर्क है कि धर्म शब्द का मूल अर्थ अगर नैतिकता है तो धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ नैतिकता से निरपेक्ष होना होगा और कोई मूर्ख व्यक्ति भी इस बात का समर्थन नहीं करेगा। अतः धर्मनिरपेक्ष शब्द ही गलत है। सही शब्द पंथनिरपेक्ष है जिसका भाव है कि व्यक्ति को विभिन्न पंथों अर्थात् सम्प्रदायों से निरपेक्ष रहना चाहिए। सरल शब्दों में कहें

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

तो व्यक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति किस मजहब का अनुयायी है। यह प्रायः वही नजरिया है जिसे महात्मा गाँधी 'सर्वधर्म समभाव' कह गए हैं।

'धर्मनिरपेक्ष' और 'पंथनिरपेक्ष' में अन्तर का एक और आधार भी प्रयुक्त किया जाता है। यह अन्तर वही है जिसे कहीं–कहीं 'सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता' और 'नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता' के अन्तर के रूप में भी समझाया जाता है और जिसे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ मामलों (जैसे 'एस.आर.बोम्मई बनाम भारत संघ', 1994) में स्वीकार किया है। इस दृष्टि से देखें तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होगा कि राज्य धर्म की ओर से एकदम आँख फेर ले अर्थात् किसी भी धार्मिक समूह के साथ अपने सम्बन्ध न रखे। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य खुद को अधार्मिक संरचना के रूप में विकसित करे। इसके विपरीत, पंथनिरपेक्ष होने में राज्य को सभी धर्मों से दूर भागने की बजाय सिर्फ इतना करना है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करे। उसे धर्म–मात्र से विरक्त नहीं होना है, सिर्फ इतना करना है कि वह किसी पंथ–विशेष के पक्ष या विरोध में न झुका हो। अगर वह हिन्दुओं के त्योहारों में हिस्सा लेता है किन्तु मुसलमानों या ईसाइयों के त्योहारों से दूर रहता है तो वह पंथनिरपेक्ष नहीं है, किन्तु अगर वह सभी मजहबों या पंथों के त्योहारों में बराबर हिस्सेदारी रखता है तो वह धर्म से जुड़कर भी पंथनिरपेक्ष बना रहता है। गौरतलब है कि यहाँ धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ होगा कि राज्य किसी भी धर्म या मजहब के किसी धार्मिक कृत्य या त्योहार आदि में सहभागी नहीं होगा बल्कि उनसे दूर रहेगा। यदि सकारात्मक और नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की शब्दावली को आधार बनाएँ तो भी यही सार निकलेगा। नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों या पंथों से दूरी बनाकर रहेगा जबकि सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा, उनके उत्सवों आदि में बिना किसी भेद–भाव के बराबर की भागीदारी रखेगा।[5]

हम धर्मनिरपेक्ष हैं या पंथनिरपेक्ष, इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति, समाज तथा राज्य के स्तर पर अलग–अलग हो सकता है। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किसी देश में तीनों स्तरों पर एक ही उत्तर लागू हो। व्यक्ति के स्तर पर देखें तो वह धर्मनिष्ठ भी हो सकता है और अधार्मिक भी। अगर वह अधार्मिक है यानी धर्म का प्रभाव अपने जीवन पर नहीं पड़ने देता तो हम उसे धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं। इसके विपरीत, अगर वह अपने धर्म को मानता है किन्तु साथ ही शेष धर्मों को भी समान भाव से देखता है तो वह पंथनिरपेक्ष या सर्वधर्म समभाव के नजदीक माना जाना चाहिए। तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि वह अपने धर्म या मजहब के प्रति गहरी प्रतिबद्धता रखता हो किन्तु दूसरे धर्मों या मजहबों

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

के प्रति नफरत या उपेक्षा का भाव रखता हो। ऐसी स्थिति में उसे साम्प्रदायिक मानना होगा। ऐसा व्यक्ति न धर्मनिरपेक्ष होगा और न ही पंथनिरपेक्ष।

जहाँ तक भारतीय समाज की बात है, उसकी प्रकृति पंथनिरपेक्ष के नजदीक है। भारत में लम्बे समय से विभिन्न धर्मों का सह–अस्तित्व कायम रहा है और वैमनस्य की छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो हमारे समाज का स्वभाव विभिन्न धर्मों का आदर करने का रहा है। यह सही है कि हजारों वर्षों के इतिहास में साम्प्रदायिक तनाव की कुछ गम्भीर घटनाएँ भारतीय इतिहास में मौजूद रही हैं किन्तु यह भी मानना होगा कि उनका अनुपात प्रायः अन्य देशों में हुए धार्मिक संघर्षों की तुलना में अत्यन्त कम रहा है। चूँकि भारत के सामान्य व्यक्ति का स्वभाव धार्मिक है और उसे बाकी लोगों के धर्मों के प्रति कोई दुराव नहीं है, अतः यह मानने में कोई हर्ज नहीं है कि पंथनिरपेक्षता या सर्वधर्म समभाव हमारे समाज की एक बुनियादी विशेषता है। पिछले 100 वर्षों में कभी अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति के कारण तो कभी चुनावी राजनीति के कारण इस सद्भाव को चुनौतियाँ मिलती रही हैं किन्तु फिर भी यह तो मानना ही होगा कि भारत की अधिसंख्य जनता पंथनिरपेक्ष स्वभाव की है।[6]

असली विवाद राज्य को लेकर है। भारत राज्य धर्मनिरपेक्ष है या पंथनिरपेक्ष – इसी मुद्दे पर अधिकांश बहसें केन्द्रित रही हैं। सच यह है कि संविधान के बनने के बाद से अभी तक लगातार एक जैसी स्थिति नहीं रही है। इसलिए आवश्यक होगा कि हम संविधान बनने के बाद के इतिहास पर नजर डालते हुए कोई राय बनाएँ। संविधान निर्माताओं के सामने यह गम्भीर चुनौती थी कि विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को यह विश्वास कैसे दिलाएँ कि भारत में उनके अधिकारों की रक्षा उसी प्रतिबद्धता के साथ की जायेगी जिस प्रकार बहुसंख्यक हिन्दू समाज के अधिकारों की रक्षा होगी। इस समस्या का समाधान खोजते हुए संविधान सभा में बार–बार इस बात का जिक्र किया कि धर्म के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। उदाहरण के लिए, संविधान के अनुच्छेद– 14, 15, 16 में समानता के अधिकार की व्याख्या करते हुए साफ शब्दों में कहा गया है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा, अल्पसंख्यकों को पर्याप्त आश्वासन देने के लिए अनुच्छेद 25–30 में भी विशेष प्रावधान किये गये हैं। अनुच्छेद 25–28 के अन्तर्गत धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार अत्यन्त व्यापक रूप में दिया गया है जो स्पष्ट करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने की पूरी आजादी होगी और उसे कुछ युक्ति–युक्त आधारों पर ही सीमित किया जा सकेगा। अनुच्छेद–30 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएँ

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

स्थापित करने और चलाने की व्यापक छूट देता है ताकि अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक अस्तित्व खतरे में न पड़े। 1978 में हुए 44वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के बाद तो इस अनुच्छेद में यह प्रावधान भी शामिल हो गया है कि अगर राज्य किसी अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षण संस्था का अधिग्रहण करता है तो उसे बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति देगा। गौरतलब है कि राज्य बहुसंख्यक समुदाय की शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में इस बाध्यता से मुक्त है और अपने विवेक से कुछ कम रकम देकर भी काम चला सकता है। कुछ पार्टियाँ इस अनुच्छेद को आधार बनाकर प्रायः आरोप लगाती रही हैं कि अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार देना धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि उनका तुष्टीकरण है जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। इस प्रश्न पर प्रायः कोई विचार नहीं करता कि यह विवादास्पद प्रावधान 44वें संशोधन के माध्यम से उसी समय संविधान में शामिल किया गया था जब केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार थी और आज की भाजपा स्वयं उसी जनता पार्टी का एक हिस्सा थी।[7]

अगर भारतीय राज्य का चरित्र देखकर यह तय करना हो कि हम इनमें से किसके ज्यादा नजदीक हैं तो यह निर्णय करना आसान नहीं होगा। नेहरू जी के शासनकाल के दौरान प्रायः यह कोशिश दिखाई पड़ती थी कि राज्य और धर्म के बीच दूरी बनी रहनी चाहिए, हालाँकि उस समय भी राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद सहित कई लोग इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाये रखने के पक्षधर थे। इन्दिरा गाँधी के शासनकाल में भी प्रायः यही धारणा बनी रही और शायद इसी का असर था कि वे पंजाब की समस्या के समाधान के लिए स्वर्ण मन्दिर में सेना भेजने जैसा कठोर फैसला कर सकीं। बाद की सरकारों का रुझान कुछ ढुलमुल किस्म का रहा। विशेष रूप से 1967 के समय से ही धार्मिक समूह वोट बैंक के रूप में उभरे और विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने–अपने धार्मिक समूहों को लामबन्द करना शुरू किया। इन दबाव समूहों की भूमिका जैसे–जैसे बढ़ी, भारतीय राज्य का चरित्र विभिन्न धर्मों में सन्तुलन करने की ओर बढ़ने लगा। राजीव गाँधी की सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये प्रगतिशील फैसले को पलट दिया तो उससे हिन्दुओं में उत्पन्न हुई नाराजगी को दूर करने के लिए अयोध्या में राम मन्दिर का ताला खुलवा दिया। भाजपा की सरकार तो इस चुनावी वायदे पर ही बनी कि वह अयोध्या में राम मन्दिर का निर्माण कराएगी। कहना अनावश्यक है कि पिछले 2–3 दशकों से भारतीय राज्य धर्म से दूरी बनाकर नहीं रख पाया है। वर्तमान केन्द्र सरकार जिस तरह से गीता और योग को प्रोत्साहित कर रही है, उसका एक कोण यह भी बनता है कि अब भारत राज्य को किसी धर्म विशेष के प्रतीकों

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

को अपनाने से समस्या नहीं रही है, हालाँकि छिटपुट रूप से यह कोशिश जरूर दिखती है कि राज्य सभी धार्मिक समूहों को बराबर सम्मान दे, उनके बीच भेदभाव न करे। इस दृष्टि से यही मानना होगा कि हमारा राज्य पंथनिरपेक्षता के ज्यादा नजदीक है, धर्मनिरपेक्षता के नहीं।[8]

अन्तिम बात यह है कि अभी भी भारत को अपनी पंथनिरपेक्षता के स्तर पर बहुत लम्बी यात्रा पूरी करनी है। उदाहरण के लिए, विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के लिए समान सिविल संहिता का न होना पंथनिरपेक्ष ढाँचे के समक्ष एक गम्भीर चुनौती है क्योंकि कुछ धर्मों में महिलाओं को कुछ गम्भीर भेदभाव सिर्फ इसलिए झेलने पड़ते हैं कि वे संयोग से एक ऐसे धर्म में पैदा हुईं जो उन्हें बराबरी नहीं देता और हमारा राज्य भी इस प्रश्न पर इसलिए मौन बना रहता है कि कहीं किसी वोट बैंक में दरार न आ जाए। इसी प्रकार, विभिन्न मजहबों के साम्प्रदायिक लोग जिस तरह से खुलेआम नफरत भरी अभिव्यक्तियाँ करते हैं और भारतीय राज्य उन्हें चुपचाप देखता रहता है, वह भी बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। पिछले कुछ समय में यह प्रवृत्ति बढ़ी है और गोमांस की झूठी अफवाहों के नाम पर ही कुछ अल्पसंख्यकों को जान से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे मामलों में अपना सैकुलर चरित्र बचाए रखने के लिए भारतीय राज्य को कुछ कठोर कदम उठाने होंगे और नरम राज्य (Soft State) की छवि से मुक्त होना होगा।

सन्दर्भ-स्रोतः

1. नारंग, ए.एस., 'भारत में लोकतंत्र : समस्याएँ एवं चुनौतियाँ'
2. आशीर्वादम्, एडी., 'राजनीति विज्ञान', एस. चन्द पब्लिकेशन, दिल्ली 2000
3. सेन, अमर्त्य, 'भारतीय अर्थतन्त्र, इतिहास और संस्कृति', राजपाल प्रकाशन, दिल्ली, 2005
4. इण्डिया, 2019
5. इकॉनॉमिक पॉलिटिकल वीकली
6. लक्ष्मीकान्त, एम., 'भारतीय राजव्यवस्था'
7. पामदत्त, रजनी, इण्डिया टुडे
8. खान, रशीउद्दीन, 'लोकतन्त्र', एन.सी.ई.आर.टी, दिल्ली, 2000

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

10

बंगाल से बिहार विभाजन

डॉ. कुमारी प्रियंका
अतिथि प्रवक्ता, जगदम कॉलेज, छपरा, बिहार

शोध सारांश

बिहार के पृथक्करण के लिए लगभग दो दशकों से सुयोग्य नेतृत्व के अधीन उनके मंचों से एक सशक्त आन्दोलन चल रहा था तथा बंगालियों के लाख प्रयास के बावजूद भी इस जन–जागरण की धारा को अवरूद्ध कर पाना असम्भव प्रतीत होने लगा। दूसरी तरफ उड़ीसा में भी बंगाल विरोधी जनमत का प्रादुर्भाव हो चुका था। अतः बंगालियों को मानसिक रूप से बिहार के पृथक्करण के लिये तैयार होने के अतिरिक्त अन्य कोई भी विकल्प न था परन्तु इसकी क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने बंगाल के दोनों भागों के पुनर्मिलन की मांग की। इसी बीच सरकार को भी अपने विचार बदलने के लिए विवश होना पड़ा। 1857 का वफादार बंगाल निश्चित रूप से राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद चुका था तथा विद्रोह की चिनगारी पूरे देश में फैलाने को उद्धृत हो रहा था।

बीज शब्द

साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, हिंसात्मक कारवाईयां, सहिष्णुता, जन–जागरण, पृथककरण, शैक्षणिक, आर्थिक तथा राजनैतिक विकास

1906 से 1911 तक का भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आन्दोलन के लिये प्रसिद्ध हैं। बंगाल के विभाजन के बाद भारत में राष्ट्रीयता की लहर उठी तथा देश में स्वदेशी आन्दोलन तथा स्वराज्य के लिये संघर्ष प्रारम्भ हो गया। इन आन्दोलनों में विशेषतः बंगाल के स्कूलों के विद्यार्थी भी सम्मिलित होने लगे। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक कार्य भी होने लगे। विदेशी साम्राज्यवाद के उन्मूलन के लिए विस्फोटकों एवं हिसात्मक अस्त्र–शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। सिर्फ बंगाल में 557 से भी अधिक हिंसात्मक कारवाईयां हुई।[1] बंगाल में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इधर

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

बिहार में भी विप्लव के चिन्ह प्रकट होने लगे। 30 अप्रैल, 1908 को मुजफ्फरपुर में एक बम विस्फोट हुआ जिसमें दो यूरोपियन मारे गये[2]।

बिहार के इतिहास में इस अवधि का विशेष महत्व है। इसी अवधि में बिहार बंगाल से पृथक कर दिया गया। 1908 में बिहार के इतिहास में एक अपूर्व घटना घटी। बिहार को पृथक करने के आन्दोलन के इतिहास में ऐसी घटनाएं बहुत कम ही घटित हुई थीं। उस समय बंगाल के राज्यपाल फ्रेजर थे जो बिहारियों के प्रति अत्यन्त ही सहानुभूतिशील थे। अपने कार्यकाल की अवधि समाप्त करने के बाद जब वे इंग्लैंड लौटने लगे तो उन्हें कुछ दिन और कार्यभार सम्भालने के लिए हिन्दू–मुसलमानों ने हस्ताक्षर अभियान प्रारम्भ कर दिया, परन्तु राज्यपाल के अनुरोध पर इसे रोक दिया गया। अंत में 14 अगस्त 1908 को बिहार लैंड होल्डर्स एसोशिएसन, बिहार प्रांतीय संघ, बिहार प्रान्तीय मुस्लिम लीग आदि की तरफ से एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को एक आवेदन दिया जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि उपर्युक्त आवेदन नम्र तथा वफादार होने के साथ–साथ धर्म, जाति, वर्ग तथा समुदाय निरपेक्ष है। इसे पूरे बिहार की हार्दिक अभिव्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए। एक बात और स्पष्ट कर दी गई कि उत्तर भारत में बिहार ही एक ऐसा स्थान है जहां हिन्दू या मुस्लिम सम्प्रदायवाद जैसी कोई जटिल समस्या नहीं है। यहां के हिन्दू–मुसलमान पारस्परिक सहिष्णुता तथा एकता में विश्वास करते हैं तथा उनके नेता भी प्रेम से रहकर सार्वजनिक हितों के लिए काम करते हैं। इन वक्तव्यों के साथ इनलोगों ने अपनी व्यथाओं, आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं की एक सूची उनके समक्ष पेश की। उनकी मांग थी कि राज्यपाल–परिषद् में बिहार का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाय। यह बड़े खेद की बात है कि टिनेन्सी एक्ट के संशोधन के समय एक भी बिहारी परिषद् में नही था।

बिहार के पृथक्करण के लिए लगभग दो दशकों से सुयोग्य नेतृत्व के अधीन उनके मंचों से एक सशक्त आन्दोलन चल रहा था तथा बंगालियों के लाख प्रयास के बावजूद भी इस जन–जागरण की धारा को अवरूद्ध कर पाना असम्भव प्रतीत होने लगा। दूसरी तरफ उड़ीसा में भी बंगाल विरोधी जनमत का प्रादुर्भाव हो चुका था। अतः बंगालियों को मानसिक रूप से बिहार के पृथक्करण के लिये तैयार होने के अतिरिक्त अन्य कोई भी विकल्प न था परन्तु इसकी क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने बंगाल के दोनों भागों के पुनर्मिलन की मांग की। इसी बीच सरकार को भी अपने विचार बदलने के लिए विवश होना पड़ा। 1857 का वफादार बंगाल निश्चित रूप से राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद चुका था तथा विद्रोह की चिनगारी पूरे देश में फैलाने को उद्धृत हो रहा था। इधर 1857 के

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

विद्रोह से बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था। इसने विद्रोह के मार्ग का परित्याग करने का स्वांग तो निश्चित रूप से कर ही दिया था। अतः सरकार को सोचना पड़ा कि यदि बिहार को पृथक नहीं किया गया तो खतरा था कि बिहार पुनः विद्रोह के मार्ग पर जा खड़ा होगा। सरकार के हाथों से बंगाल सदा के लिए निकल चुका था। इसलिए, उसकी लोलुप आंखे बिहार पर आ टिकी थीं। पर खतरा था कि यदि बिहार को स्वतंत्र प्रान्त का रूप न दिया गया तो क्षोभ की लहर विद्रोह तथा राष्ट्रीय आन्दोलन की चिन्गारी में परिणत हो जायेगी। यदि ऐसा नहीं भी हुआ तो विद्रोही बंगाल के साथ रहते—रहते कहीं बिहार को भी राष्ट्रीय आन्दोलन की लपटें न पकड़ लें।

इन खतरों को ध्यान में रखकर 1911 तक सरकार ने बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने का निर्णय कर लिया। अतः अगस्त, 1911 में सरकार ने सेक्रेट्री ऑफ स्टेट को लिखा कि बिहार के लोग अत्यंत ही बलिष्ठ तथा राजभक्त हैं तथा वे बंगाल से पृथक होना चाहते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बिहार के लोगों ने इसको पृथक करने के लिए जान—बूझकर आन्दोलन नहीं शुरू किया था क्योंकि वे सरकार के विरोध में बंगालियों का साथ नहीं देना चाहते थे। हाल में बिहार में बड़ा जागरण हुआ तथा उनको विश्वास हो गया कि जब तक बिहार को बंगाल से पृथक नहीं कर दिया जाय तब तक उनका विकास नहीं होगा। यह विकास संघर्षमूलक हो सकता है। अतः बंगाल से बिहार को पृथक कर अब उनको अभिलिप्सित तथा स्वस्थ ध्येय का पूर्ण करने का अपूर्व अवसर आ गया है।[3] इस पत्र का इंग्लैंड में अच्छा प्रभाव हुआ तथा इसकी स्वीकृति मिल गई। 12 दिसम्बर, 1911 के दिल्ली दरबार में सरकार ने घोषणा की कि बिहार, उड़ीसा तथा छोटानागपुर को बंगाल से पृथक किया जाता है। 1 अप्रैल, 1912 से ब्रिटिश भारत के मानचित्र पर बिहार नामक एक पृथक प्रांत अस्तित्व में आ गया।

बंगाल के नेता बिहार को पृथक होने से सहमत नहीं थे जिसके कारण इस आंदोलन को अंग्रेजी शासन से लक्ष्य—सिद्धि के लिए सहायता लेनी पड़ी। इस सम्बन्ध में यह भी जानना आवश्यक है कि बिहार के शैक्षणिक, आर्थिक तथा राजनैतिक विकास के लिए बहुत कम प्रयास होता था। इसका पूर्ण दायित्व विदेशी सरकार पर था जो अपनी साम्राज्यवादी सिद्धि के लिए भेद—भाव की नीति का सहारा लेती थी। इसके लिए बंगालियों को अधिक दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि सरकारी नीति—निर्माण में उनकी भी कोई पूछ नहीं थी। पर इतना तो सत्य है कि बंगाल के नेता बिहारियों की मांग का विरोध कर राजनीतिक अदूरदर्शिता का परिचय दे रहे थे।

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कैम्ब्रिज हिस्ट्री और इंडिया, भाग– 3, पृ. 252–53
2. वहीं, पृ. 552
3. सेक्रेट्री ऑफ स्टेट को 25 अगस्त, 1911 में इस आशय का पत्र भारतीय ब्रिटिश सरकार ने लिखा।

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF

http://www.gorakhpurjournals.in

12

मध्यकालीन बिहार का सांस्कृतिक इतिहास : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. रागिनी दीप
असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग
आदर्श कॉलेज, घैलाढ-जीवछपुर, मधेपुरा, बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा

शोध सारांश

संस्कार हिन्दू रीति–रिवाजों तथा जीवन में नित्य तथा नैमित्तिक, धार्मिक क्रियाओं में आते थे। मध्यकालीन बिहार में निवासित लोगों का विश्वास था कि संस्कार व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक दोषों को दूर करके आत्मिक उन्नति का पथ–प्रदर्शन करता है। तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन की परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखने में संस्कार तथा इसी प्रकार के अन्य रीति–रिवाजों एवं अनुष्ठानों की भूमिका बिहार के हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों समाजों में महत्वपूर्ण थी। वे दैवीय शक्तियों को प्रसन्न करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकने में समर्थ होने के लिए भी रीति–रिवाजों का पालन करते थे। हिन्दू समाज में ब्राह्मण जाति के लोग संस्कार पर अधिक ध्यान देते थे। जबकि राजपूत, वैश्य एवं निम्न जाति के लोग उस मात्रा में संस्कार पर ध्यान नहीं देते थे। 'गर्भाधान संस्कार' से लेकर 'अन्त्येष्टि संस्कार' तक व्यक्ति के शरीर को धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से पवित्र करने की परम्परा थी।

बीज शब्द

संस्कार, रीति–रिवाज, नैमित्तिक, अनुष्ठान, गर्भाधान संस्कार, अन्त्येष्टि संस्कार

मध्यकालीन बिहार के समाज में अनेक प्रकार के रीति–रिवाज एवं संस्कार प्रचलित थे, जिसका विस्तृत विवरण अल–बिरुनी की रचना *भारत* में दिया गया है : हिन्दू एवं मुस्लिम समाज के जन्म, विवाह, वर्ण, मूर्ति–पूजा, वेद पुराण, गणित, ज्योतिष, खगोलशास्त्र, आत्मा, पुनर्जन्म, मृत्यु, संस्कार तथा अन्य अनुष्ठानों से संबंधित व्याख्या की गई है।[1] इसके आधार पर तत्कालीन सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति का विवरण काफी प्रमाणिक स्वरुप में प्राप्त होता है। मुस्लिम समाज के संस्कार हिन्दू समाज के संस्कारों

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor 4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

से कुछ भिन्न थे। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हिन्दू सामाजिक जीवन का आधार वर्णाश्रम धर्म था। उसी प्रकार मुस्लिम सामाजिक जीवन का आधार भी बहुत हद तक धार्मिक एवं जातिगत रहा था। संस्कृति के अनुरूप व्यक्ति के आचरण के लिए उसको बचपन से ही तदनुरूप व्यवहार की शिक्षा दी जाती थी। इस संदर्भ में ए0 एल0 बाशम ने अपनी पुस्तक *अद्‌भुत भारत* में प्राचीन काल से प्रचलित हिन्दू समाज के सांस्कृतिक पक्षों व संस्कारों का विस्तृत विवरण दिया है। 'गर्भाधान संस्कार' से लेकर 'अन्त्येष्टि संस्कार' तक व्यक्ति के शरीर को धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से पवित्र किया जाता था।[2] हिन्दू समाज में ब्राह्मण जाति के लोग 'संस्कार' पर अधिक ध्यान देते थे, जबकि राजपूत, वैश्य एवं निम्न जाति के लोग उस मात्रा में संस्कार पर ध्यान नहीं देते थे। मध्यकालीन उत्तर बिहार के मैथिल ब्राह्मणों में संस्कारों पर अधिक जोर दिया गया, जिस कारण उनके मध्य रुढ़िवादिता एवं कर्मकाण्डों का विशेष प्रचलन रहा, इनकी तुलना में दक्षिण बिहार की प्रवृति उदारवादी रही।[3]

संस्कार धार्मिक अनुष्ठान एवं भावात्मक अभिव्यंजना का साकार रूप होने के कारण जीवन में बहुत महत्व रखता था। मुस्लिम समाज में भी संस्कार उनके धार्मिक विचारों एवं भावनाओं को परिलक्षित कराता था। संस्कार हिन्दू रीति–रिवाजों तथा जीवन में नित्य तथा नैमित्तिक धार्मिक क्रियाओं में आते थे। संस्कारों का प्रथम उद्देश्य धार्मिक था। बिहार में निवासित लोगों का विश्वास था कि संस्कार व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक दोषों को दूर करके आत्मिक उन्नति का पथ–प्रदर्शन करता है। हिन्दू ब्राह्मणों ने यह स्पष्ट किया था कि गर्भाधान संस्कार, जात कर्म, मुंडन, उपनयन आदि संस्कारों से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के बीज और गर्भ के दोष नष्ट हो जाते हैं।[4]

तत्कालीन संस्कृत साहित्य के अध्ययन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वेद, गीता एवं रामायण पढ़ना, व्रत रखना, होम, त्रिविद्या (ज्ञान, कर्म, उपासना), पूजा, पूतोत्पत्ति, पंच महायज्ञ एवं यज्ञ इत्यादि कार्य सम्पन्न किए जाते थे। इससे ब्राह्मणों की प्रभुता बनी रहती थी। हिन्दू समाज में संस्कारों का महत्व अनेक दृष्टिकोणों से काफी अधिक था। संस्कारों के बारे में विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि इनका उद्देश्य ऐतिहासिक परम्परा को बनाए रखना था। ये वर्तमान को अतीत से जोड़ने का काम करते थे। सामान्यतया व्यक्ति संस्कारों का पालन या अनुष्ठान इस भावना से प्रेरित होकर करता है कि उसके पूर्वज भी ऐसा करते थे। तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन की परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखने के संस्कार तथा इसी प्रकार के अन्य रीति–रिवाजों एवं अनुष्ठानों की भूमिका बिहार के हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों समाजों में महत्वपूर्ण थी। वे दैवीय शक्तियों

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

को प्रसन्न करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकने में समर्थ होने के लिए भी रीति–रिवाजों का पालन करते थे। निःसन्देह भारत के अन्य क्षेत्रों में रहनेवाले हिन्दुओं की भाँति बिहारवासी हिन्दू भी मुसलमानों की तुलना में पारलौकिक शक्तियों में अधिक विश्वास रखते थे। वे दैवीय शक्तियों से कल्याण की कामना करते थे। सामान्य जीवन में व्यक्ति देवी–देवताओं एवं परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखता था और उपासना करता था। सुमनेर तथा केलर ने तत्कालीन संस्कार एवं इसी प्रकार के रीति–रिवाजों के संबंध में लिखा है कि इनका प्रयोग सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से होता था। आदर्शात्मक दृष्टि से यह विचार कम महत्व रखता था, परन्तु सामान्य जीवन में वह देवी–देवताओं एवं परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा एवं उपासना संस्कारों के लिए किए जाने वाले कर्मकांडों के माध्यम से प्रस्तुत करता था। ये रीति–रिवाज धार्मिक दृष्टि से व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि करके उसे लोक एवं परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति की योग्यता प्रदान करते थे। अल–बिरुनी ने मध्यकालीन भारत के अंतर्गत क्षेत्रीय पक्षों के साथ चार वेदों, पुराण, स्मृति–ग्रंथ एवं अन्य प्रकार के देशीय साहित्य के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हुए मध्यकालीन सामाजिक अवधारणाओं का चित्रण किया है।[5]

मध्यकालीन शास्त्र–सूत्र में संस्कारों को दो भागों में विभक्त किया गया है– पहला ब्रह्म तथा दूसरा दैव। ब्रह्म संस्कार वे थे, जो स्मृतियों में गर्भाधान आदि नाम से जाने जाते थे। परन्तु देवताओं आदि को यज्ञों के माध्यम से हविण देने वाले संस्कारों को ''देव'' संस्कार कहा जाता था। संस्कारों का वर्गीकरण एक अन्य आधार पर भी किया जाता था। प्रथम, अनिवार्य संस्कार एवं द्वितीय अनुग्रही संस्कार। आवश्यक संस्कारों में जात कर्म, उपनयन, विवाह एवं अन्त्येष्टि संस्कार आते थे। आवश्यक संस्कार हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों समाजों में विद्यमान था। उपनयन संस्कार तत्कालीन ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य था। लेकिन यह संस्कार मुस्लिम समाज में प्रचलन में नहीं था। अन्य संस्कार अनुग्रही थे, जो माता–पिता बच्चों के कल्याण के लिए एवं व्यक्ति बड़े होने पर लोक एवं परलोक में सुखी होने के लिए करते थे। ब्राह्मण जाति के सभी संस्कार वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ प्रायः पुरोहित द्वारा संपन्न किए जाते थे। शुद्रों के संस्कार में वेद मंत्रों का प्रयोग प्रायः नगण्य ही था। तत्कालीन समाज में शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। तत्कालीन साहित्य के अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बिहार में निवासित अधिकांश शूद्रों का जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन एवं चूड़ाकरण आदि संस्कारों में वेदमंत्रों का व्यवहार नहीं किया जाता था। इन संस्कारों में अधिक रौनक होता था तथा साधारण पूजा–पाठ के बाद ही इसको संपन्न किया जाता था।

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

तत्कालीन बिहार के इतिहास के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उस समय हिन्दू समाज में विभिन्न प्रकार के संस्कार पाए जाते थे- 18 शरीर संबंधी एवं 18 यज्ञ संबंधी। जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे संस्कारों को संपन्न किए जाने का उल्लेख मिलता है। इस तरह के संस्कार केवल हिन्दू समाज में ही प्रचलित नहीं थे, बल्कि मुस्लिम समाज में भी जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे संस्कारों का प्रचलन था। यद्यपि संस्कारों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभिन्नता है। परन्तु कुछ ऐसे संस्कार थे, जिसका पालन उस समय बिहार के निवासी करते थे। उनमें मुख्य थे— गर्भाधान, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेदन, उपनयन, विद्यारम्भ, विवाह एवं अन्त्येष्टि आदि। संस्कारों का संबंध धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों से होने के कारण इनकी पूर्ति में एक विशिष्ट प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता था। इस प्रक्रिया में सामान्यतया देवी–देवताओं का पूजन एवं पुरोहित का होना आवश्यक होता था। भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि कर्मकांड में कमी होती थी, तो उसे पाप समझा जाता था। गर्भाधान अथवा चतुर्थिकर्म या 'ऋतु समागम संस्कार' का तत्कालीन साहित्य में उल्लेख मिलता है। सामान्यतया इस संस्कार का समाज में जो रूप था, वह यह था कि विवाहोपरान्त लड़के का कंगन खोला जाता था और उसी दिन सुहागरात मनाई जाती थी। लेकिन इस प्रकार के संस्कार का प्रचलन प्रायः हिन्दू समाज में उच्च जाति के परिवारों में ही सीमित था। निम्न जाति के परिवारों में इसका प्रचलन बहुत ही कम था।

'जातकर्म संस्कार' बच्चे के पैदा होने के समय किया जाता था। इसकी सांस्कारिक प्रक्रिया का उल्लेख अत्यंत प्राचीन काल से ही मिलता है। सामान्यतया यह बच्चे के उत्पन्न होने के बाद बच्चे के पिता के द्वारा कराया जाता था। बच्चे का पिता उसकी जीभ में सोने के श्लाका से ''ऊँ'' लिखकर उसके कान में ''वेदोऽसि'' कहता था। इसके पश्चात होम इत्यादि संपन्न किया जाता था, जिसके द्वारा शुभ शक्तियों को प्रसन्न किया जाता था। बिहार में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं कायस्थ जाति के परिवारों में इस संस्कार का पालन किया जाता था। उस समय निम्न जाति, वैश्य एवं अन्य व्यवसायी वर्ग के लोग इस संस्कार का पालन नहीं करते थे। यह प्रायः उच्च जातियों तथा सुसंस्कृत परिवारों तक ही सीमित था। निम्न जाति के अधिकांश परिवारों में बच्चे के जन्म के बाद 'छठी' मनाने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। 'छठी' के अवसर पर औरतें प्रायः गाना–बजाना एवं रात्रि जागरण करती थी। कहीं–कहीं हवन इत्यादि भी किया जाता था। यदि लड़का उत्पन्न होता था तो प्रायः लोग इस अवसर पर भोज का प्रबंध किया करते थे। इस संस्कार का प्रचलन कुलीन एवं संपन्न परिवारों में भी था। इस संबंध में अबुल फजल ने

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

भी लिखा हैः ''यदि हिन्दू महिला लगातार पुत्रियों को जन्म देती थी तो उसे प्रायश्चित करना पडता था।''[6]

तत्कालीन बिहार में 'नामकरण संस्कार' पर अत्यधिक बल दिया जाता था। 'नामकरण संस्कार' प्रायः जन्म के 11वें, 21वें या 101वें दिन संपन्न किया जाता था। प्रायः 'नामकरण संस्कार' बिहार के ब्राह्मणों एवं परम्परावादियों के यहाँ हवन आदि करके ज्योतिषी की सहायता से किया जाता था। इस रीति का पालन अधिकतर बिहार के ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं कायस्थ जाति के परिवारों में किया जाता था। निम्न जाति के परिवारों में आम तौर पर यह रीति थी कि जन्म के बाद ही घर के बड़े–बुजुर्ग या वृद्ध महिलाएँ बच्चे का नाम रख देती थी। उसी नाम से वह बच्चा पुकारा जाता था। बिहार की जनजातियों के बीच आज भी ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं।

'अन्नप्राशन संस्कार' तत्कालीन समाज के सभी जाति एवं वर्ग के लोगों के बीच प्रचलित था। जन्म के बाद छठे महीने बालक का अन्नप्राशन कराया जाता था । 'अन्नप्राशन संस्कार' में आर्थिक स्थिति के अनुसार माता–पिता खर्च करते थे। 'चुड़ाकर्ण संस्कार' को केशोच्छेदन, चौला अथवा 'मुंडन संस्कार' भी कहा जाता था। इस संस्कार का पालन तत्कालीन समाज में प्रायः सभी वर्ग के लोग करते थे। इस संस्कार के अनुष्ठान के क्रम में गर्भ के बाल कटवाए जाते थे। यह संस्कार बच्चे के पहले या तीसरे वर्ष में कराया जाता था। संपन्न परिवार में अन्य धार्मिक प्रक्रियाओं— होम, ब्रह्मभोज आदि के अतिरिक्त इस बात पर भी ध्यान दिया जाता था कि बच्चे का बाल इस तरह फेंका जाय कि किसी को प्राप्त नहीं हो सके। बाल काटते समय उसे आटे की रोटी या लोई में एकत्रित कर किसी तालाब या नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। जबकि निम्न जाति के लोग जैसे– चमार, दुसाध, डोम, भुईयाँ, धोबी, हजाम आदि वर्ष की पाबंदी नहीं मानते थे तथा जब बच्चा कुछ चलने लगता था तो उसका मुंडन करवा देते थे। 'मुंडन संस्कार' देव स्थान या मंदिरों में भी कराए जाने का उल्लेख मिलता है। सामान्यतया हिन्दू समाज के सभी जाति में इसका प्रचलन देखने को मिलता है।

स्त्रियों के लिए 'कर्णभेदन संस्कार' को प्रायः सभी हिन्दू जाति के लोग मानते थे। बिहार के नगरों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करनेवाले सभी जाति के लोग अपनी लड़कियों के कान छिदवाते थे। लेकिन लड़कों के कान छिदवाने (कर्ण भेद) की रीति सभी के यहाँ प्रचलित नहीं थी। उच्च जाति के परिवारों में यह रीति पाई जाती थी। इस अवसर पर पूजा, हवन के उपरांत नाक, कान का छेदन किया जाता था। उच्च जाति के लोग लड़की की उम्र पाँच वर्ष से अधिक होने पर उसके कान या नाक छिदवाते थे।

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

सुनार जाति के लोग इस क्रिया को संपन्न करते थे। इसके लिए गरीब एवं निम्न जाति के लोग परिवार में विशेष आयोजन नहीं करते थे। इसके लिए निम्न जाति के परिवारों में विशेष आयोजन नहीं किया जाता था। वे अपनी इच्छानुसार और सुविधानुसार लड़कियों के कान एवं नाक का छेदन करवा लेते थे। हमें ऐसा उदाहरण मिलता है कि विवाह के पूर्व प्रायः सभी लड़कियों के कान एवं नाक छिदा रहता था।

'विद्यारम्भ संस्कार' का उल्लेख तत्कालीन सभी धर्मशास्त्रों में नहीं मिलता है। फिर भी, तत्कालीन समाज में इसका प्रचलन था। यह संस्कार खासकर समाज के उच्च वर्ग के परिवारों में मनाए जाने का प्रचलन था। विशेषकर, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं कायस्थ परिवारों में इसका प्रचलन था। चूँकि निम्न जाति के गरीब परिवार साधारणतः अशिक्षित होते थे, अतः उनके परिवार में 'विद्यारम्भ संस्कार' मनाने की परम्परा नहीं थी। अधिकांश लोक स्थानों पर इसे 'पट्टी पूजन' भी कहा जाता था। इसमें 'सरस्वती पूजन' का अधिक प्रचलन एवं महत्व था। माता, पिता अथवा किसी पंडित या आचार्य से बच्चे को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। यह संस्कार तीसरे या पाँचवे वर्ष में संपन्न किया जाता था।

मध्यकालीन बिहार के समाज में प्रचलित विभिन्न रीति–रिवाजों व संस्कारों की चर्चा डॉ. कमला गुप्ता के द्वारा किया गया है। जन्म लेने के 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालक का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालक का एवं 12वें वर्ष में वैश्य के बालक का 'उपनयन संस्कार' एवं अन्य संस्कारों की व्याख्या की गई है।[7] मुगलकालीन समाज में गुरूकुलों की प्रथा करीब–करीब समाप्त हो गई थी । अतः क्षत्रिय तथा वैश्य जाति इस संस्कार पर अधिक बल नहीं देते थे, जबकि ब्राह्मण जाति के परिवार में इसका प्रचलन अधिक बना हुआ था। उपनयन के पूर्व बालक को एक अथवा तीन दिन का व्रत रखना पड़ता था। तत्पश्चात् उपनयन के दिन बालक को कर्म अथवा मुंडन कराना पड़ता था एवं अभिषेक के पश्चात् उसे गुरू के पास जाना पड़ता था। विवाह के संबंध में अनेक प्रक्रियाएँ थीं जो धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती थी। मध्यकालीन बिहार में विभिन्न विवाह पद्धतियां एवं विभिन्न प्रकार के विवाह का प्रचलन था, जिसका वर्णन अल–बिरुनी ने भी विस्तार से किया है।[8] इस संस्कार में तत्कालीन हिन्दू समाज में प्रायः अधिक रीतियों का समावेश हो गया था। इसमें अत्यधिक प्रचलित थीं वर–वधु की गुण–पत्रिका मिलाना, वरेच्छा एवं वाग्दान, मंडप कर्म, कन्यादान, होम, पाणिग्रहण, सप्तपती, वधु गृह–प्रवेश, चतुर्थि कर्म इत्यादि ।

हिन्दू विवाह की धार्मिक प्रवृति के लिए इस संस्कार के अति आवश्यक तीन कर्तव्य माने जाते थे– (1) कन्यादान (2) अग्नि परिणयन अथवा भाँवरे तथा (3) चतुर्थि

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

कर्म । हिन्दू समाज में विवाह से पूर्व एवं विवाह संपन्न होने तक कई तरह के रस्म–रिवाजों को निभाने की परम्परा थी यथा– फलदान, द्वार–पूजा, यज्ञवेदी पर विवाह, कुँअर कलेवा, पलंगाचार, वधु की विदाई, ससुराल में वधु का स्वागत, गौना या द्विरागमन आदि। तत्कालीन समाज में हिन्दू जाति के परिवार में विवाह क्योंकि एक शारीरिक एवं धर्मिक संस्कार के रूप में अधिग्रहण किया जाता था। अतः यह अपेक्षा की जाती थी कि स्त्री एवं पुरूष दोनों ही विवाह के पूर्व एवं विवाह के बाद नैतिक चरित्र का पालन करें। हिन्दू समाज में विवाहित महिलाओं द्वारा सौन्दर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करना आवश्यक समझा जाता था। मुस्लिम परिवार की भी विवाहित औरतें अपने सौन्दर्य को बढ़ाने के लिए सौन्दर्य प्रसाधनों का उपयोग करती थीं। इन प्रसाधनों का व्यवहार धर्मानुसार एवं प्रचलित रीति–रिवाजों के अनुसार विधवाओं के लिए वर्जित था। हिन्दू सधवा अर्थात विवाहित औरतों के हाथ में काँच की चूड़ियाँ, सर में सिन्दूर से माँग भरना, माथे पर सिंदूर की बिंदिया लगाना, पैरों की उँगलियों में चाँदी के बिछुए पहनना तथा अन्य प्रकार के जेवर–गहने पहनने का प्रचलन था। विधवा स्त्रियों को पारिवारिक एवं धार्मिक शुभ कार्यों में भाग लेना वर्जित माना जाता था। प्रायः उच्च वर्ग की जातियों में शास्त्रीय रीति–रिवाजों का पालन किया जाता था, लेकिन हिन्दू समाज के निम्न जातियों में इसका अधिक प्रचलन नहीं था। निम्न जाति के हिन्दू परिवारों में 'घरौने' की प्रथा प्रचलित थी, जिसमें पति की मृत्यु के बाद स्त्री उसके छोटे भाई से विवाह कर लेती थी। उच्च जाति के परिवारों में यह रीति–रिवाज नगण्य था। 'उढ़री' का रस्म–रिवाज भी प्रचलन में था। इसमें पति की मृत्यु के बाद निम्न जाति की स्त्रियाँ पुराने जान–पहचान वाले के पास चली जाती थी। उच्च जाति के कुलीन 'रखैल' रखते थे, लेकिन उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया जाता था। हिन्दू–विवाह की संस्कारात्मक प्रवृत्ति ने हिन्दू समाज के व्यवहारिक जीवन में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। जिसमें मुख्य थे– बाल–विवाह, वैधव्य, दहेज–प्रथा, कुलीन विवाह, बहुपत्नी–विवाह आदि। उस समय हिन्दू समाज में आर्थिक परिस्थितियों के दबाव के कारण 'विवाह–विच्छेद' एवं 'विलम्ब विवाह' जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो गई थी।

हिन्दू सामाजिक व्यवस्था जातीय संगठन के कारण बड़ी ही जटिल थी। जीवन साथी के चुनाव के लिए जातीय क्षेत्रीय नियम या रीति–रिवाज व्यवहार में लाया जाता था। अनुलोम–प्रतिलोम, जाति एवं कुलीन विवाह के नियम पत्नी की वांछनीयता के क्षेत्र को तथा बहिर्विवाह का नियम पति–पत्नी प्राप्त करने के अवांछनीय क्षेत्रों को संकेत देते थे। अनुलोम विवाह के अन्तर्गत ब्राह्मण पुरूष स्वजाति के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य एवं

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

शूद्र की कन्या से विवाह कर सकता था। क्षत्रिय पुरूष स्ववर्ण के अतिरिक्त वैश्य एवं शूद्र की कन्या से तथा वैश्य स्ववर्ण के अलावे शूद्र की कन्या से विवाह कर सकता था। किन्तु, शूद्र केवल शूद्रों की कन्या से ही विवाह कर सकता था। इस प्रकार के विवाह का प्रचलन मुगलकालीन समाज में कम था।

मध्यकालीन बिहार के समाज में 'अत्येष्टि संस्कार' का भी प्रचलन था। 'अत्येष्टि संस्कार' में प्रायः निम्न रीतियों का पालन किया जाता था। हिन्दू परिवार में मरते समय व्यक्ति के मुँह में तुलसी और गंगाजल डालने की परम्परा थी। आर्थिक दृष्टि से संपन्न परिवार के लोग उसी समय गोदान करवाते थे। मरे हुए व्यक्ति को श्मशान घाट ले जाने के लिए बाँस की टिकटी बनाई जाती थी। 'शव–यात्रा' के समय चार व्यक्ति शव को कंधे पर ले जाते थे। शव का दाह–संस्कार मृतक के पुत्र के द्वारा किया जाता था। यदि मृतक का कोई पुत्र नहीं होता था या उस समय पुत्र के उपस्थित नहीं रहने पर मृतक का अन्य निकट संबंधी इस क्रिया को संपन्न करता था। 'दाह संस्कार' के समय 'कपाल क्रिया' एक आवश्यक संस्कार होता था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि जिसकी 'कपाल क्रिया' नहीं की गई, वह व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता था। इसके बाद में 'पिंडोदक क्रिया' होती थी। दसवें दिन दसवाँ किया जाता था। उस दिन नदी में 'पिंड दान' किया जाता था। इस क्रिया को महापंडित संपन्न कराता था। तेरहवें दिन 'तेरही' होती थी। उस दिन मृतक को पिंड दिया जाता था। तत्पश्चात् बिरादरी तथा गाँववालों को भोजन कराया जाता था। गंगा में श्राद्ध या पिण्डदान करने का पौराणिक दृष्टि से विशेष महत्व था। गया में श्राद्ध या पिंड दान केवल सम्पन्न परिवार के हिन्दू ही कराते थे।

ब्राह्मणों के अतिरिक्त शूद्रों में भी प्रायः दाह–संस्कार किया जाता था। परन्तु निम्न जाति के निर्धन लोग आर्थिक तंगी के कारण शव को जमीन में गाड़ देते थे और उनका अन्तिम कृत्य तीसरे दिन ही समाप्त हो जाता था। मध्यकालीन बिहार के समाज में अनेक प्रकार के अंधविश्वास पाए जाते थे। अंधविश्वास केवल हिन्दू समाज में ही नहीं अपितु मुस्लिम समाज में भी पाया जाता था। अंधविश्वास एवं विलासिता के कारण लोगों का नैतिक पतन हो गया था एवं उनमें बुरी आदतों का समावेश हो गया था। मध्यकालीन बिहार के समाज में अनेक प्रकार के रीति–रिवाजों एवं संस्कारों का प्रचलन था, उनमें से अधिकांष आज भी प्रचलित हैं।

वर्तमान समय में एनल्स स्कूल के अकादमिक विमर्श की केन्द्र बिन्दु के रुप में जिस प्रकार मार्क ब्लॉक, फेब्रे, ब्रदेल के द्वारा सांस्कृतिक अवधारणाओं को समाज के अभिन्न पक्षों के अन्तर्गत समग्र इतिहास लेखन की मान्यता को दर्शाया गया है, जिसके

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

आलोक में लिन हंट, डेविस, रोजर शर्ते, आदि के द्वारा नव–सांस्कृतिक इतिहास लेखन ने इस पक्ष को प्रमुखता से स्थापित किया है। इसे ई0 लादूरी के द्वारा क्षेत्रीय परिपेक्ष्य में व्याख्यायित किया गया है। इस संदर्भ में वर्तमान इतिहासलेखन की सबसे विमर्शित पक्षों में से एक सांस्कृतिक इतिहास लेखन के अंतर्गत क्षेत्रीय परिपेक्ष्य में प्रस्तुत आलेख द्वारा मध्यकालीन बिहार के रीति–रिवाज एवं संस्कार के संदर्भ में देखने की कोशिश है।

संदर्भ सूची

1. अल–बिरुनी, *भारत,* सम्पादक– कयामउददीन अहमद, नेशनल बुक ट्रस्ट इडिया, नई दिल्ली, 1992, पृ0 भूमिका, V-XXVI.
2. ए0 एल0 बाशम, *अदभुत भारत,* अनुवादक– वेकटेशचंन्द्र पाण्डेय, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, 1994, पृ0 131–155.
3. डा0 अविनाश कुमार झा, *मध्यकालीन मिथिला का इतिहास* (1000 ई0–1600 ई0), निर्मल प्रकाशन, दिल्ली, 2018, पृ0 20–22.
4. अल–बिरुनी, *भारत,* पूर्वोद्धृत।
5. वहीं पृ0 60–65.
6. अबुल फजल, *आइन,* खण्ड 3, अनुवादक– यदुनाथ सरकार, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, 1948, पृ0 242.
7. डा0 कमला गुप्ता, *मध्यकालीन उतर भारत में हिन्दू महिलाओं की सामाजिक स्थिति,* 1206–1707 ई तक, पटना, 2008, पृ0 4–69.
8. अल–बिरुनी, *भारत,* पूर्वोद्धृत, पृ0 51–52.

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019
ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

13

दशकुमारचरित में वर्णित जाति व्यवस्था

डॉ. (श्रीमती) अनुपम सिंह
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास विभाग, अखिल भाग्य पी.जी. कालेज, रानापार, गोरखपुर

शोध सारांश

''दशकुमारचरित'' महाकवि दण्डी का एक प्रसिद्ध गद्यकाव्य है। दण्डी कालीन समाज में जाति–व्यवस्था पूर्णतः विकसित हो गयी थी। जातियों के विकास के दोनों आधारों (व्यवसाय और वर्ण संकरता) पर निर्मित जातियाँ समाज में दिखलायी देने लगी थीं। ''दशकुमारचरित''में अनेक जातियों का उल्लेख आया है। कुछ जातियाँ व्यवसायपरक है तथा कुछ वर्णसंकरता से उद्भूत हैं। जिनमें नट, विट, ऐन्द्रजालिक वृष्णिपाल, भील, घोष आदि व्यवसायपरक जातियाँ हैं तथा किरात, पुलिन्द, चाण्डाल आदि वर्णसंकर जातियाँ हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण से जो जातियाँ तथा उपजातियाँ बनी, वस्तुतः उन्हें 'प्रकार' कहना चाहिए अर्थात् ब्राह्मणों के प्रकार, क्षत्रियों के प्रकार, वैश्यों के प्रकार आदि। इन सभी के नाम प्रायः स्थान विशेष के आधार पर थे जैसे– नागर, गुर्जर, गौड़, सारस्वत, कान्यकुब्ज, सुराष्ट्र, मेवाड़, शाकलद्वीपी, सरयूपारी, मैथिल आदि। क्षत्रियों के प्रकार राजकुलों के आधार पर बने जैसे परमार, सोलंकी, राठौर, सिसौदिया, चन्देल, गहड़वाल, रघुवंशी, चन्द्रवंशी, सूर्यवंशी आदि। व्यवसायपरक जातियों में कुछ व्यवसाय उच्च स्तर के माने गये उन्हें वैश्य वर्ग में स्वीकार कर लिया गया परन्तु जो पेशे में निम्न स्तर के थे उन्हें शूद्रों में शामिल किया गया।

बीज शब्द

दशकुमारचरित, दण्डी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जाति, व्यवसायपरक ,वर्णसंकर

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

जाति व्यवस्था हिन्दू समाज को रहन–सहन, खान–पान, रीति–रिवाज, आचरण–व्यवहार, विवाह–व्यवसाय आदि के अन्तर के आधार पर विभिन्न समूहों में विभक्त करने वाली हिन्दू सामाजिक संगठन की एक विशिष्ट व्यवस्था है, जिसके अपने नियम निषेध, अनुबंध–प्रतिबंध, सीमाएँ और जटिलताएँ हैं। संस्कृत के जन् धातु से व्युत्पन्न जाति शब्द का अर्थ जन्म, अथवा प्रजाति माना जाता है। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के 'कास्ट' (Cast) शब्द का सहारा लिया गया है जो पुर्तगाली के कास्टा (Casta) और लैटिन के 'कास्टस' (Castas) से निष्पन्न बताया जाता है। सभी शब्दों से जाति का अर्थ 'जन्मगत आधार पर स्थित व्यवस्था' ध्वनित होता है। जाति शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने–अपने ढंग से इसको परिभाषित और व्यख्यायित किया है। राबर्ट बीररस्टीट ने जाति प्रथा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि ''जब वर्ग–प्रथा का ढ़ाचा एक या अधिक विषयों पर पूर्वतया बन्द होता है तो उसे जाति प्रथा कहते हैं।''[1] सर हरबर्ट रिज़ले के अनुसार ''जाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन है, जिसका की एक सामान्य नाम है, जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव या देवता से एक सामान्य वंश परम्परा या उत्पत्ति का दावा करते हैं, एक ही परम्परात्मक व्यवसाय को करने पर बल देते हैं, जो सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होते हैं और जो अपने मत व्यक्त करने में समर्थ होते हैं।''[2]

ब्लंट महोदय ने जाति की परिभाषा देते हुए बताया है कि 'एक जाति एक अन्तर्विवाही समूह या अन्तर्विवाही समूह का संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम है, जिसकी सदस्यता वंशानुगत है, जो अपने सदस्यों पर सामाजिक सम्मिलन के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध लगाती है, एक सामान्य परम्परागत पेशे को करती या सामान्य उत्पत्ति का दावा करती है और सामान्यतया एक समरूप समुदाय को बनाने वाली समझी जाती है।''[3] श्री केतकर ''जाति को एक सामाजिक समूह मानते हैं, जिसकी दो विशेषताएँ उल्लेखनीय है – प्रथम यह कि इसकी सदस्यता जन्मजात होती है तथा द्वितीय यह कि इनके सदस्यों को अनिवार्य सामाजिक नियमों के द्वारा समूह के बाहर विवाह करने पर रोक लगा दी जाती है।''[4]

इसके अतिरिक्त भी अनेक समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों और इतिहासकारों ने जाति व्यवस्था की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। सभी परिभाषाओं के विश्लेषण के पश्चात जाति–प्रथा की कुछ विशेषताएँ हमारे समक्ष उद्घाटित होती हैं, जिनके आधार पर जाति व्यवस्था को भली प्रकार, समझा जा सकता है। ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1. एक जाति के सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते।

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

2. व्यक्ति की जाति उसके जन्म से निश्चित होती है। जाति के नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत किया जा सकता है।
3. प्रत्येक जाति में दूसरी जातियों के साथ खान–पान के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध होते हैं। यह प्रतिबन्ध सब जातियों पर समान नहीं होते।
4. अधिकांश जातियों के अपने व्यवसाय निश्चित होते हैं।
5. सभी जातियों में ऊँच–नीच का एक संस्तरण होता है, जिसमें ब्राह्मण जाति की स्थिति सर्वमान्य रूप से सर्वोच्च है।

जाति–प्रथा की उत्पत्ति के अनेक सिद्धान्तों की भी विद्वानों ने व्याख्या की है। सर्वमान्य रूप से यही माना जाता रहा है कि अन्र्तजातीय विवाहों के कारण वर्णसंकरता होने से जातियों का उदय हुआ।[5] ''मनुस्मृति'' में भी अनुलोम–प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न वर्णसंकर सन्तानों से विभिन्न जातियों के उद्भव होने का उल्लेख है।[6]

उपनिषदों और ''महाभारत'' से ज्ञात होता है कि उस समय अनेक ऐसी जातियाँ विकसित हुई, जिनकी उत्पत्ति अन्तर्विवाही नियमों के उल्लंघन से हुई थी। धर्मसूत्रों में ऐसी अनेक जातियों का उल्लेख है, जो अनुलोम, प्रतिलोम या अन्र्तजातीय विवाह सम्बन्धों से उत्पन्न हुई। इन्हें वर्णसंकर जाति कहा जाता है। वर्णसंकर जातियों का भी आपस में मिश्रण हुआ और उनसे उत्पन्न संतानों से नवीन जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार समाज में धीरे–धीरे जातियों और उपजातियों का विशाल समुदाय हो गया। मिश्रण से बनी ये जातियाँ भी आपस में ऊँच–नीच की भावना से ग्रस्त थीं जबकि ये वर्णसंकर जातियाँ स्वयं निम्न श्रेणी की मानी गई हैं। दशकुमारचरित में उल्लिखित व्यवसायपरक जातियाँ निम्नलिखित हैं –

1.नट

नट जाति के लोग कहीं स्थाई निवास बनाकर नहीं रहते थे। वे भ्रमण और यायावरी वृत्ति के होते थे। इधर–उधर घूमकर नाच गाकर अथवा अनेक प्रकार के करतब दिखाकर वे लोगों का मनोरंजन करते तथा अपना जीवन यापन करते थे। ''दशकुमारचरित'' में 'नट' जाति का उल्लेख कामपाल के चारित्रिक पतन की सूचना देने वाले वर्णन में आया है। कामपाल के विषय में लेखक ने लिखा है कि– ''विट, नट और वेश्याओं में आसक्त एवं दुर्विनीत कामपाल अपने पिता और बड़े भाइयों की आज्ञा का उल्लंघन कर इधर–उधर आवारा होकर घूमने लगा।''[7]

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

2. विट

'विट' ऐसी जाति थी जो नाचने, गाने के साथ–साथ अनेक प्रकार के रूप बदलने, अभिनय करने और तरह–तरह के करतब करने में प्रवीण होते थे। इन्हें भाँड या कुशीलव भी कहा जाता था। बहुधा राज दरबारों में गाकर राजा की प्रशंसा करना अथवा स्वांग बनाकर मनोरंजन करना इनका प्रमुख कार्य था। ''दशकुमारचरित'' में 'विट' का उल्लेख अनेक प्रसंगों में हुआ है। प्रथम उल्लेख तो कामपाल के घुमन्तू स्वभाव के विषय में बताते हुए हुआ है। परन्तु यहाँ नट, विट, वेश्या आदि कहकर केवल उनके निम्न स्तर का संकेत किया गया है। अन्यत्र –'विट' का उल्लेख उसकी कार्यपद्धति पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। एक अन्य स्थल पर पांचाल शर्मा नामक विट का उल्लेख है जिसकी सहायता से प्रमति'' ने नवमालिका को प्राप्त किया था।

3. ऐन्द्रजालिक

जादू या चमत्कारिक करतब दिखाने वाले ऐन्द्रजालिक कहलाते थे। इन्द्रजाल जादू एक विद्या है जिसमें दर्शकों को सम्मोहित करके ऐसी मुग्धता की स्थिति में पहुँचा दिया जाता है कि वे बाजीगर या जादूगर द्वारा निर्देशित वस्तुओं की उपस्थिति को दृश्यमान सा अनुभव करने लगते हैं। ''दशकुमारचरित'' में इस जाति का उल्लेख राजवाहन–अवन्तिसुन्दरी के प्रसंग में हुआ है। इस प्रसंग में विद्येश्वर ऐन्द्रजालिक का ब्राह्य रूप बताते हुए कहा गया है कि– वह सिर मुड़ाये, वेशभूषा में चतुर ज्ञाता होने वाला, देखने में भला तथा तेजस्वी था। उसके करतब तो बड़े ही चमत्कारिक थे।[8] स्पष्ट है कि ऐन्द्रजालिक सम्मोहन क्रिया और अभिनय में अत्यन्त पटु होते थे।

4. वृष्णिपाल

ऋग्वैदिक काल में पशुपालन आर्यों का कार्य था। कालान्तर में वर्ण विभाजन होने पर पशुपालन वैश्य वर्ण के कार्यों में सम्मिलित हो गया। जाति व्यवस्था के विकास होने पर वैश्य वर्ण का प्रमुख कार्य वाणिज्य रह गया तथा उसके अन्य दो प्रमुख कार्य कृषि और पशुपालन करने वाले उनसे पृथक और निम्न जाति के माने जाने लगे। 'दशकुमारचरित' में 'वृष्णिपाल'[9] शब्द से जिस जाति का बोध होता है उसे व्यवसायपरक आधार पर निर्मित वैश्य वर्ण की ही एक जाति माना जा सकता है। वृष्णि का अर्थ मेष और मेढ़ा होता है अर्थात् भेड़ों को पालने वाले वृष्णिपाल कहलाये। इन्हीं को बोलचाल की भाषा में गड़ेरिया कहते हैं।

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

5. घोष

वृष्णिपाल के समान ही 'घोष'[10] भी पशुपालन करने वाली जाति है। गाय आदि दूध देने वाली पशुओं का पालन करने तथा उनका दूध बेचकर जीवन यापन करने वाली जाति 'घोष' है जिसे बोलचाल में गोपालक या ग्वाला कहते हैं।

6. भील

भील एक अत्यन्त हीन जाति मानी गयी है। हेमचन्द्र ने भील जाति का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि ये धनुष–बाण के प्रेमी थे।[11] व्यास ने इन्हें चर्मकार के समान अन्त्यज माना है।[12] इनका निवास जंगलों अथवा पहाड़ों पर होता है। इनका एक नाम शबर भी है। ''दशकुमारचरित'' में कई स्थानों पर भील या शबर का उल्लेख है।[13]

''दशकुमारचरित'' में **वर्णसंकरता** के आधार पर बनी निम्नलिखित जातियों का उल्लेख हुआ हैं।

1. किरात

किरात वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री के संयोग से उत्पन्न म्लेच्छ जाति का ही एक भेद किरात है।[14] यह हिमालय के तटवर्ती प्रदेश में निवास करती थी। पुराणों में इसे नदी तट पर रहने वाली तथा पूर्वी भारत में पायी जाने वाली जाति बताया गया है। दशकुमारचरित में कई स्थानों पर इसका उल्लेख है। इसे वनचर और निकृष्ट जाति भी कहा गया है।[15]

2. पुलिन्द

पुलिन्द जाति की उत्पत्ति वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री से मानी गई है।[16] मनु ने इस प्रकार से उत्पन्न सन्तान को वैश्य ही माना है।[17] ''दशकुमारचरित'' में इसका उल्लेख म्लेच्छ जैसी निम्न जाति के रूप में हुआ है वस्तुतः दण्डी ने उसे किरात के पर्याय रूप में ही प्रयुक्त किया है।[18]

3. चाण्डाल

चाण्डाल (मांतग) अत्यन्त निम्न समझी जाने वाली जाति है। इसकी उत्पत्ति शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री के संयोग से मानी गयी है।[19] ''महाभारत'' में नापित (शूद्र) पुरुष और ब्राह्मण स्त्री के संयोग से उत्पन्न संतान को चाण्डाल कहा गया है।[20] इसे समाज में अत्यन्त अपवित्र और महापातकी माना गया है। मनु का कथन है कि ''चाण्डाल और श्वपचों को गाँव के बाहर निवास करना चाहिए तथा कुत्ते और गधे उनकी सम्पत्ति होनी चाहिए।''[21] गाय, बैल, घोड़े आदि रखना उनके लिए निषिद्ध था। वह रात्रि में गाँव या नगर में विचरण नहीं कर सकता था। दिन में राजाज्ञा का विशेष चिन्ह धारणकर नगर

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

में घूम सकता था। बान्धवरहित शव को श्मशान पहुँचाता था। राजाज्ञा द्वारा प्राणदण्ड पाये हुए व्यक्ति का वध करना और उसके वस्त्र–आभूषण शैय्या आदि ग्रहण करना उसका कार्य था।

चीनी यात्री फाह्यान उसके विषय में लिखता है कि चाण्डाल बाजार में प्रवेश करता था तो लकड़ी से भूमि पर आघात करता चलता था जिससे लोग उसके स्पर्श से बच सके। वह बहेलिये और मछली मारने का धन्धा करता था।[22] श्वानच्वाँग ने लिखा है कि चाण्डाल पशुओं को मारकर उनका माँस बेचता था, बधिक कार्य करता था, विष्टा आदि उठाता था और नगर के बाहर रहता था। उसके घर विशेष चिन्ह से चिन्हित रहते थे।[23] चाण्डाल जाति स्थान–स्थान पर खेल–तमाशे दिखाकर भी जीविकोपार्जन करती थी।[24] स्मृतियों से ज्ञात होता है कि इस काल में चाण्डाल सड़क साफ करते, शवों की रक्षा करते, अपराधियों को फाँसी देते और रात के समय चोरों का पता लगाते थे। उनमें अधिकतर मछेरे और शिकारी थे और माँस बेचते थे। ''दशकुमारचरित'' में भी चाण्डाल को वध करने के कार्य में लगा हुआ वर्णित किया गया है। इस पुस्तक में उसे मातंग संज्ञा में उल्लिखित किया गया है।[25]

इस प्रकार स्पष्ट है कि दण्डी कालीन समाज में जाति–व्यवस्था पूर्णतः विकसित हो गयी थी। जातियों के विकास के दोनों आधारों (व्यवसाय और वर्ण संकरता) पर निर्मित जातियाँ समाज में दिखलायी देने लगी थीं। इनमें भी कई स्तर थे जैसे– किरात, भील आदि बनचर जातियाँ थीं जिन्हें जनजाति के वर्ग में रखा जा सकता है। इसी प्रकार चाण्डाल, पुलिन्द, भील आदि को अस्पृश्य और अन्त्यज वर्ग में माना जा सकता है। जाति व्यवस्था में ऊँच–नीच की भेद–भावना सदा ही रही है। उसमें लेशमात्र भी उदारता नहीं थी। उच्च वर्ग के लोग निम्न जातियों के लोगों से प्रायः दूर ही रहते थे।

सन्दर्भ सूची

1. Robert Biersiteat. The social order, Page 407.
2. Sir Herbert Risley, The people of India, P.5.
3. E. Blunt. social service in India, P5.
4. S.V. Ketkar, History of caste in India; P 15.
5. महाभारत शान्ति पर्व 207/30–32.
6. मनुस्मृति 10/5, 10/11
7. दशकुमारचरित, पूर्वपीठिका, प्रथमोच्छ्वास, पृ0 10
8. दशकुमारचरित, पूर्वपीठिका, प्रथमोच्छ्वास, पृ0 122
9. दशकुमारचरित, पूर्वपीठिका, प्रथमोच्छ्वास, पृ0 32
10. दशकुमारचरित, उत्तरपीठिका, अष्टमोच्छ्वास पृ0 38

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

11. द्वयाश्रय महाकाव्य 1/179
12. व्यासस्मृति 1/12–13
13. दशकुमारचरित, पूर्वपीठिका, प्रथमोच्छ्वास, पृ0 30 31, 35, उत्तरपीठिका, तृतीयोच्छ्वास पृ0 255, चतुर्थोच्छ्वास, पृ0 313.
14. हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र 2, पृ0 92 तथा अमरकोष, 2/10/20.
15. दशकुमारचरित, पूर्वपीठिका, प्रथमोच्छ्वास, पृ0 33 उत्तरपीठिका, तृतीयोच्छ्वास, 255–256.
16. वैखानस स्मृतिसूत्र 10/14
17. मनुस्मृति 10/10
18. दशकुमारचरित, पूर्वपीठिका, द्वितीयोच्छ्वास, पृ0 52.
19. मनुस्मृति 10/12
20. महाभारत अनुशासन पर्व 29/17
21. मनुस्मृति 10/51–56
22. गाइल्स, पृ0 21
23. वाटर्स, आन युवान च्वांग ट्रवेल्स इन इण्डिया, भाग 1, पृ0 147
24. जयशंकर मिश्र, ग्यारहवीं सदी का भारत, पृ0 127.
25. दशकुमारचरित,उत्तरपीठिका, चतुर्थोच्छ्वास, पृ0 313 , 329

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF

http://www.gorakhpurjournals.in

FORM IV

Statement about ownership and other particulars about newspaper (…………..) to be published in the first issue every year after the last day of February

1. Place of publication	**GORAKHPUR**
2. Periodicity of its publication	**BI-ANNUAL**
3. Printer's Name	**DR. AJAY KUMAR SINGH**
Nationality	**INDIAN**
Address	**Q-133 RESERVE POLICE LINE, INFRONT OF ATTA CHAKKI, GORAKHPUR UP 273009**
4. Publisher's Name	**DR. AJAY KUMAR SINGH**
Nationality	**INDIAN**
Address	**Q-133 RESERVE POLICE LINE, INFRONT OF ATTA CHAKKI, GORAKHPUR UP 273009**
5. Editor's Name	**DR. AJAY KUMAR SINGH**
Nationality	**INDIAN**
Address	**Q-133 RESERVE POLICE LINE, INFRONT OF ATTA CHAKKI, GORAKHPUR UP 273009**

6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding More than one per cent of the total capital.

I, **DR. AJAY KUMAR SINGH** hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

AJAY KUMAR SINGH
Signature of Publisher

Date- October 2019

WRITERS VIEW
An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or refereed, Indexed & Open Accesses International Research Journal
Vol. 4 No. 1&2 APRIL & OCTOBER Year 2019

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

Author's Guidelines

- A Research paper should contain sufficient detail and references to the work.
- The authors should ensure that they have submitted their original works, and if the authors have used the work of other's then that has been appropriately cited.
- All those who have made significant contributions should be reported as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research should be acknowledged as contributors.
- When an author notices inaccuracy in his own published work, it is the author's duty to promptly notify the editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

Guidelines

1. **Subjects:** Authors are requested to send only original and unpublished articles.
2. **Plagiarism:** Authors are requested to send their original work with a conclusive result. We normally permit not more than 25% plagiarism.
3. **General Format, Page Layout and Margins:** Standard A4 (210mm x 297mm) portrait page set-up should be used. Margins should be 1.78cm at left and right with top and bottom margin set to 2.54cm. Do not use any headers, footers or footnotes. No page numbers. All main text paragraphs, including the abstract, must be fully (left and right) justified. All text, including title, authors, headings, captions and body, will be in Times New Roman Font, in case of English or Kurtidev010, in case of Hindi. Paper text must be in two columns of 89 cm width each, with 0.51 cm spacing between the columns, font Size: 12 Line spacing 1.5.
4. **Title:** Time New Roman Font, in case of English or kurtidev010, in case of Hindi, 14, bold, centre, first alphabet capital.
5. **Author:** Author name are to be written in 12 pt. Bold & centre in font followed by designation, organization, address including state & country name.
6. **Abstract:** First page, top left column, title bold-left aligned, text from next line, 10 font, Italics and 150-200 words. The text must be fully left justified.
7. **Key words:** The keywords section begins with the world, "keyword" in 10pt, bold italics. There may be up to few keywords separated by commas.
8. **Section & Sub Section Heading:** 12 fonts, bold, centre, roman numbered in block capital letters, text after double space (eg. SECTION III) Sub heading: number small

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

alphabetic within bracket 10font, text single spacing (eg. (a) Classification). Sub Heading ; should be left aligned number small new roman within bracket 10 font, text single spacing (eg. (iii) characteristics). Introduction and conclusion must be included as separate sections ensure that introduction and literature survey is not more than 15% of total article size.

9. **Figures and Tables:** All inserts, figures, diagrams, photographs and tables must be centre- aligned, clear and appropriate for black/white or gray scale reproduction. Figures (eg.Fig No.1) must be numbered consecutively, 1, 2, etc, from start to finish of the paper, ignoring sections and subsections. Tables (eg. Table No.1) are also numbered consecutively,1,2 etc. (Close to text where mentioned).Figure number should appear below the figure. Table no. should appear above the table.
10. **Reference:** The Reference section begins with the world, "Reference" in 12 pt., bold, first letter bold and remain in small & should be numbered. Name of Author starting with surname with year of publication in bracket, then Topic, Name of Journal/Book in Italics, Volume Number, issue number in bracket, separated by Name of Journal in italics with colons, Name of publisher and page number.

Samples of Complete References

Printed Book

Gandhi, M. (1955) My experiment with Truth, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, pp.125-130

Magazine Article

Essinger, J. (1991, May 28). Just another tool of your trade. Accountancy 108, pp. 91-125.

Journal Article

Armstrong, P. and Keevil, S. (1991). Partition of India. British History Journal 303(2), 105-109.

Interview

Santosh Shukla. (1996, January 10) Professor, Sanskrit Department, JNU - Delhi, 3:00 pm, Delhi, India.

World Wide Web Address

Burke, J. (1992, January/February). Children's research and methods: What media researchers are doing, Journal of Advertising Research, 32, RC2-RC3. [CDROM]. Available: UMI File: Business Periodicals Ondisk Item: 92-11501.

FTP

Watson, L, and Dallwitz, M.J. (1990, December). Grass genera of the world-interactive identification and information retrieval. Flora Online: An Electronic Publication of TAXACOM (22). [Online]. Available FTP: huh.harvard.edu, Directory: pub/newsletters/flora.online/issue22, File:022gra11.txt.

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

Review Process and Policy

As a publisher, we try to adhere to the norms and guidelines formulated by various scholarly societies and UGC to achieve international standards by maintaining quality in publication and by updating our publication system. We expect and encourage all the concerned people associated with the journal. In order to maintain transparency in publication, we encourage all—authors, editors, reviewers and other person/parties involved in the publication process, to avoid any form of conflicts of interest. The corresponding author is responsible for sending us the Conflict of Interest document agreed to and signed by other authors.

1. **Generation Information**
    a. Research Papers, Articles, Technical Reports, Analysis, Resources, Reviews, Perspectives, Progress articles and Insight articles will be peer-reviewed at the discretion of the editors.
    b. If other contributed articles present technical information, may be peer-reviewed at the discretion of the editors.
    c. About the peer-review process, we encourage reviewers to contact us through email.
2. **Criteria for Publication**
    We are constantly trying to raise the standards of our publications. We expect the same kind of commitment from authors to conform to the ethical norms by following our guidelines. Research paper should meet following general criteria:
    a. Quality of Research work and unpublished nature.
    b. Provides strong evidence for its conclusions.
    c. Novel, Innovative and Meaningful to specific field.
    d. Ideally, interesting to researchers in other related disciplines.
    e. In general paper should represent an advance in understanding likely to influence thinking in the field. There should be a discernible reason why the sent work deserves publication.
3. **Plagiarism Policy**
    Authors submitting with us are expected to have proper understanding about the plagiarism issues. Nothing should be copied in any form without

ISSN-: 2456-3579
Impact Factor
4.584 SJIF
http://www.gorakhpurjournals.in

proper acknowledgement or legal permission in any way that may violate other's intellectual rights. While they should include acknowledgement to other's works, they should also take permission for using any material from the concerned persons themselves. The journal will not initiate any process nor will remain responsible for any kind of copyright violation.

4. **The Review Process**

   All submitted manuscripts are read by the editorial board. The article is subjected to plagiarism check with software available and rejected if plagiarism is beyond 25%. Editor may decide to get article reviewed by more than one levier. Only those papers that seem most likely to meet our editorial criteria are sent for formal review.

5. **Post Review/ Re review Process**

   We try to evaluate the strength of the arguments raised by each reviewer and by the authors. Our primary responsibilities are to our readers and to the intellectual community at large, and in deciding how best to serve them, we must weigh the claims of each paper against the many others also under consideration.

   We may return to reviewers for further advice, where the authors believe they have been misunderstood on points of fact. We therefore ask that reviewers should be willing to provide follow-up advice as requested.

   When reviewers agree to assess a paper, we consider this a commitment to review subsequent revisions. However, editors will not send are submitted papers back to the reviewers if it seems that the authors have not made a serious attempt to address the criticisms.

   We take reviewers' criticisms seriously; in particular, we are very reluctant to disregard technical criticisms. In cases where one reviewer alone opposes publication, we may consult the other reviewers as to whether s/he is applying an unduly critical standard. We occasionally bring in additional reviewers to resolve disputes, but we prefer to avoid doing so.

6. **Selection of Peer Reviewers**

   We choose reviewers on many factors, including expertise, reputation, specific recommendations and our own previous experience. We check with potential reviewers before sending them manuscripts to review.

7. **Access to the Literature by Peer Reviewers**
   If a reviewer does not have access to any published paper that is necessary for evaluation of a submitted manuscript, the journal will supply the reviewer with a copy.
8. **Review Report**
   The primary purpose of the review is to provide the editors with the information needed to reach a decision but the review should also instruct the authors on how they can strengthen or improve their paper to the point where it may be acceptable. As far as possible, a negative review should explain to the authors the major weaknesses of their manuscript, so that authors can understand needs to be done to improve the manuscript. Confidential comments to the editor are welcome.
9. **Timing**
   We are committed to rapid editorial decisions and publication, and we believe that an efficient editorial process is a valuable service to our contributors or authors. We therefore ask reviewers to respond promptly within the number of days agreed.
10. **Anonymity**
    We do not release referees' identities to authors or to other reviewers unless a referee voluntarily signs their comments to the authors. Our preference is for referees to remain anonymous throughout the review process and beyond.
11. **Peer–Review Publication Policies**
    All submitted Research papers are sent for peer review. Authors are welcome to suggest suitable independent reviewers and may also request that the journal excludes one or two individuals. The journal sympathetically considers such requests and usually honors them, but the editor's decision on the choice of referees is final.

    Editors, authors and reviewers are required to keep confidential all details of the editorial and peer review process on submitted manuscripts. Reviewers should be aware that it is our policy to keep their names confidential and that we do our utmost to ensure this confidentiality. We cannot, however, guarantee to maintain this confidentiality in the face of a successful legal action to disclose identity.

Gorakhpur Journals

Website : http://www.gorakhpurjournals.in
Email : editor.gorakhpurjournals@gmail.com